खण्ड-335, अंक-5
गुरूवार, 23 अग्रहायण, शक संवत् 1900
(14 दिसम्बर, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 335 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६६१-६६४
आज की कार्य सूची न मिलने पर आपत्ति	६६५
प्रश्नोत्तर	६६५-७०३
प्रदेश के राजकीय तथा निजी नलकूपों को विद्युत् कनेक्शन न दिये जाने से संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	७०३
हरदोई में शारदा सहायक से निकले बिलग्राम रजबहा में पानी न छोड़े जाने तथा भंगरी नामक कीड़े के प्रकोप से फसलों को क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	७०३
बेतरिया में तरकुलवा मण्डी के पास गण्डक नदी पर बनने वाले पुल के अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने से किसानों द्वारा प्रदर्शन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	७०४
कानपुर में बिगड़ती हुई कानून व व्यवस्था की स्थिति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	७०४-७०५
वाराणसी में धारा ३०१ के अन्तर्गत तीन विद्यार्थियों को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	७०५
मेरठ स्थित डिप्टी इक्साइज कमिश्नर के कार्यालय को स्थानान्तरित करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	७०५-७०६
विविध विषय	७०६-७०९
बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्री एच० एस० पाठक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	७०९-७१२
सदस्यों के भाषण के अंश को कार्यवाही से निकाले जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	७१२-७१४
प्रदेश में नहरों के निर्माण कार्य रुक जाने से किसानों में असंतोष के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	७१४
बलिया में राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से एक छात्र को कुचल कर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में स्वीकृत वक्तव्य को शीघ्र दिलाये जाने की मांग	७१४
डिप्टी इक्साइज कमिश्नर कार्यालय के स्थानान्तरण पर जांच के लिए समिति गठित किये जाने की मांग	७१५

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	७१५–७१६
दिल्ली में होने वाली किसान रैली के लिये अधिकारियों द्वारा रुपया इकट्ठा किये जाने के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	७१६–७२१
अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में चर्चा (जारी) ..	७२१–७८१
अलीगढ़ से सम्बन्धित चर्चा को कल के लिए भी जारी रखने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	७८१–७८४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	७८४
शुक्ला गंज जिला उन्नाव के निवासी, श्री श्रीप्रकाश त्रिपाठी उर्फ मुन्ना तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	७८५–७८८
नत्थी	७८९–७९०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १४ दिसम्बर, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई :

उपस्थित सदस्य ३२९

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फीलाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० फ्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री

गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी श्री, (उर्फ छेदी लाल)
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोतम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरबिन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री

बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही' श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मल्ल चन्द, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री

मोती लाल देहलवी, श्री
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री

राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

आज की कार्य सूची न मिलने पर आपत्ति

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमको एजेन्डा नहीं मिला है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, हमको भी नहीं मिला है । किसी को नहीं मिला है ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर यह कहने पर कि एजेन्डा नहीं मिला)

श्री अध्यक्ष--

कल प्रेस में बिजली देर से आयी, इसीलिए एजेन्डा देर से छपा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

कल विद्युत मंत्री ने कहा था कि बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है और प्रेस में बिजली नहीं पहुंच रही है, तो कौन सी बात सही है । रवीन्द्र किशोर शाही असत्य भाषण करते हैं और आप बरदाश्त करते हैं । आप उनका जवाब तलब करें । विधान सभा सचिवालय और विधान सभा से सम्बन्धित और जो अन्य विभाग हैं उनको रेगुलर बिजली दिया करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

विद्युत मंत्री कहते हैं कि हड़ताल का कोई प्रभाव नहीं है और बिजली मिल नहीं रही है ।

श्री अध्यक्ष--

अब एजेन्डा मिल गया है, प्रश्न हो जाने दीजिए । हम बरदाश्त करते हैं, जब आप बरदास्त करेंगे ।

श्री ऊदल--

हम आपको कुर्सी का आदर करते हैं । अगर इजाजत दें तो एक मिनट भी हम उनको बरदाश्त न करें ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १४ दिसम्बर १९७८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगरपालिका, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया का चुनाव

**१--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) तथा श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की नगरपालिकाओं, टाउन एरियाओं तथा नोटीफाइड एरियाओं के चुनावों को कराने हेतु सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं ? यदि हां तो पूरा विवरण क्या है और जनता द्वारा चुनी गई स्वायत संस्थाओं की कमेटियां प्रदेश में कब से विधिवत कार्य करना शुरू कर देंगी ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

प्रदेश में समस्त स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन ९ फरवरी, १९७९ तक कराने का निणय हो चुका है । सामान्य निर्वाचन की तैयारी की जा रही है और समस्त औपचारिकताएं शीघ्र ही पूरी होने की सम्भावना है ।

२--निर्वाचन से सम्बन्धित सम्भावित तिथियां निम्न प्रकार हैं :

(१) ६ जनवरी, १९७९ --निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना ।

(२) ११ जनवरी, १९७९--नाम निर्देशन का दिनांक ।

(३) १३ जनवरी, १९७९--नामांकन पत्रों की जांच ।

(४) १६ जनवरी, १९७९--नाम वापसी का अंतिम दिनांक ।

(५) ४ फरवरी, १९७९--मतदान ।

३--प्रदेश में लगभग ६४० स्थानीय निकायें हैं । इनमें से लगभग ३४ स्थानीय निकायों में कक्ष परिसीमन की अपूर्णता सीमा परिवर्तन आदि के कारण चुनाव देर से सम्पन्न कराये जा सकेंगे ।

४--निर्वाचन के बाद ही चुनी गई कमेटियां कार्य प्रारम्भ करेंगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, सामान्य निर्वाचन की कौन-कौन सी औपचारिकताएं अभी पूरी होनी बाकी हैं और जो ३४ स्थानीय निकायों में परिसीमन करने से चुनाव नहीं हो सके हैं, उनमें कौन-सी नगरपालिकायें हैं?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, ५ तो नगरपालिकाएं हैं और २९ टाउन एरियाज़ है ।

श्री अध्यक्ष--

उनका क्या नाम है यह आप जानना चाहते हैं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

नगरपालिकाओं के नाम खाली ।

श्री अध्यक्ष--

नगरपालिकाओं के नाम बतला दीजिए माननीय मंत्री जी, टाउन एरियाज़ की जरूरत नहीं है । नगरपालिकाओं का पूछा है उन्होंने ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

फिरोजाबाद, आगरा परिसीमन पूरा नहीं हो सका । कन्नौज, फर्रुखाबाद सीमा विवाद के कारण चिरगांव, झांसी नई बनी है, अभी पलिया खीरी सीमा परिधि के कारण जसवन्तनगर, इटावा यह नई बनी हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि फिरोजाबाद परिसीमन कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जल्दी से जल्दी । कार्य तो यह हो रहा है, जैसे ही कक्ष परिसीमन पूरा हो जायगा यह क्वासी जूडिशियल प्रोसीडिंग है, थोड़ा इसमें देरी लगती है । इसमें तिथि बताना जरा कठिन है । जल्द से जल्द करा दिया जायगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मार्च में यह चुनाव करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

अब यह नहीं, यह तो उन्होंने बता दिया ।

श्री कृष्ण स्वरूप--

इन्हीं तिथियों पर नगर महापालिकाओं के भी चुनाव होंगे और उक्त अध्यक्षों के चुनाव क्या सीधे मतदाताओं से होंगे ? आपने कहा कि यह तिथियां सम्भावित हैं, क्या निश्चित रूप से आप बता सकेंगे कि इन्हीं तिथियों पर चुनाव करा देंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, सम्भावित तो आखिरी तिथि तक भी कहेंगे और अध्यक्ष के चुनाव साथ ही होंगे ।

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)--

मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

स्थानीय निकायों में क्षेत्र समिति और जिला परिषदें भी आती हैं, क्या शासन उन पर भी टाइम टेबल रखेंगे?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर तो वैसे स्पष्ट है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप पढ़े तो स्पष्ट नहीं है । मान्यवर, प्रश्न जो था केवल टाउन एरिया, नगरपालिका के लिए था ।

श्री अध्यक्ष--

वह ठीक है । मैं उत्तर देने के लिए कह रहा हूं ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल से कहूंगा कि कृपा कर प्रश्न पढ़ लें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्न क्या, उत्तर पढ़ रहा हूं ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

प्रश्न यह है कि प्रदेश की नगरपालिकाओं, टाउन एरियाओं तथा नोटीफाइड एरियाओं के चुनावों को कराने हेतु सारी तैयारियां पूरी हो गयी हैं? अब आइंदा से प्रश्न पढ़ कर प्रश्न पूछने का प्रयास डालिये ।

श्री मोती राम--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी न कहा कि चुनाव फरवरी में होना सम्भावित । मेरी सूचना के अनुसार इंडिया वर्सेज़ वेस्टइंडीज टेस्ट मैच होगा । क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है ? जिस दिन टेस्ट मैच हो रहा हो उस दिन के बजाय इधर-उधर चुनाव करायेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, वोट डाल दें, टेस्ट मैज देखने जायं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय मंत्री जी बतलाने को कृपा करेंगे कि उन्होंने कहा कि संभवित तो जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक रहेगा । तो क्या यह सत्य है कि ३१ मार्च तक आखिरी तारीख उन्होंने पास करायी है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

मैं सदन में कल निवेदित कर चुका हूं कि अगर कोई अघटित घटना हो जाय, कोई मर जाय तो तारीख आगे रख लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

ऐसा लगता है कि मंत्री जी को अपने रहने न रहने पर विश्वास नहीं है ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

मान्यवर, ३१ मार्च की तारीख हमने अंतिम रख ली है । मगर आपको बता दिया कि ६४० में ३७ को छोड़कर बाकी का चुनाव कराने जा रहे हैं । फिर भी कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है, तो आगे रख सकते हैं ।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)---

मान्यवर, क्या नगर महापालिकाओं के चुनाव अलग होंगे और टाउन एरियाज, नगर पालिकाओं के चुनाव अलग होंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर दे दिया है । माननीय मंत्री जी आपने एक उत्तर नहीं दिया कि चुनाव सीधे मतदाताओं से होंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

अध्यक्ष का तो डाइरेक्ट चुनाव होगा और साथ ही साथ उनका भी होगा ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)---

मंत्री जी ने कहा कि संभावित तिथि निश्चित नहीं है, पासिबिल हुआ तो चुनाव करायेंगे तो इसके बारे में निश्चित आप बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न का उत्तर वह दे चुके हैं ।

सिचाई विभाग के जूनियर अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता को प्रोन्नति एवं हरिजनों, अल्प संख्यकों व पिछड़ी जाति का आरक्षण

**२---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९७७ में किन-किन जूनियर इंजीनियर्स (सिविल) की नियुक्ति की गयी तथा जुलाई, ११७८ में किन किन अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता की पदोन्नति अधीक्षण अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर हुई और उपरोक्त में से कितने हरिजन, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के हैं?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)---

जुलाई, ११७७ में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई । जुलाई, १९७८ में ३ अधिशासी अभियन्ताओं की अधिक्षण अभियन्ता पद पर प्रोन्नत की गई ।

जुलाई, १९७८ में हरिजन, अल्प संख्यक और पिछड़े वर्ग के किसी अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता की प्रोन्नति अधीक्षण अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर नहीं की गई, क्योंकि उक्त वर्ग का कोई अधिकारी पात्रता क्षेत्र में नहीं आता था ।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९७७ में कितने जूनियर इंजीनियर्स (सिविल) की नियुक्ति की गयी और क्या यह यही है कि

उनमें से कुछ जूनियर इंजीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा का इम्तिहान बाद में पास किया है और इससे २-३ साल पहले वर्क चार्ज में एप्वांइटमेंट दिखलाकर और वेटेज देकर उनको एप्वाइंट किया गया है। अगर सही है, तो यह डिटेल सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

श्रीमन्, १९७७ में १३५४ जूनियर इंजीनियर्स (सिविल) के नियुक्त हुये हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जूनियर इंजीनियर्स नियुक्त किये गये हैं उनमें ऐसे भी ह जिनकी नियुक्ति पहले हो गयी और उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा पास किया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

श्रीमन्, इसकी जानकारी से तथ्य प्रकाश में आये थे कि कुछ ऐसे भी जूनियर इंजीनियर हैं, जिनको वेटेज दिया गया है, उस काल का जिस समय डिप्लोमा नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न है कि क्या कुछ ऐसे जूनियर इंजीनियर हैं, जिनकी नियुक्ति पहले हो गयी और बाद मे उन्होंने जूनियर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

अभी तक १३ ऐसे नाम आये हैं, जिन्होंने वर्क चार्ज में काम शुरू किया था, वेटेज उनको दिया गया है और डिप्लोमा बाद में किया है।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अधीक्षण अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता की प्रोन्नति हुई है, तो उसका मापदंड क्या है ? उसमें कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति आता है कि नहीं ? यदि आता है, तो उसको प्रोन्नत क्यों नहीं किया गया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

श्रीमन्, अधीक्षण अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता की जो प्रोन्नति हुई है, इसमें २६ अधिकारी सिवल अधीक्षण अभियंता के पद पर और ५ यांत्रिक के हैं। इसके बाद १२ अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर प्रोन्नति हुई ह। अधीक्षण अभियंता के पद पर और अतिरिक्त मुख्य अभियंता के दोनों पदों पर कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति के नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रोन्नत करने का मापदंड क्या है और उसमें अनुसूचित जाति का आता है कि नहीं और उनको किसी सर्विस होनी चाहिये ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

श्रीमन, ज्येष्ठता के आधार पर अधीक्षण अभियंता की प्रोन्नति की गयी है और अनुपयुक्त लोगों को छोड़ दिया गया ह । इसमें पहली शर्त यह है कि उनको कन्फर्म होना चाहिये ।

श्री श्याम देव—

जानबूझकर जो प्रोमोशन में आते हैं लेकिन उनको प्रोमोट नहीं किया गया है । इसमें भ्रष्टाचार किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे । (व्यवधान) आप बैठें ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शासन का आदेश है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रखा गया है कि नहीं ? उसका माप दंड क्या है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

श्रीमन, प्रोवीजन रखा गया है लेकिन इन लोगों में पात्र नहीं थे जिससे उनकी नियुक्ति नहीं हुई ।

श्री मोती राम—

मान्यवर, सिंचाई विभाग में असिस्टेन्ट इंजीनियर से इक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के लिए आखिरी आदमी जो प्रमोट हुआ है वह किस साल का भर्ती था, उस के पहले अनुसूचित जाति के कितने आदमी भर्ती हो चुके थे । इक्जीयूक्यूटिव इंजीनियर से सुपरिनटेन्डिंग इंजीनियर की प्रोन्नति में आखिरी आदमी किस वर्ष का था तथा उस के पहले कोई आदमी अनुसूचित जाति का था या नहीं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

इस के लिए तो सूचना की अवश्यकता है ।

श्री गुलाब सेहरा—

प्रमोशन में कोई रिजरवेशन नहीं किया जा रहा है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बीस से वहां पर आदमी काम कर रहे हैं । अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति नहीं लिया जा रहा है प्रमोशन के लिए । यह कहना कि रिजरवेशन था बिल्कुल असत्य है ।

श्री मोती राम—

इस पर दो घण्टे की चर्चा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

चर्चा के लिए आप लिख कर दें (शोर) ।

श्री गुलाब सेहरा—

अध्यक्ष जी, इसको स्थगित कर दें और सूचना मंगा लें कि प्रोन्नति में आखिरी आदमी के पहले अनुसूचित जाति के लोग थे या नहीं (व्यवधान) ।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया) ।

श्री ऊदल---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अधीक्षण अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की प्रोन्नति की गयी है इसमें एक सा पमाना नहीं अपनाया गया है। दोनों के लिए अलग-अलग पैमाना इस्तेमाल किया गया है। क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष---

दोनों में अलग माध्यम इस्तेमाल किया गया है। एस० इं० और एडिशनल चीफ इंजीनियर को प्रोन्नति करन के माप दंड भिन्न-भिन्न आप ने रखा? यह प्रश्न है।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की प्रोन्नति मे कनफरमेशन की पाबन्दी नहीं रखी गयी थी। सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर में यह रखी गयी थी।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)---

जो १२ एडीशनल चीफ इंजीनियर का सेलेक्शान हुआ उनमें कितने मैकेनिकल इंजीनियर थे और कितने सिविल के। दूसरी बात सेलेक्शन पोस्ट के अन्दर कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें कनफरमेशन के पहले सेलेक्शन किया जाय। तीसरी बात सानवाल कमेटी की रिपोर्ट लागू होने से पहले सेलेक्शन हुआ या नहीं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

एडीशनल चीफ इंजीनियर सिविल के हैं और एडहाक प्रोमोशन किया गया है।

श्री मुकीमुर्रहमान---

मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। मेरा सवाल यह है कि मेकेनिकल इंजीनियर का पोस्ट अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की खाली है या नहीं ? आपने बताया कि सिविल की है। क्या मैकेनिकल कैडर का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। अगर नहीं है, तो उसे क्यों नहीं लिया गया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

श्रीमन्, इस पर भी विचार कर लिया जायगा। एडिशनल चीफ इंजीनियर, मैकेनिकल, के पद पर काम अधिक होने से प्रमोट कर लिया जायगा।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)---

माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि १३ व्यक्ति नियुक्त हुये वर्क-चार्ज में उनके जबाव से यह ध्वनि निकली कि उन के पास उस समय डिप्लोमा नहीं थे। क्या यह नियम है कि कोई व्यक्ति जिस के पास न्यूनतम योग्यता न हो उसकी नियुक्ति हो सकती है और बाद में उसकी नियुक्ति रेगुलेराइज हो सकती है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

श्रीमन्, इस की जांच की जा रही है और जो दोषी व्यक्ति होंगे उन्हें दन्डित किया जायगा अनियमितता के लिए।

श्री फजलुलवारी (जिला गोंडा)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा वेटेज दी गयी मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी पोस्ट के लिए जो क्वालीफिकेशन होती है उस क्वालीफिकेशन को हासिल करने से पहले एक आदमी ने जो गलत काम किया है क्या उसके लिये उसे वेटेज मिलती है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो उत्तर उन्होंने दे दिया है कि जांच कर रहे हैं कि उनको क्यों रखा और जिन व्यक्तियों ने रखा, उनको सजा दी जायेगी ।

एच० बी० टी० आई०, कानपुर के छात्रों की हड़ताल

**३—श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शासन को जानकारी है कि एच० बी० टी० आई०, कानपुर के छात्र अपनी मांगों को लेकर ५ दिसम्बर, १९७८ को अनिश्चित कालीन हड़ताल किये हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में शासन को कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)—

छात्र संघर्ष वाहिनी, एच० बी० टी आई०, कानपुर का दिनांक ४ दिसम्बर, १९७८ का एक पत्र, दिनांक ७ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ है जिसमें छात्रों द्वारा अपनी मांगों के लिये दिनांक ५ दिसम्बर, १९७८ से अनिश्चित कालीन हड़ताल घोषित करने की सूचना दी गई है ।

उक्त पत्र के साथ एक मांग पत्र भी प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने की मांग

**४—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि बेकारों को भत्ता देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर अमल कब से होगा एवं यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं आबकारी मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सम्भव नहीं लगता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, जनता पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि जब जनता पार्टी शासन में आयेगी, तो बेकारों को बेरोजगारी का भत्ता देगी । इसी दृष्टि से केरला, बंगाल और सम्भवतः बिहार और हरियाणा की सरकारें भी देने की बात करने जा रही हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो भाषण दे रहे हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि यह शासन भी शीघ्र ही इस सम्बन्ध में विचार करेगा और इस बात की घोषणा करेगा ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, जहां तक जनता पार्टी की घोषित नीति का सवाल है, उसमें स्पष्ट है कि १० साल में बेरोजगारी को खत्म करने का वायदा किया है और सभी को रोजगार दिया जायेगा। जहां तक महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब के सम्बन्ध में बात है, तो उसके बारे में निवेदन है कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि बेकारी का भत्ता दिया जाय। लेकिन उन्होंने कुछ क्षेत्रों में यह व्यवस्था की है कि रोजगार की व्यवस्था उत्पादन के कार्यों में करके दे दें। जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल सरकार ने पिछले बजट में घोषित अवश्य किया है कि जिन लोगों का नाम रोजगार के दफ्तर में ५ साल से दर्ज है, और जिनके परिवार की आमदानी ५०० रुपये से कम है, उनको ५० रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाय लेकिन हमको अभी तक यही सूचना मिली है कि यह अभी उनकी बजट की ही केवल घोषणा है, इसको अमल नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देंगे कि बंगाल के ही पैटर्न पर वह भी आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे और रोजगार कार्यालय में जिन लोगों के नाम पंजीकृत हैं, उनको बेकारी का भत्ता देने का प्राविधान तुरन्त या अगले बजट में करने का भी आश्वासन देंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी का संकल्प मार्च, १९७८ में था जिस पर कैबिनेट ने विचार किया था और वह नियोजन विभाग को काम सौंपा गया था कि वह इसको देखें। उन्होंने सारी चीजों को देखा। उनके मुताबिक करीब ५ लाख लोग ऐसे होते थे जो बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। जहां तक रोजगार के दफ्तर में पंजीकरण का सवाल है, उसमें कुछ गलतफहमी भी हो सकती है। अभी साढ़े तेरह लाख कर्ज हैं। लेकिन ये जो दर्ज कराते हैं, उनमें बहुत से लोग नौकरी पर रहते हुये भी पंजीकरण करा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अन्डर इम्प्लायड है, उनको अगर दृष्टि में रखा जाय तो करीब २० लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और करीब डेढ़ लाख लोग शहरी क्षेत्रों में ऐसे है कि जिनको सरकार अन्डर इम्प्लायड मानती है। जहां तक इन साढ़े पांच लाख लोगों का सवाल है जो कि बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं उनका बेरोजगारी का भत्ता कितना होगा, इसको आंका गया है। जो नियोजन विभाग की तरफ से सरकार को यह कैबिनेट की रिपोर्ट मिली उसमें लगभग ५६ करोड़ रुपये का खर्च आता है और इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष ६-७ लाख लोगों की वृद्धि हो जाने से यह खर्चा और भी बढ़ते जाने का अनुमान है। तो इस सबको देखते हुए फिलहाल सरकार की जो मौजूदा हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था है उसमें यह अनुकूल नहीं पड़ता।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे संकल्प की उन्होंने चर्चा की। यदि समस्त बेरोजगारों को वह बेकारी का भत्ता नहीं दे

सकते तो क्या केवल शिक्षित बेरोजगार, जो ग्रामीण श्रमिक की श्रेणी में आते हैं या ग्रेजुएट हैं, केवल उस सीमा तक अपने को थोड़ा सीमित रखते हुए यह कर सकते हैं, केवल इस सीमा तक सीमित रख कर, जिससे कि ५६ करोड़ की बात न आए, क्या उनको बेकारी भत्ता देने पर विचार करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, इसमें तो शिक्षित और अशिक्षित का सवाल नहीं उठता क्योंकि उसमें भेदभाव हो जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, बड़ी खूबसूरती से मन्त्री जी ने कहा कि १० वर्षों में यह बेरोजगारी को खत्म कर देंगे तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन से कांक्रीट योजना है जिसके हिसाब से यह १० वर्षों में बेरोजगारी दूर कर देंगे और आने वाले वर्षों में कितने आदमियों को आप रोजगार दे सकेंगे ? इसकी कौन सी कांक्रीट योजना आपके पास है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, इसके लिए तो माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आ जायें और जानकारी कर लें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवायें ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, आप हमारा अधिकार ले रहे हैं ।

एक सदस्य--

एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । हरिजन बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठिये । आप खामोश रहिये ।

श्रम मन्त्री जी, आपका यह उत्तर सही नहीं है कि मेरे कक्ष में आकर मालूम किया जाए । आप यह कह सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास पूरा विवरण नहीं है, इसके लिये मुझे समय की आवश्यकता है ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

अर्थ यही था । थोड़ा सा हंसी मजाक की बात थी ।

श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री 'राकेश' के प्रश्न को स्पष्ट करते हुए माननीय श्रम मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन बेरोजगारों को, जो स्नातक नहीं हैं, उनको छोड़कर स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर वे विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अभी इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्री गुलाब सेहरा—

औचित्य का प्रश्न यह है अध्यक्ष जी, कि मन्त्री जी अभी आपना उत्तर देकर हंसे हैं। यह सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जो मन्त्री हैं, उनसे हम गम्भीरता की उम्मीद करते हैं। यह सदन की गरिमा के अनुकूल है या नहीं है, आप इसका फैसला करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले से इस सम्बन्ध में मन्त्री जी से कह दिया है और फिर हंसना तो आप समझिये कि हो सकता है कि आपको देखकर हंसे हों।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अभी अपने जवाब में बताया कि १० साल के अन्दर बेरोजगारी दूर कर दी जायेगी, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि १९७८ में जिन बेरोजगार छात्रों की उमर २७ साल हो गई है जो सरकारी नौकरी की अधिकतम सीमा है तो क्या जो लड़के उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं और ओवरएज हो रहे हैं उनकी सर्विस की सीमा ८ वर्ष बढ़ायेंगे जब तक कि बेरोजगारी न मिट जाय।

श्री रमाशंकर कौशिक—

इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि १० साल के अन्दर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जायेगा। दूसरी ओर जवाब में कहा है कि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में सम्भव नहीं लगता, तो इन दोनों बातों में जो अन्तर्विरोध है, उसको देखते हुए मन्त्री जी बेरोजगारी दूर करने के लिए इस साल से दूसरे कौन से कदम तय कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह इन्होंने कहा है कि १० साल में कोशिश करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गरीबी की रेखा से नीचे गरीब शिक्षित बेरोजगार हैं, उन्हें कम से कम यह भत्ता देंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, इस पर तो पूरी तरह के सरकार सचेत है और उत्पादन के कार्यों के जरिये से जैसे नहर बनाने से, सड़क बनाना है, इस ढंग से लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि यदि उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दे दिया तो बेरोजगारों की संख्या अपने प्रदेश में बढ़ती जाएगी, इसका भी ख्याल किया है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष--

अब अगला प्रश्न ले रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

शराब की दुकानों की नीलामी

*१--रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के कितने जिलों में वर्ष १९७८-७९ में शराब की नीलामी में नीलामी की बोली समाप्त होने पर निर्धारित धनराशि से कम पैसा लेकर ठेका दिया गया ? ऐसी जगहों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

प्रदेश के २१ जिलों में वर्ष १९७८-७९ में शराब की नीलामी में नीलामी की बोली समाप्त होने पर निर्धारित धनराशि से कम पैसे लेकर ठेके दिये गये थे ।

इन जिलों में से कुछ जिलों में शराब की दूकानों का पुनः नीलाम किया गया और कुछ जिलों में अनुज्ञापियों के प्रार्थना-पत्रों पर बकाया धनराशि जमा करने के लिये उनको समय प्रदान किया गया ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

नियम यह है कि निश्चित धनराशि पर ठेके दिए जाते हैं लेकिन निश्चित प्रतिशत की धनराशि २१ जिलों में जमा नहीं की गई, तो इन सभी जिलों के ठेकेदारों को समाप्त क्यों नहीं किया गया ? यदि सब ठेकेदारों को समाप्त नहीं किया गया, तो जिन ठेकेदारों की जगह पुनः नीलामी की गई, तो क्या उनमें भी निश्चित धनराशि जमा करने के लिए समय मांगा गया था ? यदि हां, तो उनको भी समय क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

नियम यह है कि बोली के बाद १/६ धनराशि जमा कराई जाती है । लेकिन कहीं-कहीं पर यह सवाल आता है जितनी ज्यादा से ज्यादा बोली लगेगी उस पर ठेका दिया जाय, यह भी शासन के विचार में रहता है । यह जिलाधीशों के विवेक पर निर्भर करता है जिस पार्टी को वह समझते हैं कि यह धनराशि देने में सक्षम हो जायगी, उसे समय प्रदान कर देते हैं, लेकिन अगर जिलाधीश कहता है कि यह सक्षम नहीं है नहीं दे रही है, तो उन दूकानों को पुनः नीलाम कर दिया जाता है ।

इसलिए जिन दूकानों में जिलाधीश ने लिखा कि ये ठेकेदार रुपया नहीं जमा कर रहे हैं या जमा नहीं करेंगे, तो उनको दुबारा नीलाम करने का आदेश दिया और जिन में जिलाधीश ने यह माना कि १५ दिन या २० दिन में रुपया जमा कर देंगे और उनको समय दे दिया जाय, तो उन्हें समय दे दिया गया । जिलाधीश का जो विचार रहता है, विवेक रहता है वह करीब-करीब सही उतरता है और वह पैसा जमा हो जाता है ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या उपरोक्त अनियमितता के आधार पर २१ जिलों में किन्हीं अधिकारियों पर अनुशासन की कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो दूसरे जिले के अधिकारियों पर अनुशासन की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

कुछ जिलों में कार्यवाही अवश्य की गयी, जहां पता चला कि जानबूझ कर ऐसे लोगों को ठेके दिए गए जिसके बारे में स्पष्ट रूप से पता था कि ये पैसा देने में सक्षम नहीं होंगे, तो उनपर कार्यवाही की गयी ।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)--

आजमगढ़ जनपद में शराब के ठेके की जो नीलामी की गयी थी, जिन लोगों को वहां के जिलाधिकारी ने सक्षम माना था ११ लाख रुपया उन्हीं लोगों पर बकाया है, तो क्या वहां पुनः नीलाम के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

माननीय सदस्य बतला देंगे, तो मैं पूरी कार्यवाही करूंगा ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

मंत्री जी ने कहा जहां के जिलाधिकारियों ने विवेक से ठेके दिए उन पर कोई विचार नहीं किया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर के जिलाधिकारी ने विवेक से ठेके दिए थे, तो फिर वहां के एक असिस्टेन्ट कमिश्नर तथा दो एक्साइज इंसपेक्टर्स को क्यों निलम्बित कर दिया गया ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

वे कुछ और बातों के लिए दोषी पाए गए थे ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

इस सरकार के प्रिडीसेसर ने मोहन मीकिंस के खिलाफ १ करोड़ ३० लाख रुपए बीयर वेस्टेज के सम्बन्ध में रिकवरी के आदेश दिए थे और ६० लाख रुपए की रिकवरी के आदेश ठेकेदारों से दिए थे । क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने ६० लाख रुपए की रिकवरी ठेकेदारों से इन्स्टालमेन्ट में तो फिक्स कर दी लेकिन १ करोड़ ३० लाख की वसूली को रोक दिया ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो एक नया प्रश्न है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में बतायेंगे कि सरकार ने कोई निर्णय इस सम्बन्ध में लिया है कि आगे ३१ मार्च के बाद शराब के ठेके नहीं दिए जायेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

अभी नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या गोरखपुर के जिन एक्साइज अधिकारियों को मुअत्तल किया गया था उस सिलसिले में यह बात भी थी कि गोरखपुर की चार दुकानों के ठेके बन्द कर दिए गए थे और लाखों रुपए की छूट उन ठेकेदारों को दी गई ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

आपका कथन यह है कि गोरखपुर के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

एक्साइज कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जांच हो रही है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने यह बात कही थी कि वहां ठेकेदारों को छूट देकर दुकानें बन्द कर दी गई थी जिससे पब्लिक एक्सचेकर को लाखों का घाटा हुआ ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, मैं गोरखपुर के बारे में पूरी ही बात बता दूं । गोरखपुर जनपद में देशी शराब, भांग तथा विदेशी शराब थोक व फुटकर दुकानों का नीलाम दिनांक ९-३-७८ से प्रारम्भ किया गया । सेक्टर १, २ व क्षेत्र २ की ३३ दुकानें वर्ष १९७७-७८ के लिए ८३,५०,००० रुपए पर दी गई थी । इस वर्ष अब इन ३३ दुकानों का नीलाम अलग-अलग किया गया तो दिनांक ९-३-७८ को इसकी कुल बोली ५३,२६,००० रु० की आयी जो गत वर्ष से ३०,२४,००० रु० कम की आयी । इस कारण नीलाम दूसरे दिन के लिए मुलतबी करना पड़ा । दिनांक १०-३-७८ को यह दुकानें नीलाम नहीं की गई क्योंकि कोई बोली ही नहीं आयी । दिनांक ३०-३-७८ को उपरोक्त समस्त ३३ दुकानों की नीलामी की गई । पुनः नीलाम की तिथि ५-४-७८ नियत की गई । ५-४-७८ को जब यह दुकानें नीलाम की गई, तो पुराने ठेकेदारों की उच्चतम बोली ७७,५०,००० रु० की आयी और इन्हीं पुराने अनुज्ञापितों ने इन दुकानों को १ अप्रल से ५ अप्रैल तक अस्थाई प्रबन्ध पर १,१५,००० रुपए पर चलाया था । इस प्रकार ७७,५०,००० रु० की उच्चतम बोली में १,१५,००० रु० अस्थायी प्रबन्ध का शुल्क शामिल करते हुए कुल योग ७८,६५,००० रु० का ही हुआ, जो गत वर्ष की बोली से ४,८५,००० रुपया कम था । इस कारण इन

दुकानों की नीलामी पुनः २०-४-७८ के लिए रखी गयी । इस बोली में श्री राधा चरण, विशम्भर सिंह वगैरह को ७९,००,००० रुपए की बोली स्वीकृत की गई ।

[वृहस्पतिवार १४ दिसम्बर, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

सिविल अस्पताल, लखनऊ के स्टीवर्ड एवं स्टोर कीपर का पद

*१--श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल के स्टीवर्ड और स्टोरकीपर के पदों के साथ भारी मात्रा में सामान क्रय करने, चिकित्सालय के मैनेजमेन्ट एवं वित्तीय कार्यभार जुड़े होने के बावजूद भी सेन्सेटिव पद की संज्ञा नहीं दी गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

सिविल अस्पताल, लखनऊ के स्टीवर्ड और स्टोरकीपर का भारी मात्रा में सामान क्रय करने, चिकित्सालय के प्रबन्ध एवं वित्तीय कार्यभार में सीधा सम्बन्ध न होने के कारण इनके पदों को सेन्सेटिव पद नहीं समझा गया ।

*२--श्री रणजीत सिंह जूदेव--

[२रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बाराबिरवा-सुभाषनगर मार्ग का निर्माण

*३—श्री नारायण सिंह भंसोरा (जिला पिथौरागढ़), श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद) तथा श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७८ के दूसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि धनाभाव के कारण केवल सन्दर्भित महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण रोक दिए जाने के कारण है ? क्या सरकार उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर अन्य निर्माणाधीन सड़कों की अपेक्षा इस इस सड़क को प्राथमिकता देकर अविलम्ब निर्मित किए जाने का आदेश सम्बन्धित विभाग को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

सन्दर्भित बाराबिरवा सुभाषनगर मार्ग का निर्माण रोका नहीं गया है बल्कि धनाभाव के कारण आरम्भ ही नहीं किया जा सका है । धन उपलब्ध होने पर नगर महापालिका इसके निर्माण का प्रयास करेगी ।

श्री नारायण सिंह भंसोरा--

माननीय अध्यक्ष जी, इसका निर्माण कब तक हो जायेगा, इस विषय में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे ।

श्री संत बख्स रावत—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ६ नवम्बर, १९७८ के स्वतंत्र भारत द्वारा जो निविदा दिया गया जिसमें ७ सड़कों का निर्माण कराया जाना है उसमें इस सड़क को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष —

यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

नगरपालिका, एटा के कन्या इन्टर कालेज का अनुदान

*४—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा नगरपालिका द्वारा संचालित इन्टर कालेज का तदर्थ अनुदान एरियर बिल अगस्त, १९७२ से जून १९७५ तथा अनुरक्षण अनुदान मार्च, १९७५ से जून, १९७५ तक का मु० ७२,९४२ रु० जो नगरपालिका कोष में जाना था वह प्रबन्धक एवं प्राचार्य द्वारा शासन से प्राप्त किया गया है ? यदि नहीं, तो मूल रूप से इस क्षति की किसकी जिम्मेदारी है ? और उसके पूर्ति हेतु क्या प्रबन्धक एवं प्राचार्य के वेतन से पूर्ति की जावेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

प्रश्नगत तदर्थ अनुदान एरियर बिल तथा अनुरक्षण अनुदान बिल की कथित धनराशि अभी विद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है । बिल जिला विद्यालय निरीक्षक को ११ नवम्बर, १९७८ को भेजे जा चुके हैं जिन्होंने उनके भुगतान हेतु शिक्षा निदेशक को लिखा है । भुगतान शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है । इस सम्बन्ध में किसी क्षति होने तथा उसके सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्रबन्धक एवं प्राचार्य के वेतन से उसकी पूर्ति किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बिहारी लाल हंस —

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो बिल ११ नवम्बर को भेजा गया है, यह उसके पूर्व क्यों नहीं भेजा गया है ? क्या यह प्रबन्धक या प्राचार्य की उदासीनता नहीं है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, क्लर्क की कुछ कार्य शिथिलता के कारण उसमें देर लगी, इसके लिए उनको सजा दे दी गयी है और उनका तबादला भी कर दिया गया है । अब वह सब पैसा शीघ्र बंटने वाला है ।

श्री बिहारी लाल हंस—

यह जो बिल अब ११ नवम्बर को भेजा गया है, उसका भुगतान कब तक हो जायगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी —

शीघ्रातिशीघ्र ।

*५—श्री बिहारी लाल हंस —

[२रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उप निदेशक, ड्रग, लखनऊ द्वारा दवाइयों की आपूर्ति में कथित अनियमितता

*६--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको इस आशय की जानकारी है कि उप निदेशक (ड्रग), लखनऊ मुख्यालय से जो अंग्रेजी दवाइयां विभिन्न एलोपैथिक अस्पतालों या परिवार कल्याण केन्द्रों को सप्लाई होती है उनमें अनाल्जीन, सल्फा-डाइजीन, सल्फागोनाडीन आदि अधिकांश खड़िया मिट्टी की बनी हुई सप्लाई होती है ? इसी प्रकार इन्जेक्शन और दवाइयां जो टाइमवार्ड होती हैं उनके लेबुल बदल कर सप्लाई की जाती हैं ? क्या सरकार प्रश्नकर्ता की इस सूचना को सही मानकर गुप्तचर विभाग द्वारा इसकी जांच करवाएगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिव प्रसाद--

क्या मंत्री जी इसका उत्तर देने से पूर्व उसकी जांच कराकर इस बात से आश्वस्त हो गये हैं कि जो इस तरह की शिकायत है, उसका कोई आधार नहीं है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई ?

श्री कल्याण सिंह--

इस प्रकार की शिकायतें ही नहीं मिली थीं, इसलिए जांच कराने का सवाल कहां उठता है ?

*७--श्री रियासत हुसैन--

[२० अप्रैल, १९७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ५० द्वारा उत्तरित ।]

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा चिकित्सालयों की मरम्मत हेतु धनराशि की कथित मांग

*८--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर ने दिसम्बर, १९७७ फरवरी, १९७८ में शासन को डी० ओ० लिखकर ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालय आदि की मरम्मत हेतु दो लाख की धनराशि की मांग की थी ? शासन ने फरवरी, १९७८ में मांग के अनुसार मरम्मत हेतु चिकित्सा-धिकारी को धन आवंटित करा दिया था ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि को बिना मरम्मत कराए माह मार्च में मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर से फर्जी वाउचर बनाकर निकाल ली है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मेरे मूल प्रश्न में स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने फरवरी में डी० ओ० लिखा कि पी० एच० सी० आदि जिनकी दशा जीर्ण हैं, उनको बनवाने के लिए पैसा दिया जाए, जो दिया गया । लेकिन उसे कहीं नहीं बनाया गया, उसमें कोई खर्च नहीं किया गया, पर फर्जी वाउचर के आधार पर उन्होंने उसका पेमेन्ट ले लिया है ?

श्री कल्याण सिंह--

इसमें कहा गया है कि कोई डी० ओ० लिखकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय आदि की मरम्मत हेतु दो लाख की धनराशि की मांग की थी, तो न तो कोई दो लाख की मांग का डी० ओ० आया । वह न कभी आया न कभी स्वीकार हुआ । इसलिए फर्जी वाउचर्स बनाकर पेमेन्ट किया गया हो; इसका प्रश्न नहीं उठता ।

*६--श्री ऊदल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के कर्मचारी संघ का ज्ञापन

*१०--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के कर्मचारी संघ ने कालेज की अनियमितताओं के सम्बन्ध में जुलाई, १९७८ में सरकार के पास कोई ज्ञापन भेजा है ? यदि हां, तो अब तक सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के कर्मचारी संघ ने कालेज में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में जुलाई, १९७८ में एक ज्ञापन दिया था, जिसकी जांच हेतु अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) गोरखपुर गये थ, लेकिन यह जांच अभी पूरी नहीं हो पायी है । जांच शीघ्र पूरी करने के निदश दे दिये गये हैं ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ज्ञापन में दी गई मुख्य-मुख्य अनियमितताएं क्या-क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

क्या मैं पूरा पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष--

आप इसका सारांश बता दीजिए ।

श्री कल्याण सिंह--

प्राय: प्रमुख शिकायतें वहां पर पोस्टिंग और एप्वाएन्टमेंट के सिलसिले में की गई हैं । इसकी जांच करा कर माननीय सदस्य को मैं अवगत करा दूंगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह---

जुलाई में ज्ञापन मिला है । छः महीने हो गये हैं । मैं जानना चाहूंगा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई, कोई अन्तरिम रिपोर्ट मिली होगी, यदि नहीं मिली है, तो मेरे अनुरोध पर शीघ्र प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त करके कार्यवाही करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह ---

इसमें कोई दो मत नहीं कि समय अधिक लगा है । बाढ़ के कारण से और उसके बाद एंसेफेलाइटिस में लगे रहे । वैसे आदेश कर दिये गय हैं । १५ फरवरी तक जांच का कार्य पूरा हो जायगा । आज ही आदेश किये गये हैं अतिरिक्त चिकित्सा निदेशक (शिक्षा) दो तीन दिन के अन्दर गोरखपुर पहुंच रहे हैं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं जानना चाहूंगा, जिस सवाल का कोई उत्तर नहीं मिला, सदस्य से कहा जा रहा है कि जांच करा देंगे, मैं मंत्री से और आप से कहूंगा कि इसको स्थगित करें । बाद में हाउस में रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । उन्होंने उत्तर दिया है कि शीघ्र जांच करा देंगे । जांच होगी तब उत्तर आयेगा । यह तो ठीक ही है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

सम्बन्धित प्रश्न का सम्बन्ध प्रश्नकर्ता से रहता है या पूरे हाउस से ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, सभी कर सकते हैं जिनको इजाजत दें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

जुलाई में ज्ञापन मिल गया था । जांच का आदेश कब दिया गया और किस तारीख से जांच शुरू हुई ?

श्री कल्याण सिंह –

आदेश जुलाई में कर दिये गये । जांच के लिए अधिकारी गये । लेकिन बाढ़ के कारण से और उसके पश्चात् दो तीन महीने एंसेफेलाइटिस में लगे रहे । आप सहमत होंगे कि जांच की अपेक्षा प्राणों की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण था । १५ फरवरी तक जांच पूरी हो जायेगी ।

नगरपालिका, सीतापुर में कथित शंकर की मठिया की तोड़-फोड़

*११--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर नगरपालिका के प्रांगण में लगभग ४५ वर्षीय पुरानी शंकर भगवान की मठिया को विभागीय अधिकारियों द्वारा खोदवा दिया गया है जिसके सम्बन्ध में दिनांक १३ जून, १९७८ को स्वायत्त शासन मन्त्री के पास एक शिकायती-पत्र भेजा गया था ? यदि हां, तो इस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

नगरपालिका, सीतापुर के प्रांगण में शंकर जी की मढ़िया को तोड़ने-फोड़ने के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक १३-६-७८ मिला था जिसमें नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने शंकर जी की मूर्ति को हटाकर व मढ़िया को तोड़कर ईंटों से बाउन्ड्री बनवा लिया है। शिकायती पत्र की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी, सीतापुर से प्राप्त की गयी जिससे विदित हुआ कि शंकर भगवान की वहां मढ़िया नहीं थी वरन् पानी की एक टूटी कोठरी थी जिसमें बेकार सामान पड़ा था इसके निकट ईंटों पर एक गोल पत्थर शिवलिंग के रूप में था। स्थान की सफाई के समय उसे निकट ही पेड़ के नीचे स्थापित किया गया था। शिकायत निराधार थी और रंजिशवश की गयी थी।

श्री रामनरायन वर्मा--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि यदि मढ़िया नहीं थी, तो मूर्ति पहले से कहां से आ गयी ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो दिया उन्होंने कि शिवलिंग की शक्ल का एक पत्थर था। जब सफाई की तो उसको रख दिया।

श्री राम नरायन वर्मा--

पत्थर तो गोल ही होगा।

शिवलिंग गोल होगा। पैर तो थे नहीं जो आ जाता। इसको स्थापित कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा स्थापित कर दिया।

श्री रघुवरदयाल वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि जिस पानी की मढ़िया का विवरण है, पानी की मढ़िया में शिवलिंग पहले से स्थापित था, जिसकी आपके द्वारा झूठी रिपोर्ट आयी है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मान्यवर, गोल-गोल जितने पत्थर हैं, उनमें शिवलिंग में फर्क बतलाना मुश्किल है। कैसे बतलाएं, कैसे किया है।

श्री राम आधार--

जहां गोल-गोल पत्थर शंकर जी की मूर्ति मिली, या जिसे शिवलिंग कहा जाता है वह मढ़िया कितने वर्ग फीट के अन्दर थी ?

श्री अध्यक्ष--

उसका आकार कितना था। उनका यह प्रश्न है।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, जरूर कर बतला दूंगा।

श्री गुलाब सेहरा--

क्या मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि उनकी दृष्टि में प्रत्येक गोल पत्थर शिवलिंग होता है तो क्या उनकी स्थापना की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

स्थापित तो वह है ही ।

*१२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*१३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की सेवा नियमावली अब तक तैयार न होने का क्या कारण है ? तथा नियमावली कब तक बनकर तैयार हो जायगी ?

श्री गणेश दत्त पाजपेयी--

उत्तर प्रदेश में नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों में से नगरपालिकाओं के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को छोड़कर शेष स्थानीय निकायों की सेवा नियमावलियां बन चुकी हैं । नगरपालिकाओं के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने की कार्यवाही की जा रही है जिसके शीघ्र ही पूरा होने की सम्भावना है ।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

*१४--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक २८ जून, १९७८ का पत्र जो रजिस्ट्री द्वारा भेजा गया था और जिसमें गोरखपुर में तैनात जल निगम खंड १० के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की गई थी, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा ऐसे गम्भीर मामले में जांच कराने में उदासीनता क्यों बर्ती जा रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

ऐसा नहीं है किन्तु इस पत्र की एक प्रति राज्य मंत्री, सिंचाई के माध्यम से दिनांक २६-१०-७८ को शासन स्तर पर प्राप्त हुई तथा रजिस्ट्री द्वारा भेजा गया मूल पत्र दिनांक २८-६-७८, अध्यक्ष, जल निगम को दिनांक १८-९-७८ को प्राप्त हुआ ।

इस मामले में जांच का आदेश अध्यक्ष जल निगम द्वारा दिनांक १८-९-७८ को ही दे दिया गया था अतः उदासीनता का कोई प्रश्न नहीं उठता । जांच आख्या भी दिनांक ८-१२-७८ को प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय में प्राप्त हो गई है ।

श्री राम सजीवन--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ किस अधिकारी ने जांच की और जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कोई कार्यवाही बनती है और क्या कोई कार्यवाही की गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, आरोप तो १९ के लगभग हैं ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

हरी सिंह जी गाना गा रहे हैं, तो पहले उनकी ही सुन लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मैं कह रहा था कि १९ आरोप लगे थे । मि० गुप्ता जो अतिरिक्त चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने जांच की थी । उन्होंने १५, १६, १७, १८ और १९ इन पांच चार्जों पर अपनी रिपोर्ट नहीं दी है । बाकी जो रिपोर्ट दी है, उसमें कुछ में आंशिक सत्य पाये गये और अधिकांश निर्मूल पाये गये ।

श्री राम सजीवन--

क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, एक प्रश्न पूछ लेने दें ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, अब प्रश्नों का समय नहीं है ।

*१५--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोटीफाइड एरिया, रसड़ा, जिला बलिया एवं हरिजन बस्ती के जल निकास हेतु नाली निर्माण की मांग

*१६--श्री मन्नू राम (जिला बलिया)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९७७ से रसड़ा नोटीफाइड एरिया एवं हरिजन बस्ती का पानी निकास का मार्ग बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पानी निकास का मार्ग बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

नोटीफाइड एरिया रसड़ा, जिला बलिया में पानी निकास हेतु नालियों का अभाव है और जो है भी उनकी मरम्मत अपेक्षित है इस नोटीफाइड एरिया की हरिजन बस्ती में पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है ।

नोटीफाइड एरिया अपने सीमित आर्थिक साधनों के कारण पानी निकासी की व्यवस्था करने में असमर्थ है ।

शासन स्तर पर पानी निकास की व्यवस्था का कोई मामला इस समय विचाराधीन नहीं है ।

*१७—श्री मन्जूर अहमद—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*१८—श्री राम आसरे वर्मा—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

झांसी नगरपालिका में कर अधीक्षक का रिक्त पद एवं सहायक कर अधीक्षक के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*१९—श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगरपालिका में कितने दिनों से चुंगी अधीक्षक का पद खाली है ? उक्त खाली पद को शासन कब तक भर देगी ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान चुंगी अधीक्षक (श्री पटेरिया) के विरुद्ध उप निदेशक ने जांच की थी ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी नहीं । नगरपालिका, झांसी में कर अधीक्षक के २ पद हैं । उनमें से एक पद पर श्री पदुम नारायण शुक्ला तदर्थ रूप से नियुक्त हैं । दूसरे पद का कार्य श्री काशी राम पटेरिया, सहायक चुंगी अधीक्षक इस समय अपने पद के कार्य के साथ-साथ कर रहे हैं । इस पद पर श्री नवल किशोर पाठक कर अधीक्षक को मथुरा नगरपालिका से स्थानान्तरित कर जून, १९७८ में नियुक्त किया गया था परन्तु बाद को उनका स्थानांतरण स्थगित कर दिया गया था । इस पद पर नियुक्ति शीघ्र ही कर दी जायेगी ।

श्री पटेरिया, सहायक कर अधीक्षक के विरुद्ध उप निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा जांच की गयी थी उनकी रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, झांसी को श्री पटेरिया के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश निदेशक द्वारा दिये गये हैं ।

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय की प्रधानाचार्या द्वारा जीप का दुरुपयोग

*२०—श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय की ओर से कोई नई जीप खरीदी

[श्री बाबू राम शुक्ल]

गई है ? यदि हां, तो कब तथा कितने रुपए में ? क्या यह सही है कि जीप कालेज की प्रधानाचार्या के व्यक्तिगत उपयोग में लाई जाती है ? यदि हां, तो कैसे तथा क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां ।

एक डीजल चालित जीप दिनांक ५ जुलाई, १९७७ को ६०,५६२·४२ रु० मूल्य पर क्रय की गई थी । जीप मुख्यतया महाविद्यालय के कार्य के लिये ही प्रयोग में लाई जाती है । वहां की प्रधानाचार्या उसे उसी सीमा तक अपने प्रयोग में लाती हैं जिस सीमा तक वर्तमान शासनादेशों के अनुसार स्टाफ कार का प्रयोग अधिकारियों को अनुमन्य है । फिर भी उनको आदेश दे दिये गये हैं कि जीप किसी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिये हरगिज प्रयुक्त न की जाय ।

*२१—श्री राम नरायन वर्मा—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भदोही, जिला वाराणसी का भवन

*२२—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बरवां, ब्लाक भदोही, जिला वाराणसी की इमारतें बनकर तैयार हो गयी हैं ? यदि हां, तो वहां मरीजों की भर्ती करके उपचार न करने का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

चिकित्सालय के अंतरंग कक्ष में रोगियों को भर्ती करके उनका उपचार किया जा रहा है ।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के वार्ड ब्वाय श्री अब्दुल सत्तार की सेवा समाप्ति सम्बन्धी जांच आख्या

*२३—श्री रियासत हुसैन —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि संयुक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्र सं० ४(बी) १५६/६६ (३४) पार्ट-१/१७५५८, दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७ द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ को यह निर्देश दिए थे कि यह श्री अब्दुल सत्तार वार्ड ब्वाय/पेंटर, बलरामपुर अस्पताल जिसकी सेवाएं वरिष्ठ अधीक्षक, बलरामपुर द्वारा अनियमित रूप से समाप्त कर दी गयी थीं, को पुनः सेवा में बहाल कर दिया जाय और उसके अवशेष देयों का भुगतान भी कर दिया जाय ? यदि हां, तो आदेश का पालन अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

६ अक्टूबर, १९७७ को उक्त आशय का कोई भी पत्र वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ को संयुक्त निदेशक (प्रकाशन) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं भेजा गया था । बल्कि निदेशालय के पत्र संख्य ४(बी) १५६/६६(३४-पार्ट-१)-१७५५८, दिनांक १६ अक्टूबर, १९७७ द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ को क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, लखनऊ मंडल, लखनऊ को जांच आख्या पर केवल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने को लिखा गया था । वरिष्ठ अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ ने क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, लखनऊ मंडल की उक्त जांच आख्या से असहमति व्यक्त की है । उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर विचारोपरान्त वर्तमान क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, लखनऊ मंडल लखनऊ से स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा पुनः जांच करने के लिए २ सितम्बर, १९७८ को लिखा गया है । उनकी जांच रिपोर्ट प्रतिक्षित है ।

*२४--श्री रियासत हुसैन

क्या यह भी सत्य है कि श्री अब्दुल सत्तार की बहाली का निर्णय निदेशालय स्तर पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, लखनऊ मंडल, लखनऊ की जांच आख्या जो उन्होंने अपने पत्र सं० सी-लखनऊ/२७२६-१, दिनांक १६ जुलाई, १९७७ द्वारा निदेशक को भेजी थी और उक्त जांच आख्या की एक प्रति शासन को भी पृष्ठांकित थी, के आधार पर लिया गया था ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है और क्या सरकार जांच आख्या की प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं । श्री अब्दुल सत्तार के बहाली का निर्णय नहीं लिया गया था बल्कि उक्त जांच आख्या के आधार पर वरिष्ठ अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था । चूंकि मामले में क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, लखनऊ मंडल, लखनऊ की जांच आख्या तथा उस पर वरिष्ठ अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ की रिपोर्ट दोनों में विरोधाभास है अतः शासन ने इस मामले में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से जांच कर आख्या भेजने के आदेश दिये हैं । अतः क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, लखनऊ की उक्त जांच आख्या अप्रयुक्त है । अतः अप्रयुक्त (obsolete) आख्या को सदन के पटल पर रखा जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता ।

फैजाबाद जिले के चिकित्साधिकारियों के लिये आवास निर्माण की मांग

*२५--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में चिकित्सकों के लिये आवास की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो कितने आवास गृह इस वर्ष बनाए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जिला फैजाबाद के विभिन्न राजकीय अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के आवास के लिये शासन की ओर से आंशिक व्यवस्था है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में ५ चिकित्सा अधिकारियों के आवासगृह निर्माणाधीन हैं ।

श्री कल्याण सिंह--

धनाभाव के कारण शेष डाक्टरों के आवास गृहों के निर्माण की कोई योजना फिलहाल शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*२६--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[१ले मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२७--श्री मित्रसेन--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*२८--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

आगरा, नगरपालिका फिरोजाबाद में पेयजल की आपूर्ति

*२९--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की नगर-पालिका, फिरोजाबाद के मोहल्ले जलेसर रोड, आगरा गेट, सबला, महावीर नगर में गत ३ माहों से पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं और नलों में पानी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो सरकार ने इन मोहल्लों को पानी देने की क्या व्यवस्था की है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

प्रश्नगत क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु ८ नलकूप बनाये गये थे, जिसमें से ३ नलकूप खराब होने के कारण पानी नहीं दे पा रहे हैं । अतः समुचित मात्रा में पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है ।

पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु प्रश्नगत क्षेत्र में कुल ५ नलकूपों के बनाये जाने तथा इनमें से २ नलकूप ३० अप्रैल, १९७९ के पूर्व ही तैयार किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी योजना लागू करने का प्रस्ताव

*३०--श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी कब से लागू करेगी ? क्या इनकी कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

पूरे प्रदेश में १ अप्रैल, १९७९ से पूर्ण नशाबन्दी लागू किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । प्रस्तावित नशाबन्दी लागू किये जाने पर १ मार्च, १९७९ से ३१ मार्च, १९७९ तक जन शिक्षा व प्रचार के दृष्टिकोण से अभियान चलाने, बेरोजगार हुये व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार में लगाने, तस्करों पर निगरानी रखने तथा प्रत्येक जिला सदर अस्पताल में शराब की लत से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिये डी-एडिक्शन सेन्टर की व्यवस्था आदि करने की योजना है ।

फतेहपुर जिले के जहानाबाद में जल आपूर्ति

*३१—श्री ओंकार नाथ दुबे—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर जनपद के कस्बा जहानाबाद स्थित जल संस्थान वर्ष १९७८ में कितने दिनों तक नगर मे पानी नहीं दे सका और क्यों ? क्या इसके सुधार हेतु जहानाबाद के नागरिकों (जनता युवा मोर्चा) के पत्र तारीख १ अक्टूबर, १९७८ व ७ अक्टूबर, १९७८ शासन को मिले ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

फतेहपुर जनपद के कस्बा जहानाबाद में स्थित जलकल अधिष्ठान वर्ष १९७८ के विभिन्न भाग में कुल ९७ दिन पानी नहीं दे सका ।

टाउन एरिया जहानाबाद के पास एक ही पम्प सेट तथा मोटर है जिसके खराब हो जाने के कारण जल आपूर्ति में व्यवधान पड़ जाता है । इस टाउन एरिया में कोई जलकल अभियन्ता नहीं है जिसकी तकनीकी सलाह तत्काल उपलब्ध हो सके । अतः ऐसी दशा में पम्प और मोटर को मरम्मत करके जल आपूर्ति की व्यवस्था करने में व्यवधान पड़ जाना स्वाभाविक है ।

युवा जनता मोर्चा द्वारा शिकायती-पत्र दिनांक १ अक्टूबर, १९७८ व ७ अक्टूबर, १९७८ जिला स्तर पर प्राप्त हुये थे और इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करके एक अतिरिक्त मोटर और पम्प सेट दिनांक २७ नवम्बर, १९७८ को खरीद लिया गया ताकि एक सेट के खराब होने पर दूसरे सेट द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था निरन्तर चालू रखी जा सके । जलापूर्ति दिनांक २४ नवम्बर, १९७८ से अनवरत चल रही है ।

बाराबंकी जिले के कस्बा सआदतगंज को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

*३२—श्री वसूदुल हसन नोमानी (जिला वाराणसी)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बाराबंकी में कस्बा सआदतगंज को टाउन एरिया बनाने के प्रश्न पर सरकार कोई निर्णय लेने जा रही है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

बाराबंकी जिले के सआदत गंज को टाउन एरिया बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था और जून, १९७८ में यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया ।

टाउन एरिया बनाना इसलिए सम्भव नहीं है क्योंकि सआदत गंज के अधिकतर लोगों का पेशा कृषि है । दूसरे प्रस्तावित टाउन एरिया की अनुमानित आय का आंकन बहुत कम था तथा खर्च बहुत अधिक ।

जिला अस्पताल व महिला चिकित्सालय, फैजाबाद को बिजली के सामान की आपूर्ति में स्थित घपला

*३३—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में जिला अस्पताल तथा महिला चिकित्सालय में बिजली का काम करने तथा सामानों की सप्लाई में

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

घपले तथा अनियमित रूप से दवा देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का २५ सितम्बर, १९७८ का शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और जांच का परिणाम क्या है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । शिकायतों पर जांच कराई गई और कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

महापालिकाओं के मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पद पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की प्रोन्नति की मांग

*३४ -श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश की पांच महापालिकाओं में मुख्य नगर लेखा परीक्षकों के ५ पदों में से कितने अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं ? क्या हाल में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति के अधिकारी की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

अनुसूचित जाति का कोई भी अधिकारी मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत नहीं है ।

किसी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को अभी प्रोन्नत करने पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी इस पद को प्रोन्नति के द्वारा भरे जाने की प्रक्रिया निश्चित नहीं हुई है । प्रक्रिया के सम्बन्ध में नियम बनाए जा रहे हैं । नियमों के बनने पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के लिपिकों के स्थायीकरण की मांग

*३५ श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) --

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य ने अपने कालेज में १८ वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत ३ लिपिकों को स्थायीकरण का प्रस्ताव २ अगस्त, १९७७ को स्वास्थ्य सेवा निदेशक को भेजा था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? कार्यवाही में विलम्ब का कारण क्या है ? क्या यह सच है कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के प्रान्तीयकरण के पहले से कार्यरत वहां के लिपिकों का प्रथम संवर्ग स्वीकृत कर दिया है परन्तु इसके विपरीत वहां के मुख्य लिपिक की मृत्यु के बाद उस पद पर वहां के ज्येष्ठ लिपिक को प्रोन्नत न करके बाहरी संवर्ग के लिपिक को प्रोन्नत करके तैनात किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । स्थायीकरण के आदेश दिनांक १३-१२-७८ को निर्गत कर दिए गए हैं ।

जी नहीं । प्रान्तीयकरण के समय (१९६८) से १५ अप्रैल, १९७६ तक इस कालेज के लिपिकों का संवर्ग अस्थाई रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ था । नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के स्थानीय संवर्ग किए जाने के आदेश शासन द्वारा १५ अप्रैल, १९७६ को निर्गत किए गए।

जी नहीं । मुख्य लिपिक की मृत्यु के बाद उस पद पर उसी कार्यालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में ज्येष्ठतम लिपिक को प्रोन्नत करके तैनात किया गया । प्रश्न नहीं उठता ।

*३६ -- श्री नेम सिंह चौहान --

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

*३७ --श्री मानपाल सिंह --

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*३८ --श्री देव बहादुर सिंह--

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७१ के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

*३९ श्री नेम सिंह चौहान--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा के जूनियर डाक्टरों की हड़ताल

*४० --श्री रघुवर दयाल वर्मा --

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के एस० एन० मेडिकल कालेज व अस्पताल के जूनियर डाक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल माह सितम्बर, १९७८ से कर दी है जिससे हजारों रोगियों को पलंग छोड़कर जाना पड़ा है ? क्या इस हड़ताल के कारण हृदयरोग यूनिट बन्द करना पड़ा जिससे अनेक हृदय रोगियों को पीड़ा उठानी पड़ी ? यदि हां, तो जूनियर डाक्टरों की मांग क्या है और उस पर सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की ?

श्री कल्याण सिंह --

जी हां, इस मेडिकल कालेज तथा उससे सम्बद्ध अस्पताल के जूनियर डाक्टरों ने दिनांक २६ सितम्बर, १९७८ से १७ अक्तूबर, १९७८ तक हड़ताल की थी । यह कहना सही नहीं है कि इस हड़ताल के कारण हजारों रोगियों को पलंग छोड़कर जाना पड़ा । इस हड़ताल की अवधि में वास्तव में केवल उन्हीं रोगियों को डिस्चार्ज किया गया जो छात्रों के शिक्षण तथा क्लिनिकल इन्टेरेस्ट या केवल जांच पड़ताल के लिए भर्ती किए गए थे । अस्पताल के हृदय रोग यूनिट के वाह्य तथा अन्तः विभागों में कार्य सुचारु रूप से चलता रहा तथा वाह्य विभाग में हमेशा की तरह लगभग १५ से २० रोगी प्रतिदिन देखे गए और भर्ती के लिए उपयुक्त रोगियों को भर्ती किया गया। मेडिसिन विभाग से सम्बन्धित इन्टेन्सिव कोरोनरी केयर यूनिट में चिकित्सकों के कमी के कारण उसे सामान्य रोगियों के लिए बन्द करना पड़ा, क्योंकि इस यूनिट में दो चिकित्सकों के अलग से २४ घंटे इसी कक्ष में ड्यूटी के लिए रखना पड़ता है, जोकि जूनियर डाक्टरों की पूर्ण हड़ताल के कारण सम्भव नहीं था । फिर भी किसी भी गम्भीर हृदय रोगी को जोकि हृदय रोग से पीड़ित था, उस यूनिट में आवश्यकता पड़ने पर रखने का प्राविधान किया गया था ।

[श्री कल्याण सिंह]

जूनियर डाक्टरों की मांगों का विवरण संलग्न है। मांगें शासन के विचाराधीन हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७८९ पर।)

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा के छात्रों द्वारा परीक्षा का बहिष्कार

*४१- श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)--

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, जनपद बांदा के छात्रों ने १३ अक्तूबर, १९७८ से होने वाली परीक्षा का बहिष्कार किया है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, छात्रों ने यह मांग की थी कि श्री कमला कान्त पान्डेय, अध्यापक की ड्यूटी परीक्षा केन्द्र पर न लगाई जाय। अब दिनांक २५-११-७८ से परीक्षायें नियमित रूप से हो रही हैं।

*४२--श्री जगशंकर पांडेय--

[माननीय मंत्री जी की प्रार्थना पर स्थगित।]

सिविल अस्पताल, लखनऊ के स्टीवर्ड के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४३--श्री रणजीत सिंह जूदेव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ सिविल अस्पताल के वर्तमान स्टीवर्ड के कार्यकलापों के विरुद्ध अनेकों विधायकों तथा जन प्रतिनिधियों ने गम्भीर आरोपों के शिकायती-पत्र १९७७-७८ में दिए थे? यदि हां, तो उनके विरुद्ध स्थानान्तरण करके अब तक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है?

श्री कल्याण सिंह--

सिविल अस्पताल, लखनऊ के वर्तमान स्टीवर्ड के विरुद्ध किसी विधायक अथवा जन प्रतिनिधि से नहीं वरन् जनता युवा पार्टी बाराबंकी के महामंत्री तथा नवयुवक जनता संघ, लखनऊ के एक सदस्य के शिकायती-पत्र क्रमशः मई और जून, १९७८ में प्राप्त हुए थे। आरोपों की जांच करायी जा रही है।

जांच के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

नगरपालिका एटा के कन्या इन्टर कालेज का अनुदान

*४४--श्री बिहारी लाल हंस--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा नगरपालिका द्वारा संचालित कन्या इन्टर कालेज की कक्षा ७ से १० तक छात्राओं की फीस की क्षतिपूर्ति शत-प्रतिशत अप्रैल, १९७६ से मार्च, १९७८ तक मु० ५२,२१८ रु० का अनुदान सरकार से कालेज द्वारा लिया जा चुका है यदि नहीं, तो इस अनुदान की प्राप्ति की मूल जिम्मेदारी किसकी है, और मु० ५२,२१८ रु० कालेज की क्षति की पूर्ति क्या प्राचार्य के वेतन से की जावेगी?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

क्षतिपूर्ति की वास्तविक धनराशि ५२,२१०·०० रु० नहीं वरन् ७,८३२·०० रु० है जिसका भुगतान अभी कालिज द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सका है। अनुदान की धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय की कुछ भूल के कारण समय से प्राप्त नहीं की जा सकी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा निदेशक को उक्त धनराशि के भुगतान हेतु लिखा जा चुका है और आशा है शीघ्र ही उसका भुगतान हो जायगा। क्षति की पूर्ति प्राचार्य के वेतन से किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[माननीय मंत्री जी की प्रार्थना पर स्थगित।]

२-३--श्री ऊदल--

[२रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ५१-५२ के अन्तर्गत स्थानांतरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिलकीपुर, जिला फैजाबाद को अस्पताल बनाये जाने का मांग

4--श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इनायत-नगर मिलकीपुर, फैजाबाद में ३० शय्याओं का चिकित्सालय बनाने के सम्बन्ध में दिनांक ४ जून, १९७४ को विभागीय निदेशक ने कोई पत्र भेजा था। पत्र द्वारा अपेक्षित औपचारिकता पूरी होने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही के न होने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, किन्तु धनाभाव के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिलकीपुर, जिला फैजाबाद को ३० शैय्यायुक्त वृहत् अस्पताल के रूप में परिवर्तित करना कब तक सम्भव होगा।

फैजाबाद जिले के अस्थि विशेषज्ञ

५--श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद में कितने अस्थि विशेषज्ञ हैं ? क्या इन विशेषज्ञों की नियुक्ति पी० एच० सी० पर कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

फैजाबाद जनपद में इस समय तीन अस्थि विशेषज्ञ कार्यरत हैं। इनमें दो डिग्री होल्डर हैं जो जिला अस्पताल फैजाबाद में तैनात हैं तथा एक डिप्लोमा होल्डर है जो शासन की वर्तमान नीति के अनुसार पी० एच० सी० पर तैनात है।

६--श्री जयशंकर पाण्डेय--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

गोरखपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गगहा व बेलघाट के प्रसार शिक्षक

7--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत मई माह से गोरखपुर जिले के गगहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसार शिक्षक का पद रिक्त है ? क्या जिला मुख्यालय पर चार प्रसार शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या वहां केवल दो ही पद स्वीकृत हैं ? क्या बेलघाट के प्रसार शिक्षक को भी सी० एम० ओ० ने अपने यहां रख लिया है ? यदि हां, तो इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गगहा तथा बेलघाट में प्रसार शिक्षक का पद रिक्त नहीं है, क्योंकि वहां के प्रसार शिक्षक को अपने केन्द्र के कार्य के साथ-साथ मुख्यालय के कार्य को देखने के लिए मुख्यालय तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जनपद के वरिष्ठतम प्रसार शिक्षक को जिला प्रसार शिक्षक के पद पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तरकाशी जिले के अरकोट, राजगढ़ी व मनरी का चिकित्सालय

8--श्री बरफियालाल जुवांठा अरबिन्द (जिला उत्तरकाशी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को प्रश्नकर्त्ता के दिनांक २६ दिसम्बर, १९७८ के तीन पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? और क्या सरकार जिला उत्तरकाशी में डाक्टरों, अरकोट में एम० बी० बी० एस० डाक्टर तथा राजगढ़ी व मनरी के आयुर्वेदिक औषधालयों को क्रमशः गंग टाडी तथा गोरखाली में स्थानान्तरित करने के आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो उपरोक्त सभी कार्य कब तक हो जायेंगे ? क्या यह सही है कि मैदानी क्षेत्र के डाक्टर पहाड़ों में नहीं जाना चाहते हैं ? यदि हां, तो क्या आप पर्वतीय क्षेत्रों के ही प्रशिक्षित युवकों को नियुक्त करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । उक्त पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

आरकोट जिला उत्तरकाशी में इस समय इन्टीग्रेटेड चिकित्सालय को एलोपैथिक चिकित्सालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

राजगढ़ी और मनरी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं । इनको गंगटाडी तथा गोरखाली में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किये जा चुके हैं और उपयुक्त भवन उपलब्ध होने पर स्थानान्तरण आदेश शीघ्र कार्यान्वित किये जायेंगे ।

मैदानी क्षेत्र के डाक्टरों को भी शासन की नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है । यथासम्भव पर्वतीय क्षेत्र के प्रशिक्षित डाक्टरों को जहां तक हो सके पर्वतीय क्षेत्र में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है ।

९--श्री मंजूर अहमद--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

10--श्री कृष्ण स्वरूप--

[३रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नगरपालिकाओं के केन्द्रीयित सेवा कर्मचारियों के लिए पेंशन देने की मांग और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों की प्रोन्नति की मांग

11 --श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीयित सेवा के सभी कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं दी जा रही है, तो इसका कारण क्या है तथा कब तक पेंशन योजना केन्द्रीयित सेवा के समस्त कर्मचारियों पर लागू की जायेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी नहीं, अभी केवल उन्हीं पालिका केन्द्रीयित सेवा कर्मचारियों को पेंशन देने के लिये प्राविधान है जो केन्द्रीयत सेवा में संविलीनीकरण के पूर्व किसी महा-पालिका में कार्यरत थे । नगरपालिकाओं में पेंशन नियम नहीं थे इसलिये वहां के मूल केन्द्रीयित सेवा कर्मचारी पेंशन के अधिकारी नहीं हुये ।

सभी पालिका केन्द्रीयत सेवा कर्मचारियों को पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्त लाभ देने हेतु नियमावली बनाई जा रही है और उसे शीघ्र ही लागू किया जायगा ।

12--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों को प्रोमोशन देकर स्वास्थ्य अधीक्षक के पद पर पदोन्नति करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनका वेतन क्रम क्या होगा और कब कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मुख्य सफाई निरीक्षकों को पदोन्नति की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु यू० पी० पालिका चीफ एण्ड सेनिट्री इन्सपेक्टर्स एसोसियेशन द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जन स्वास्थ्य अधीक्षक का एक पद सृजित कर दिया जाय । इस प्रस्ताव का शासन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है । इस पद का वेतनमान अभी निश्चित नहीं है ।

१३--श्री राम आसरे वर्मा --

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

आजमगढ़ जिले में वैक्सीनेटर के पद पर नियुक्ति

१४--श्री ईश दत्त यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश से चेचक उन्मूलन हो जाने के कारण स्वास्थ्य विभाग तथा शासन ने वर्ष १९७७ में यह निर्णय लिया कि अब वैक्सीनेटर पद पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति नहीं की जायेगी तथा यह आदेश

[श्री ईशदत्त यादव]

सभी जिला मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजे गए ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के बावजूद भी आजमगढ़ में वैक्सीनेटर पद पर नई नियुक्ति तथा पदोन्नति की गयी ? यदि हां, तो आदेश का उल्लंघन करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया है ?

श्री कल्याण सिंह--

वर्ष १९७७ में समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस आशय के निदेश भेजे गये थे कि वह अपने जिले में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब किसी कर्मचारी की नियुक्ति न करें। शासन की जानकारी में यह तथ्य आया है कि जून, १९७८ में आजमगढ़ के उप मुख्य चिकित्साधिकारी (तृतीय) द्वारा एक वार्ड ब्वाय की पदोन्नति वैक्सीनेटर के पद पर कर दी गई है। ऐसी कार्यवाही किन परिस्थितियों में हुई है इसकी जानकारी की जा रही है। आख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात् शेष कार्यवाही की जायगी।

नेम सिंह चौहान--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

आई० टी० आई० प्रशिक्षार्थियों को नौकरी दिये जाने की मांग

१६--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आई० टी० आई० संस्थान कार्यरत हैं ? और गत चार वर्षों में उत्तीर्ण (आई० टी० आई० में) छात्रों को ३० अगस्त, १९७८ तक नौकरियां मिल गई हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे प्रशिक्षित बेकारों की संख्या क्या है ? क्या सरकार उन्हें तुरन्त रोजगार देने की योजना बना रही है ? यदि नहीं तो क्यो।

श्री रमा शंकर कौशिक--

उत्तर प्रदेश में ६७ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा १ जुलाई, १९७४ से ३० जून, १९७८ तक ५०२४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को नौकरी दिलायी गयी तथा ३० जून, १९७८ को ४१३५२ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण कार्यप्रार्थी सेवायोजन निदेशालय के अधीन कार्यरत व्यावसायिक मार्ग निर्देशन इकाइयों एवं स्वतः नियोजन कक्ष द्वारा इन प्रशिक्षार्थियों को स्वतः रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

श्री महेन्द्र प्रताप शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, अतर्रा, नगरपालिका, बांदा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

१७--श्री सुरेन्द्रपाल--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के अतर्रा नगर-पालिका के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध श्री रामलाल यादव व श्री जनार्दन द्विवेदी का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ, दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों का विवरण क्या है और सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

प्रश्नगत पत्र दिनांक ६-४-७८ के साथ श्री जनार्दन द्विवेदी का ही शिकायती पत्र दिनांक १-४-७८ प्राप्त हुआ था । जिसमें श्री महेन्द्र प्रताप शर्मा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, अतर्रा के विरुद्ध निम्न शिकायतें की गयी थी :—

(१) ड्यूटी के समय शराब पीना और गाली गलौज करना ।

(२) चुंगी चेकिंग में श्री द्विवेदी की सहायता न करना और परगना मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करना ।

(३) पालिका को आर्थिक क्षति पहुंचाना । जिलाधिकारी की जांच आख्या प्राप्त होने पर श्री शर्मा को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

बांदा जिले की नगरपालिका, अतर्रा में तालाब से हरिजन बस्ती का कटाव

१८--श्री सुरेन्द्रपाल--

क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद अतर्रा नगरपालिका के मुहल्ला मूसानगर वार्ड नं० १ में हरिजन बस्ती अन्दर स्थित कच्चे तालाब से बस्ती के कटाव के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र संलग्न श्री पुत्तू लाल का पत्र ८ सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक कटाव रोकने का क्या उपाय किया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां । तालाब का स्थानीय निरीक्षण कराया गया । तालाब में किसी भी दिशा में कोई कटाव नहीं है ।

नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण तालाब को पक्का कराया जाना सम्भव नहीं है ।

१९--श्री नेम सिंह चौहान--

[माननीय मंत्री जी की प्रार्थना पर स्थगित ।]

देवरिया जिले में बाढ़ के बाद संक्रामक रोगों से मृतकों की संख्या

२०--श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सितम्बर, १९७८ को आई बाढ़ तथा जल प्लावन के बाद देवरिया जनपद में पोलपांव रोग तथा अन्य संक्रामक रोगों से कुल कितनी मौतें अगस्त, १९७८ तथा अक्तूबर, १९७८ के बीच हुई हैं ? शासन ने भयानक रोग से जूझने के लिए कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह--

देवरिया जनपद में अगस्त, १९७८ से अक्तूबर, १९७८ के बीच पोलपांव तथा अन्य संक्रामक रोगों से मृत्युओं का विवरण निम्नवत है :—

(१) पोलपांव	शून्य
(२) गैस्ट्रो	१८

(३)	हैजा	शून्य
(४)	चेचक	शून्य
(५)	इन्सेफेलाइटिस	१५८

उपरोक्त बीमारियों की रोकथाम के लिये निम्नलिखित निरोधात्मक कार्यवाही की गई है :—

मलेरिया—इस बीमारी की रोकथाम के लिये उक्त अवधि में नियमित फाइलेरिया निरोधक कार्यों के अतिरिक्त जनपद के नगरीय क्षेत्रों में नालियों की सघन सफाई कराई गई । नालियों तथा जलाशय आदि में मलेरियाल का सघन छिड़काव एवं फागिंग कराया गया ।

गैस्ट्रो तथा हैजा:—इस बीमारी की रोकथाम के लिए उक्त अवधि में १,२३,६०२ हैजा निरोधक टीके तथा ७४१५ कूपों में कई बार ब्लीचिंग पाउडर डलवाया गया । इसके अतिरिक्त बाढ़ राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक बाढ़ प्रभावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अतिरिक्त औषधियां बांटी गई ।

चेचक:—प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/वैक्सीनेटरों द्वारा प्राथमिक एवं पुनर्वेदिक टीके लगाये गये । इस वर्ष जनवरी, १९७८ से नवम्बर, १९७८ तक प्राथमिक टीका ९१८०६ तथा पुनर्भेदिक १६६३०८ लगे ।

इन्सेफैलाइटिस:—इस बीमारी की रोकथाम के लिये देवरिया सदर चिकित्सालय के अतिरिक्त हाटा एवं पड़रौना में विशेष चिकित्सा केन्द्र खोले गये । बीमारी से अब तक कुल ३७८ ग्राम प्रभावित हुये जिनमें छिड़काव पूरा हो चुका है । जनपद के नगरीय क्षेत्रों में माह नवम्बर, १९७८ से थर्मल फागिंग मशीन द्वारा मैलोथियान का छिड़काव भी किया गया है ।

२१—श्री राम आसरे वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

२२—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें दिनांक ३ जून, १९७८, ६ जून, १९७८, १९ जून, १९७८, २९ जुलाई, १९७८ और ३० अगस्त, १९७८ के द्वारा आपको प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत दिनांक ३-६-७८ व २९-७-७८ प्राप्त हुई है । इन शिकायतों की जांच संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, लखनऊ मंडल से कराई गई थी जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं । शेष शिकायतें प्राप्त हुई नहीं प्रतीत होती ।

नैनीताल नगरपालिका के अन्तर्गत भवनों का अवैध निर्माण

२३—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या स्वायत शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल नगरपालिका के अन्तर्गत विगत १० वर्षों के दौरान कितने भवन अवैध निर्मित हुए हैं और कितनों के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम की धारा १८५ के अन्तर्गत कनविक्शन हुए हैं कितनों के विरुद्ध कनविक्शन के उपरोक्त धारा १८६ की कार्यवाही की गयी है ? और कितनों के विरुद्ध सीधे धारा १८६ की कार्यवाही की गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

नैनीताल नगरपालिका के अन्तर्गत विगत १० वर्षों के दौरान ४२ भवनों के अवैध निर्माण हुए जिनमें से ६ मामलों में नगरपालिका अधिनियम की धारा १०५ के अंतर्गत कनविक्शन हुए। कनविक्शन की धारा १८६ के अंतर्गत किसी मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। ९ मामलों में सीधे धारा १८६ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। अवशेष २७ मामलों में से ११ मामले न्यायलय के विचाराधीन हैं तथा १० मामलों को नगरपालिका अधिनियम की धारा ३१५ के अन्तर्गत कम्पाउन्ड किया जा चुका है एवं ६ मामले धारा १८५ के अन्तर्गत न्यायालय को सुपुर्द किये जा रहे हैं।

चमोली जिले के ग्वालदम में पम्प हाउस का निर्माण एवं ठेकेदार का भुगतान

२४— श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या स्वायत शासन मन्त्री को ज्ञात है कि वर्ष १९७३–७४ में ग्वालदम, जिला चमोली स्थित फ्रान्टियर एकेडमी के प्रयोजनार्थ पम्प हाउस का निर्माण ठेकेदार श्री रमेश आर्य, ग्राम धेटी, पो० आ० मिलकोट (डंगोली) जिला अल्मोड़ा द्वारा कराया गया था ? क्या वह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक १२ जून, १९७८ को इस हरिजन ठेकेदार के बकाया के भुगतान हेतु लिखने के बावजूद अभी तक नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि इस भुगतान में विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवही की जायगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

ऐसा नहीं है, बल्कि श्री रमेश आर्य ठेकेदार द्वारा वर्ष १९७२–७३ में वर्क आर्डर के अन्तर्गत कार्य करने हेतु अनुबन्ध किया गया था, जिस कार्य को ठेकेदार ने विलम्ब से दिसम्बर, १९७४ तक किया।

जुलाई, १९७८ में एक पत्र जमानत की धनराशि रु० ७०० की वापसी हेतु शाखा कार्यालय में प्राप्त हुआ था जबकि जमानत की धनराशि वास्तव में केवल रु० ३२२ थी। चूंकि ठेकेदार द्वारा पत्र में दिये गये पते एवं शाखा कार्यालय में उपलब्ध पते और जमानत की धनराशि में भिन्नता थी एवं उसने आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भी नहीं दिया था, अतः भुगतान की कार्यवाही तत्काल करना संभव न हो सका। इस संबंध में ठेकेदार को सूचित कर दिया गया है और जैसे ही वांछित सूचना प्राप्त हो जायेगी भुगतान कर दिया जायेगा।

उपरोक्त स्थिति मे किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

२५—श्री मंजूर अहमद—

[४थे गुरुवार के लिए स्थगित]

जल निगम में अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति एवं श्री रामऔतार गंगवार को आयु सीमा में छूट न मिलना

२६—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ८ नवम्बर, १९७७ को पिछड़ी जाति की सेवाओं के लिए जाने हेतु आयु सीमा में जो छूट के आदेश प्रसारित किए गए हैं वह जल निगम की सेवाओं में भी लागू है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जल निगम में अवर अभियन्ता की नियुक्ति हेतु जो आवेदन-पत्र २० अक्तूबर तक प्राप्त हुए है और जिन पर नियुक्ति मेरिट के आधार पर अभी तक चल रही है आयु सीमा की छूट नहीं दी गई है ? क्या यह भी सही है कि राम औतार गंगवार, जिन्होंने ६७.१५ प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उन्हें नहीं लिया गया है और उनसे कम ६६ प्रतिशत अंक तक के प्रत्याशी सेवा में ले लिए गए हैं ? यदि हां, तो इस अनियमितता का क्या कारण है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां ।

जल निगम द्वारा दिनांक २० अक्तूबर, १९७७ तक आवेदन पत्र प्राप्त होने के बारे में विज्ञापन जारी किया गया था । अतः जिन पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र इस विज्ञापन के आधार पर प्राप्त हुए थे उन्हें आयु सीमा से छूट दिया जाना सम्भव न हो सका क्योंकि प्रश्नगत शासनादेश तात्कालिक प्रभाव से अर्थात दिनांक ८ नवम्बर, १९७७ से ही लागू किया गया था ।

यह सही है कि श्री राम औतार गंगवार को ६७.१५ प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे किन्तु विज्ञापन में निर्धारित तिथि १५ सितम्बर, १९७७ को उनकी आयु अधिकतम आयु २७ वर्ष से अधिक थी अतः उनकी नियुक्ति सम्भव न हो सकी । यह सही है कि उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई है ।

उपरोक्त स्थिति में किसी अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता ।

समाचार पत्रों के पत्रकारों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित गठित समिति की रिपोर्ट

२७—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि समाचार-पत्रों में काम करने वाले पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों की समस्याओं के सन्दर्भ में विचार करने के लिए कोई निपक्षीय समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा १९७७-७८ में गठित की गई थी ? यदि हां, तो अब तक कितनी बैठकें हुई और उसकी सिफारिशें क्या हैं ? समिति का अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

श्री रमाशंकर कौशिक —

जी हां,

समिति की ४ बैठकें हुईं । उसकी सिफारिशें शासन को प्राप्त हो गई हैं ।

समिति की सिफारिशें कर्मचारियों की बीमा योजना, ग्रेच्यूटी फंड, हितकारी कोष, नकदीकरण अवकाश का लाभ प्रदान करना, उनके उत्पीड़न पर रोक, क्षोभ निवारण प्रक्रिया निर्धारित करना, आवास सुविधा प्रदान करना एवं उनकी अन्य सेवा शर्तों मे सुधार करना आदि से सम्बन्धित हैं ।

प्रदेश के राजकीय तथा निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन न दिए जाने से संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान प्रदेश में लगभग १००० राजकीय नलकूपों तथा बड़ी संख्या में निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन न दिए जाने से गम्भीर संकट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । अकेले फैजाबाद मंडल में ६८ राजकीय नलकूप बन कर तैयार हैं । इन राजकीय व निजी नलकूपों के बी० एल० फार्म भी जमा किए जा चुके हैं तथा अन्य औपचारिकतायें भी पूरी की जा चुकी हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विद्युत विभाग जान बूझ कर नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने में लापरवाही बरत रहा है । जिसके फलस्वरूप प्रदेश में लाखों एकड़ भूमि नलकूपों के बावजूद असिंचित पड़ी है । इससे कृषि क्षेत्र के उत्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है तथा किसानों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि प्रदेश में सरकारी तथा निजी नलकूपों को जिनके बी० एल० फार्म जमा हो चुके हैं, विद्युत कनेक्शन देने की कृपा करें ।

हरदोई में शारदा सहायक से निकले बिलग्राम रजबहा में पानी न छोड़े जाने तथा भगरी नामक कीड़े के प्रकोप से फसलों को क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, हरदोई जिले के बिलग्राम तहसील के किसानों के समक्ष उत्पन्न संकट की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :--

शारदा नहर से निकले बिलग्राम रजबहा में महीनों से पानी नहीं दिया गया परिणाम स्वरूप जुलाई से बुआई के काम रुके पड़े है । चूंकि मैंने पत्र द्वारा सिंचाई मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था इसलिए अधिकारी जानबूझकर पानी नहीं छोड़ रहे हैं ।

जिन क्षेत्रों में बुआई हो गई है वहां भंगरी नामक कीड़ा फसलों को चाटे जा रहा है । लगभग २० किलोमीटर लम्बे और ४ किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में लगभग ३०० वन गायों के प्रकोप के कारण सदरपुर परसोला, रहुला गौरा बधियारी न्यौलो सरैया, हीरारोशनपुर सहित पचासों गावों में तीसरी बार रबी को बुआई करनी पड़ी है ।

इन समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए बिलग्राम रजबहा में पानी छोड़वाने भंगरी नामक कीड़े के प्रभाव को समाप्त करने तथा उक्त क्षेत्र में बनगायों को तत्काल पकड़वाने की व्यवस्था किए जाने की मांग करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देवरिया में तरकुलवा मण्डी के पास गन्डक नदी पर बनने वाले पुल के अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने से किसानों द्वारा प्रदर्शन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आपके माध्यम से निम्न लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। देवरिया जनपद में तरकुलवा, जनपद मण्डी जो सबसे बड़ी मण्डी है। यहां से बिहार एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को गल्ला जाता है। इसके ठीक पश्चिम के तरफ कुछ ही दूरी पर छोटी गण्डक नदी स्थित है। पुल के अभाव के कारण पश्चिम के नदी पार के स्थान--देसही, देवरिया, मुसहरी, हाटा गौरीबाजार, बल्टिकरा आदि का कोई सम्बन्ध तरकुलवा से नहीं हो पाता है। उक्त स्थानों को तरकुलवा जैसे महत्वपूर्ण व्यवसायिक एवं यातायात केन्द्र से जोड़ने हेतु शासन द्वारा लाखों रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पुल की स्वीकृति मिली। यह पुल नदी पर परासखाड़ गावों के पास निर्मित होना था। यहां से उस पार के उक्त स्थानों का सीधा सम्बन्ध तरकुलवा से हो सकता है। लेकिन गन्डक तृतीय वृत्त देवरिया के अधिशासी अभियन्ता, पुल को हटाकर अन्यत्र ले जा रहे हैं जिससे प्रभावित गांवों के किसानों में भारी असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है। इसके विरोध स्वरूप किसानों द्वारा जनसभा प्रदर्शन एवं प्रतीक अनशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसी भी क्षण स्थिति गम्भीर हो सकती है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं तत्काल सम्पूर्ण तथ्यों की अविलम्ब जांच कराकर पुल का निर्माण परासखोड़ के समीप छोटी गन्डक पर कराया जाय।

कानपुर में बिगड़ती हुई कानून व व्यवस्था की स्थिति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर महानगर गत कुछ माह से अपराधों का महानगर बन गया है। इस महानगर में हत्याएं, डकैती, राहजनी तथा छुरेबाजी आम बात हो गई है जिसके कारण जनसाधारण में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। गत एक वर्ष के अन्दर एक समय ऐसा भी आया जब केवल ९ दिन में २४ हत्याएं तथा २ माह के अन्दर १०० लूट पाट की घटनाएं हुई हैं। मृतकों में एक दर्जन ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। नवम्बर मास में नगर के अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पड़ी डकैतियों ने तो महानगर निवासियों को विशेष तौर से आतंकित कर दिया है। २० नवम्बर को रात्रि ८.३० बजे बांस मन्डी निवासी चमड़ा व्यापारी श्री मोहम्मद आकिल तथा इसके ठीक २३ घंटे बाद गांधी नगर निवासी रेलवे कर्मचारी श्री गोयल के घरों में सशस्त्र डकैतों ने घुसकर हजारों रुपए की नकदी एवं आभूषण लूट लिए। तीसरे दिन सिविल लाइन्स स्थित दयानन्द हंसमुखी गर्ल्स इन्टर कालेज के सामने श्री राम पाल सिंह को रिवाल्वर दिखाकर लुटेरों ने उनका सामान व नकदी लूट ली। कानपुर पुलिस की अक्षमता एवं अकर्मण्यता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि वह न तो इन डकैतियों को डालने वाले अपराधियों का पता लगा सकी है और न कुछ मास पूर्व कलेक्टरगंज गल्ला मन्डी के दो व्यापारियों के यहां पड़ी डकैतियों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़वाने में सफल हो सकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । इसी प्रकार २५ सितम्बर, १९७८ को जवाहर नगर निवासी श्री जनेन्द्र पाल सिंह के पुत्र बंटू को कुछ अपराधी तत्व दिन के २ बजे उनके दरवाजे से उठाकर ले गए किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस ने इन अपराधियों को खोजने में भी किंचित मात्र भी रुचि नहीं ली । अतः कानपुर महानगर की निरंतर बिगड़ती हुई कानून व व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मैं निम्नलिखित सुझाव इस विश्वास के साथ दे रहा हूं कि शासन इन पर तुरन्त कार्यवाही करेगा ।

१--कानपुर महानगर की जनसंख्या, विस्तार एवं अपराध स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स में वृद्धि की जाये ।

२--महानगर के जिन थानों में इन्सपेक्टर नहीं हैं उन्हें अपग्रेड करके इन्सपेक्टर नियुक्त किया जाय ।

३--राजेन्द्र नगर पुलिस चौकी सहित शहर की प्रमुख पुलिस चौकियों को थाने में दर्जा दिया जाये ।

४--कानून व व्यवस्था पर नियंत्रण रखने में निरन्तर असफल होते रहे अक्षम पुलिस अधिकारियों को कानपुर से अविलम्ब स्थानान्तरित किया जाये ।

५--प्रतिदिन सायंकाल सभी प्रमुख बाजारों तथा रात्रि में पूरे शहर में पुलिस गश्त की समुचित व्यवस्था की जाय ।

वाराणसी में धारा ३०१ के अन्तर्गत तीन विद्यार्थियों को जिले से बाहर निष्कासित किए जाने के विषय का नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं धारा ३०१ में वाराणसी जिले के तीन विद्यार्थियों को जिले से बाहर कर देने की आज्ञा के सम्बन्ध में सूचना देना चाहता हूं ।

जिले के अधिकारी ने तीन विद्यार्थियों को पिछले सप्ताह जिले से निष्कासित कर दिया है । जो अखबारों में समाचार छपा वह केवल यह आया कि वे लोग छात्र यूनियन के सम्बन्ध में सरकारी नीति का विरोध कर रहे थे । इन विद्यार्थियों में श्री विजय शंकर पांडेय, श्री राहुल श्रीवास्तव तथा कुछ अन्य लोग हैं जो कांग्रेस (आई०) के सदस्य हैं ।

मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में पूरा ब्योरा तत्काल हम लोगों को देने का कष्ट करेंगे ।

मेरठ स्थित डिप्टी इक्साइज कमिश्नर के कार्यालय को स्थानान्तरित करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मैं तीसरी बार पुनः मेरठ में स्थित एक भव्य इमारत जिसमें डिप्टी इक्साइज कमिश्नर का कार्यालय था दिनांक २९ फरवरी, १९७८ को रिटायर होने के पहले अवांछनीय रूप से डिप्टी इक्साइज कमिश्नर ने कार्यालय वहां से एक ऐसी जगह स्थानांतरित कराया जो उपयुक्त जगह पर नहीं है और इस भव्य भवन को स्वयं अपने कब्जे में कर लिए जाने की ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विष्णु प्रताप सिंह]

मैंने उक्त कार्यालय को शिफ्ट होने के पहले भी डिप्टी इक्साइज कमिश्नर के रिटायर होने के तीन माह पहले इस सदन के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कर दिया था किन्तु इस मामले में अभी तक कुछ न हुआ और न ही इसमें कुछ हो सकता है क्योंकि डिप्टी एक्साइज कमिश्नर रिटायर हो चुके हैं और न ही आज तक माननीय मुख्य मन्त्री जी से कोई संतुष्ट उत्तर प्राप्त हो सका है ।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले से सम्बन्धित सभी दोषी अधिकारी जैसे भूतपूर्व मुख्य सचिव, भूतपूर्व आबकारी आयुक्त, आबकारी सचिव, वर्तमान जिलाधिकारी, मेरठ, आयुक्त, मेरठ मण्डल, जिला पूर्ति अधिकारी, मेरठ अन्य सम्बन्धित अधिकारी जो इस मामले की साजिश में सम्मिलित थे, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय ताकि भविष्य में इस तरह के कार्य करने की हिम्मत न कर सकें । क्योंकि इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने में मेरा काफी समय लगा है ।

अतः मेरा आप से अनुरोध है कि मेरे उपरोक्त विषय पर अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करें ।

विविध विषय

(श्री रणजीत सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहांपुर)--

अध्यक्ष महोदय.....

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

इसको मैंने अनुमति नहीं दी । आप बैठिए ।

(व्यवधान)

(श्री जगदीश सिंह के खड़े होने पर)

आप बैठिए । मैंने आपको अनुमति नहीं दी ।

(श्री दीप नरायन के खड़े होने पर)

आपका यह व्यवहार अत्यन्त अनुचित है । आप बैठ जाइए । आप बैठिए कृपया । आप बैठ जाइए । आप कृपया बैठ जाइए । मैंने इजाजत नहीं दी है । यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । आप अपनी जगह पर बैठिए । मैंने अनुमति नहीं दी ।

अपनी जगह पर आप बैठिए ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष --

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री दीप नरायन --

आप हमारी बात नहीं सुनते हैं ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जाइए ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

एक निवेदन है, आप शासन पक्ष की कम से कम ४ नोटिस स्वीकार करते हैं हम लोगों की एक भी नहीं करते हैं ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठिए कृपया ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष --

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि नियम ३०१ पर जिस प्रकार से माननीय सदस्य व्यवहार करते हैं, मैं एक को अनुमति नहीं दूंगा अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे । प्रश्नों के बाद फिर चाहे एक घंटे, दो घंटे जिस समय जीरो अवर रहता है, एक साथ मिलकर कुछ भी कहिएगा । यह अनुचित है जैसा दीप नरायन जी ने कहा कि आप पक्षपात करते हैं ।

श्री दीप नरायन--

आप कहिए तो चले जायं सदन से ।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन का अपमान करते हैं, बैठ जायं ।

माननीय शारदा भक्त जी, अगर इस प्रकार का सदन में व्यवहार होगा तो मैं सदन स्थगित कर दूंगा । आप अपने पक्ष के सदस्यों को अनुशासित कीजिए वरना कार्यवाही में बंद कर दूंगा ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मोहर्रम पर सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष --

मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

हमारे यहां मुसलमान मारे गए हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, माननीय नेता विरोधी दल, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । श्री भगवती प्रसाद सिंह जी, आज यहां पर बहस चलने वाली है सांप्रदायिक एकता के बारे में, अलीगढ़ के सम्बन्ध में, फिर भी प्रत्येक प्रश्न को उठाकर सदन का समय आप लेते हैं, आप विरोधी पक्ष के लोगों के सम्बन्ध में बात करें ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री दीप नरायन--

मैं एक जानकारी चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जायं ।

श्री दीप नरायन--

आप बेकार नाराज होते हैं । विशेषाधिकार के सम्बन्ध में जानकारी मिलनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठिए । मुझे लगता है कि आप सदन के नियमों को तोड़ने के लिए संकल्प किए हुए हैं । अगर आप सदन में न हों तो मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित नहीं कर सकता । आपकी विशेषाधिकार का सूचना को कल ही मैंने अस्वीकार कर दिया ।

श्री दीप नरायन --

(एक अखबार दिखाते हुए ।)

इसमें है कि १० हजार हरिजन, मुसलमान मर जायेंगे । आपने अस्वीकार कर दिया । आप देख लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री दीप नरायन--

हरिजनों और १० हजार मुसलमानों को मार डालने की बात है । यह आक्षेप है इसका निस्तारण कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जायं ।

कल मैंने इस पर फैसला किया है, इसको मैंने अग्राह्य करार दे दिया है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, आप बैठें ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[× × ×]

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, आप बैठें ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[***]

श्री अध्यक्ष--

श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । मुझे लगता है कि सुन्दर लाल जी ने अभी कुछ सीखा नहीं है और वह पुराने रास्ते पर ही चल रहे हैं ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्री एच० एस० पाठक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री सत्य प्रकाश मालवीय, सदस्य, विधान सभा ने श्री एच० एस० पाठक, बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवसान के प्रश्न को उठाने की सूचना दी है ।

माननीय श्री मालवीय का कहना है कि इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र 'नार्दन इंडिया पत्रिका' के १० दिसम्बर, १९७८ के अंक में पृष्ठ ७ पर प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रतापगढ़ में ९ दिसम्बर, १९७८ को उक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य सरकार विचार कर रही है कि भविष्य में जूनियर कक्षाओं की परीक्षाओं का संचालन करने के लिये एक प्राथमिक शिक्षा परिषद् का गठन किया जाय । माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह एक नीति विषयक घोषणा है, जिसे सम्बन्धित मंत्री द्वारा पहले सदन में किया जाना चाहिये था । उक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह घोषणा सदन के बाहर करके सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है और उसका अवमान किया है ।

सूचना के साथ संलग्न समाचार पत्र के अनुसार उक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह कहा है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा परिषद् के गठन पर विचार कर रही है । यदि उन्होंने किसी शासकीय रहस्य का उद्घाटन किया है तो इसके सम्बन्ध में उनके विरुद्ध शासन द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है ।

माननीय मंत्रियों द्वारा भी नीति विषयक घोषणायें सदन के चलते समय सदन के बाहर करने पर सदन के विशेषाधिकार या उसकी अवहेलना का प्रश्न नहीं माना गया है । उसे केवल शिष्टाचार के विरुद्ध माना गया है । जहां तक उस अधिकारी का सवाल है तो उसके विरुद्ध शासन का कर्त्तव्य है कि वह उनसे जवाब तलब करे । इसलिये मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जो विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्षों ने बहुत सी अपनी रुलिंग दी हैं उनके विवरण में मैं नहीं जानना चाहता हूं लेकिन अनेक बार ऐसे अवसर आये हैं जब विधान सभा होते हुये चाहे मंत्री के अलावा और कोई अधिकारी हो यदि उसने नीति विषयक घोषणा किया है तो किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है। लेकिन सत्र रहते यदि अधिकारी कुचेष्टा करता है तो निश्चित मेरा निवेदन है कि इससे सारे सदन की अवमानना हुई है और विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।

श्री अध्यक्ष--

अधिकारी तो नीति विषयक घोषणा कर ही नहीं सकता है। घोषणा करना मंत्रियों का काम है और उनके बारे में यहां स्वयं आपके विरुद्ध भी एक बार विशेषाधिकार का प्रश्न आया था तब भी मैंने यह व्यवस्था दिया था कि यह औचित्य का प्रश्न है कि मन्त्रियों को जब सदन चलता हो तो नीति विषयक घोषणा सदन में करना चाहिये। यह तो अधिकारी हैं। तो कोई अधिकारी क्या करता है वह एक आचार संहिता का प्रश्न है। यह शासन का विषय है। यदि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो शासन इसमें कार्यवाही करेगा। इसलिये मैंने इसको अग्राह्य कर दिया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मंत्रिगण बैठे हैं इस सम्बन्ध में आश्वासन तो आ जाय। आपने तो निर्देश दे दिया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको शासन के पास भेज दूंगा वह देखेंगे कि इसमें कोई आचार संहिता का कहीं पर उल्लंघन तो नहीं हुआ है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आप ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं, शासन के मंत्रिगण यहां बैठे हैं। वे आप के निर्देश मानेंगे या नहीं मानेंगे इस सम्बन्ध में कम से कम आश्वासन तो दें।

श्री अध्यक्ष--

जो विशेषाधिकार का प्रश्न था वह उनके पास भेजा है। उसके बाद वह कार्यवाही से अवगत करेंगे।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, एक विशेषाधिकार की सूचना मैंने भी दी थी क्या आप के सामने नहीं आई ?

श्री अध्यक्ष--

उसे मैंने अभी नहीं देखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)--

मैंने एक विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उपस्थित किया था। आप कृपा करें.... ।

श्री अध्यक्ष--

वह देर से मिला, उसको मैं देखूंगा। मैंने अभी नहीं देखा है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

मेरा निवेदन है.....।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको नहीं ले रहा हूं.....।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

लेने से पहले सुन तो लीजिए कृपा कर.....।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस पर विचार नहीं किया है.....।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"।

मैं कहना चाहता हूं.....।

श्री अध्यक्ष--

मैं कहता हूं मैंने विचार नहीं किया है। आप बैठ जाइये।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

आप सुन तो लीजिए.....।

श्री अध्यक्ष--

मैं कहता हूं मैं नहीं ले रहा हूं। आप बैठ जाइये..... (व्यवधान).....।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

[***]

श्री अध्यक्ष--

मैं कहता हूं मैं नहीं ले रहा हूं। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"

[***]

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा.....।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

राकेश जी....

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"

[***]

श्री अध्यक्ष--

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें....

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

[***]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । मैंने कहा इस प्रश्न पर मैंने अभी विचार नहीं किया है ।

सदस्यों के भाषण के अंश को कार्यवाही से निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप कृपा कर सुनें । आप बार-बार यह कह देते हैं कि यह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा । यह आपका अधिकार है । हम यह कह रहे हैं कि इस सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया, नियमावली हो जानी चाहिए कि अशंसदीय बातों के सम्बन्ध में आप की आज्ञा इसी तरह की होगी या जो आप आज्ञा देंगे वहीं निकाल दिया जायगा क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा में आप देखें । अध्यक्ष, लोक सभा ने तमाम दलों के नेताओं, सदन के नेता, विरोधी दल के नेताओं को बुला कर के विवाद किया जब इस तरह का विवाद हो तो पूरी बात सुन लें और फिर क्या निकालना चाहिये और क्या नहीं निकालना चाहिये, इस पर विचार करना चाहिये ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस वक्त व्यवस्था का क्या प्रश्न है ।

माननीय श्यामधर जी ने जो प्रश्न किया है, उस पर कई बार व्यवस्था दी जा चुकी है । जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोलेंगे वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । जब मैंने कहा कि आपकी सूचना प्राप्त हो गयी है और अभी देखा नहीं । यह नियमावली में कोई आवश्यक नहीं है कि विशेषाधिकार की जो सूचनायें

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राप्त हों, उन पर मैं विशेषाधिकार की नोटिस देने वालों को सुनने का मौका दूं, उसी दिन रखूं या उस दिन न रखूं। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने विचार नहीं किया है, लेकिन मैं इसको ले लूंगा, मैंने अभी अस्वीकृत नहीं किया। उसके बाद मेरे बार-बार कहने पर भी वह बोलते चले गये, तो यह व्यवस्था की बात कहां ? यह तो अव्यवस्था की बात हुयी और वह किसी नियम के मुताबिक नहीं है। चूंकि यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है, इसलिये यह जो बोले, वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, जो आपने इस पर व्यवस्था दी है, उसका क्या होगा ? वह कार्यवाही का भाग होगा कि नहीं ? क्योंकि जब मूल प्रश्न ही नहीं रहेगा, तो व्यवस्था किस पर होगी ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो अंग है कार्यवाही का। अब, मैं समझता हूं कि तिवारी जी, इसके बारे में आपको ए० बी० सी० डी० पढ़ाना उचित नहीं समझता ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

लेकिन यह ए० बी० सी० डी० पढ़ाने से भी ज्यादा बात है।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन आप इतना तो मानते ही हैं कि आपको पढ़ाने-लिखाने में मेरा भी हाथ रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

लेकिन व्यवस्था की नीति के बारे में क्या कहना है ? मिश्रा जी ने जो प्रश्न पूछ दिया है, उस पर क्या कहना है ? जहां तक नियमावली का सवाल है, अध्यक्ष को केवल यह अधिकार है कि वह बता दे कि यह संसदीय है यह संसदीय नहीं है। जो वाक्य असंसदीय हैं, अनपार्लियामेंटरी हैं, अध्यक्ष को केवल उनको कार्यवाही से निकालने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--

कोई बिना इजाजत बोले तो वह नियम के विरुद्ध हुआ। नियमों में लिखा हुआ है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की इजाजत के बिना नहीं बोलेगा। अध्यक्ष जिसको बुलायेगा, वही बोलेगा। तो अगर वह बिना इजाजत है, तो वह कार्यवाही का भाग नहीं हो सकता।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि समय के अन्दर नहीं प्राप्त हुयी....

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह तो नहीं कहा कि समय के अन्दर प्राप्त नहीं हुयी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि जो सदस्य सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग करें, नियम है कि उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय । लेकिन पूरे के पूरे भाषण को कार्यवाही से निकाल देना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

बिना इजाजत के जब कोई बोलता है, तो वह कार्यवाही का अंग कैसे होगा, सवाल यह है ? वह तो कार्यवाही का अंग हो हो नहीं सकता ।

अब हम आगे चलते हैं ।

प्रदेश में नहरों के निर्माण कार्य रुक जाने से किसानों में असंतोष के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, वक्तव्य कल रख दें क्योंकि प्रतिलिपि तैयार नहीं हो पायी ।

बलिया में राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से एक छात्र की कुचल कर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में स्वीकृत वक्तव्य शीघ्र दिलाये जाने की मांग

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न है ।

कल माननीय गृह मंत्री जी को वक्तव्य के लिये निर्देश दिया था । मान्यवर, वह वक्तव्य शीघ्र दिलवा दें ।

अध्यक्ष--

मैं निर्देश दे चुका हूं । लेकिन सरकार ने सूचित नहीं किया कि वह वक्तव्य कब देंगे ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, बलिया में बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है । जब सारा मामला बिगड़ जायेगा तो उससे क्या लाभ ? सूचना इसीलिये दी जाती है कि तत्काल कार्यवाही की जाय । मान्यवर, फिर गृह मंत्री जी से आग्रह करें कि तत्काल वक्तव्य दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने निर्देश दे दिया है । बलिया के सम्बन्ध में कहा है कि स्थिति से अवगत करायें ।

(राजस्व मंत्री से)

यह आज (राजस्व मंत्री से) सूचना प्राप्त हुई या कल, कृपया यह बतला दीजिये कि कब तक इस पर वक्तव्य हो सकेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

डिप्टी इक्साइज कमिश्नर कार्यालय के स्थानान्तरण पर जांच के लिए समिति गठित किये जाने की मांग

डिप्टी इक्साइज कमिश्नर कार्यालय के स्थानान्तरण पर जांच के लिए समिति गठित किये जाने की मांग

श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, नियम ३०१ के अन्तर्गत जो मैंने सवाल उठाया था डिप्टी एक्साइज कमिश्नर के कार्यालय के विषय में, यह आज दूसरी बार हो चुका, कोई सही उत्तर नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

कोई समिति आप गठित कर दें ताकि वह समय-समय पर जांच कर सके ।

श्री अध्यक्ष—

कमेटी गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

आपके बार-बार कहने पर भी सरकार उत्तर नहीं देती, अफसोस इस बात का है । मुख्य मंत्री जी कोई सही जवाब नहीं दे रहे ।

श्री अध्यक्ष—

नियम ३०१ की सूचना है, वह मुख्य मंत्री जी के पास मिलेगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

यह कार्यवाही का अंग होगा कि नहीं, जो अभी बात हुई, क्योंकि यह भी बिना अनुमति के ही बोले हैं ।

एक सदस्य—

अध्यक्ष की अनुमति से बोले हैं । अध्यक्ष जी, यह आज आपके कक्ष में गये थे कि नहीं ?

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, के निर्वाचन के लिये

[श्री अध्यक्ष—]

निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :—

नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्त की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक २६ दिसम्बर, १९७८ को ४ बजे अपरान्ह तक ।
सूक्ष्म-परीक्षा की तिथि तथा समय	दिनांक २६ दिसम्बर, १९७८ को ५ बजे अपरान्ह (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)
नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ को ४ बजे अपरान्ह तक ।
मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	दिनांक ३० दिसम्बर, १९७८ को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से ५ बजे अपरान्ह तक विधान मण्डल पुस्तकालय विधान भवन लखनऊ में होगा ।

उपर्युक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व से सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट) द्वारा किया जायेगा ।

दिल्ली में होने वाली किसान रैली के लिये अधिकारियों द्वारा रुपया इकट्ठा किये जाने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

यह एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना सर्वश्री श्यामधर मिश्र, ऊदल, राम आसरे वर्मा, रियासत हुसैन, बच्चा पाठक, मंजूर अली खां, मकबूल अहमद, देव बहादुर सिंह, मंजूर अहमद, अजीत सिंह सेठी तथा यशपाल सिंह ने दिया है, जो २३ दिसम्बर, दिल्ली में होने वाली किसान रैली के लिये जिले के अधिकारियों द्वारा रुपयों को इकट्ठा किये जाने के फलस्वरूप व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, इसकी ग्राह्यता के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में हमें यह विवाद नहीं है कि कोई रैली होती है या नहीं होती है उससे हमें कोई मतलब नहीं । वह सरकारी रैली नहीं है हमारे प्रान्त में वह रैली नहीं हो रही है । दिल्ली में २३ तारीख को यह रैली हो रही है । हम लोगों ने नियम ५६ में जो यह विवाद मांगा है उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में मैं जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि यह सरकारी रैली नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा तन्त्र और मन्त्रीगण पूरे तरीके से इसमें लगे हुए हैं इस सम्बन्ध में चन्दा इकट्ठा करने में उसको क्रियान्वित करने में और उसमें समय देने में । एक बात और कहना चाहता हूं कि १६ से २५ तक सदन नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष —

यह तो सदन का निर्णय है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिल्ली में होने वाली किसान रैली के लिये अधिकारियों द्वारा रुपया इकट्ठा ७१७
किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री श्यामधर मिश्र —

मैं नहीं जानता क्यों वह हो रही है लेकिन मेरा अनुमान है

(व्यवधान)

एक सदस्य--

रली कोई सरकारी योजना थोड़े ही है । उस पर चर्चा कैसे हो सकती है ?

(व्यवधान) ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

ये किसान विरोधी बातें करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री भान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

सरकारी रैली की जा रही है...

श्री अध्यक्ष --

मैंने श्री श्यामधर को बुलाया है । आप लोग मेहरबानी करके अपनी-अपनी जगह पर बैठें । वह काम रोको की ग्राह्यता पर बोल रहे हैं । उस पर मैं निर्णय करूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र---

पता नहीं क्यों उत्तेजित हो जाते हैं ये लोग । मेरा निवेदन है कि ये बोलना तो जानते हैं लेकिन सुनना नहीं जानते । सुनना सीखें । १६ से २५ तक क्यों स्थगन हुआ, उसके कारण मन्त्री जी ने नहीं बतलाया, लेकिन मेरा अनुमान यह है ...

वित मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

कार्य-मंत्रणा समिति में खुद इन्होंने प्रोपोजल रखा था ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मैं उन बातों को यहां नहीं लाना चाहता। मैं तो यह कह रहा हूं कि १६ से २५ तक स्थगन क्या इसलिये किया गया है कि इस दरमियान रैली हो ? (व्यवधान) सरकारी धन का दुरुपयोग होगा, इसमें यह इस तरह निश्चित है, तात्कालिक है और अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है : इसको ग्राह्य होना चाहिये । कल सहकारिता मंत्री अनुपस्थित थे और वित्त मंत्री जो सहकारिता से सम्बन्धित जो विधेयक था उसको उन्होंने पारित कराया । मेरा अनुमान है कि वह चन्दा लेने गये थे, अखबार में छपा हुआ है, वह उसके बड़े पोषक हैं । रैली के हम भी कोई विरोधी नहीं हैं लेकिन इस तरह से सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग होना, उसके सम्बन्ध में चर्चा होना चाहिये, यह मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष---

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर) आप एक बात सुन लें यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आरोप है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसके लिए विषय है और सरकार भूल करती है तो उसके लिए आप प्रस्ताव ला

[श्री अध्यक्ष--]

सकते हैं अविश्वास का या भर्त्सना का लेकिन यह जो काम रोको प्रस्ताव है आप बतलाइये कि यह कैसे ग्राह्य है। प्रक्रिया नियमावली के उप-नियम ५८ (७) में ? जबकि आप कोई भी प्रस्ताव ला सकते हैं कि सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है इसलिए सरकार पर हमें अविश्वास है या सरकार की भर्त्सना हम करते हैं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह आपका कहना सही है।

श्री मधुकर दिघे--

आज गैर सरकारी दिवस है।

श्री रियासत हुसैन--

नहीं है। निश्चित विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है। सरकार ने तो पूरे १५ तारीख से २६ तारीख तक सदन का कार्यस्थगन कर दिया इस रली के लिए। अगर आप इसका स्वीकार कर लें तो ४ बज इस रैली पर समय ले लीजिये जिसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे श्री रमाशंकर कौशिक मन्त्री जी का मुझे प्रोग्राम मिला है १५ तारीख से २० तारीख तक मुरादाबाद के ८० गांवों का उनका टूर है तो शायद इसी तरह सभी मन्त्रियों ने अपने-अपने क्षेत्र में एक सप्ताह का ८० और ६० गांवों का प्रोग्राम बनाया होगा। चूंकि वह क्षेत्र जो है वह बिल्कुल दिल्ली से मिला हुआ है वहां से पैसा और आदमियों का प्रबन्ध करना है ठीक है हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह रैली कोई आफिसियल रैली जनता पार्टी की नहीं है इसका झंडा अलग है। शासन दल में भी इसके ऊपर विवाद है। पूरे प्रदेश के शासन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अधिकारियों और जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप इसको कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार कर लें तो आज उसके ऊपर चर्चा होगी उसमें सरकार की तरफ से रूपरेखा रखी जायेगी जो जनता के सामने आयेगी।

* श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

यह जो कामरोको प्रस्ताव है इसमें प्रश्न यह नहीं है कि रैली हो या न हो। श्रीमन्, माननीय चरण सिंह जो इस सदन के नेता भी रहे हैं और विरोधी दल के नेता भी रहे हैं। इस प्रदेश में उनका एक अपना बहुत बड़ा स्थान रहा है। अब वह देहली की राजनीति में केन्द्रस्थ हैं। उनका जन्म दिन मनाया जाय इसमें किसको आपत्ति हो सकती है ? हमारी शुभकामनायें हैं कि उनका जीवन दीर्घायु हो। प्रश्न यह नहीं है कि रैली न हो लेकिन उसमें सरकारी साधनों का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं यह प्रश्न है चौधरी चरण सिंह जो खुद कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि इस तरह रैली हो। पिछले वर्ष रैली हुई थी जिसमें १२८० ट्रक बिना परमिट के दिल्ली में चालान हुए। खुद देहली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वह जो रैली है इसमें १२८० गाड़ियां बिना परमिट के देहली में आई। जब चौधरी साहब को मालुम हुआ तो उन्होंने कहा यह नहीं होना चाहिये।

देहली के बाहर, शाहदरा के बाहर। तो प्रश्न यह है कि . . .।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिल्ली में होने वाली किसान रली के लिये अधिकारियों द्वारा रुपया इकट्ठा किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी, आप इसकी ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी यह घोषणा की है जैसा कि समाचारपत्रों में निकला है कि वह उसमें भाग लेंगे । लेकिन उनके कामरोको प्रस्ताव में यह है कि क्या सरकारी साधनों का उपयोग रैली के लिए, चन्दे के लिए हो रहा है या नहीं ...

कुछ सदस्य--

नहीं हो रहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

किन्तु जो हमारी जानकारी है उसमें है । तो ग्राह्यता के सम्बन्ध में इसमें केवल एक विषय है कि क्या इस रैली के लिए चरण सिंह की मर्जी के खिलाफ, उनकी घोषणाओं के खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि माननीय श्रम मंत्री का सरकारी प्रोग्राम निकला है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें, इससे कोई लाभ नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, आप स्वयं इतने राजनैतिक सम्मेलनों में गये हैं, जब आप जाते थे, आल इंडिया कांग्रेस में जाते थे, आप सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने किराये पर जाते थे और दूसरे माननीय सदस्य भी ऐसा ही करते थे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें । माननीय नेता सदन यह बात अनुचित है कि आपके दल के सदस्य इस तरह से व्यवधान डालते हैं । ऐसे में आपका कर्त्तव्य है कि आप अपने दल के सदस्यों को अनुशासित रखें । आपकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप अपने विचार रख सकते हैं और अभी मैंने इस पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया है । कुछ भी हो, जिससे आपका मतभेद हो--नेता विरोधी दल की बात भी तो ध्यान से सुननी चाहिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हमारे माननीय सदस्य बरेली --चेतराम जी कह रहे हैं कि कलेक्टर तक को चन्दा एकत्र करने को कहा जा रहा है । (व्यवधान) तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं इस कामरोको प्रस्ताव में यह प्रश्न है कि सरकारी मशीनरी का, सरकारी गाड़ियों का, मिनिस्टर्स की गाड़ियों का इस्तेमाल रैली के लिए हो रहा है या नहीं ? क्या स्थिति है ?

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुख्य मन्त्री के इस बारे में क्या आदेश हैं, उनकी क्या नीति है ? आज भी मंत्रिमंडल के कम से कम १५ मंत्री यहां नहीं हैं । वे जिलों के दौरे पर गये हैं । वह मंत्रियों के नाते तो दौरे नहीं कर रहे हैं ? जनता पार्टी के सदस्य के नाते कर रहे हैं, तब तो ठीक है, यह ब्योरे का कार्यक्रम नहीं छपा है । लेकिन अगर उनका शासकीय दौरा घोषित है तो किस प्रकार आप कह सकते हैं कि दुरुपयोग नहीं है। इसलिए अगर कोई हमने गलत परम्परा कायम कर रखी है, स्वच्छ परम्परा कायम करने का संकल्प मैनिफेस्टो में आपने लिया है । आप स्वच्छ परम्परा कायम करें । एक नया उदाहरण कायम करें । इसलिए इसका महत्व है और तात्कालिक है । कोई व्यक्तिगत बात नहीं है । इस किसान सम्मेलन और रैलियां करें । हमें शिकायत है कि हमें निमन्त्रित नहीं किया गया है ।

*मुख्य मन्त्री (श्री रामनरेश यादव)—

मान्यवर, वास्तव में असलियत यह दिखायी पड़ती है कि तिवारी जी इस कला में बड़े प्रवीण रहे हैं । इसी लिए उनके मन में इस प्रकार की शंका, आशंका हो रही है । होना भी स्वाभाविक है । लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि अगर विपक्ष के नेता की हैसियत से तिवारी जी कोई इस तरह की बात कहेंगे तो हमारे जो सदस्य अनुशासित हैं उनकी भावना को अवश्य ठेस लगेगी । इसलिए जिस प्रश्न को तिवारी जी ने उठाया और भी सदस्यों ने कहा, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकारी खर्चे की कोई इस्तेमाल इस काम के सिलसिले में नहीं हो रहा, न तो होगा । यदि मंत्री हमारे दौरा करते हैं, तो मन्त्री हैं, तो सरकारी कार्यों और जो लोकहित के कार्य हैं उनके सम्बन्ध में दौरा करते हैं । आज यहां पर सदन में काफी मंत्री नहीं हैं । विधान परिषद् की बैठक चल रही है । वहां पर भी मंत्री लोग हैं । इसलिए यह निष्कर्ष निकालना कि आज नहीं हैं, उस कार्य में लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि तिवारी जी की भूल है । उनके मन में जो शंका है वह निराधार है । कहीं भी इस तरह का न कोई प्रयोग हो रहा है, न हिदायत है, न प्रयोग करने दिया जायगा । यह मैं सदन को बताना चाहता हूं ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल एक बात कही । मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्होंने कहा कि विधान परिषद् चल रही है । उसमें कुछ मंत्री हैं, कुछ मंत्री यहां हैं । आप कृपया स्वयं पता लगा लें, कितने मंत्री दौरे पर हैं, कितने विधान परिषद् में गये हैं । उनके दौरे का कार्यक्रम कार्यालय में है । कमसे कम १५ मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री आज दौरे पर हैं ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष —

(श्री देवबहादुर सिंह के खड़े होने पर) श्री श्यामधर जी बोल चुके हैं ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मैं ग्राह्यता पर बोलूंगा । मान्यवर, यह लोक महत्व का विषय है । हमने देखा है कि जिलों में, जो मंत्रिमंडल है, इसको एक घटक के मंत्रियों को, जिला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बांट दिया गया है । जितनी ट्रक और बसें हैं उन्हें जबरदस्ती यहां से व्यक्तियों को ले जाने के लिए आदेश अन्दर-अन्दर किये गये हैं । जबरदस्ती पैसा लिया गया है । इस सरकार के घटकों के मातहत बांट दिया है अफसर, दरोगा, कलेक्टर, घूम-घूम कर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं । मजबूर कर रहे हैं कि वाहन बुलाएं और लोगों को दिल्ली ले जाएं । यह बड़ा आपत्तिजनक है । इसलिए निवेदन है कि आप सदन की कार्यवाही स्थगित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का हुक्म लोगों को आदेश दें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

सबसे ज्यादा हमारा जनपद हरदोई रौंदा जा रहा है । आप हमको मौका नहीं दे रहे हैं । थोड़े दिन पहले छः छः मंत्री किसान सम्मेलन के मंच से वहां पर बोले । माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि साधनों और पदों का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है ।

वहां पर कुछ ऐसे भाषण हुए कि स्थिति अनियंत्रित हो गई । प्रशासन ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको नियंत्रित किया । लेकिन वह चाहते थे कि प्रशासन वहां के लोगों पर लाठी बरसाये । जब प्रशासन ने नहीं माना तो यह उल्टा सीधा कह कर चले आये । जहां तक किसान सम्मेलन का सवाल है मैं उसका पक्षपाती हूं । आप उसको करें । लेकिन साथ ही साथ माननीय तिवारी जी के बारे में जो कह रहे हैं । कुछ दिन बाद आपके और तिवारी जी के एक मंच पर आकर खड़े होने की बात चल रही है । साधनों का और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इस कारण काम रोक कर इस पर चर्चा की जाय ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

राजनीति में तो यह होता ही है । आप श्रीमन् कहां थे और कहां चले गये तिवारी जी से इसका मेलजोल होगा तो मैं यह सही नहीं समझता ।

श्री मधुकर दिघे--

रामआसरे जो भी मिलते हैं ।

श्री अध्यक्ष --

नियम ५८ के उप नियम (७) के अनुसार प्रस्ताव का कोई विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके । मेरा उद्देश्य इसके गुण दोषों पर व्यवस्था देना नहीं है लेकिन आपका जो अभियोग और शिकायत है वह शासन के विरुद्ध है । यह विषय काम रोक कर बहस का नहीं हो सकता । जैसा मैंने पहले कहा, सरकार के विरुद्ध शिकायत है तो उप नियम (७) में जैसा कि निर्देश है आप कोई संकल्प ला सकते हैं, भर्त्सना का । इसलिए मैं इसको अग्राह्य करार देता हूं ।

अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में चर्चा

*मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)--

मान्यवर, यह आज जो अलीगढ़ में सांप्रदायिक परिस्थिति से उत्पन्न और उसकी रोकथाम के ऊपर चर्चा रखी गयी है यह बहुत ही आवश्यक थी । यह इसलिए और भी आवश्यक थी कि आज यह प्रश्न केवल शासक दल का ही नहीं

* कला नेभाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री रामनरेश यादव]

बल्कि पूरे देश का और समाज का है । यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न बन गया है । इसलिए इस प्रश्न को माननीय सदस्यों को बहुत गम्भीरता के साथ लेना चाहिये और बिलकुल कर इस प्रकार का हल ढूंढना चाहिए ताकि आज जो हम सब लोग इस प्रकार के प्रश्नों से चिन्तित रहते हैं भविष्य में उनसे प्रदेश को बचा सकें । इसलिए इस अवसर पर मैं समझता हूं कि अलीगढ़से सम्बन्धित जो सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा सदन के सामने आ जानी चाहिए । मैं जानता हूं कि सदन के सभी सम्मानित सदस्य अलीगढ़ की घटना से पूर्ण रूप से परिचित हैं। वास्तव में इस घटना का सूत्रपात हुआ अखाड़े की एक घटना को लेकर जो १२-१-७८ को अखलेश्वर के मेले में हुई । उस अखाड़े में जो निर्णय हुआ उसको लेकर उत्तेजना फैली, वातावरण इलाके मे अशान्त रहा, वहां तनाव था । उस तनाव को समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन ने जो भी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए थे, उठाये । लेकिन दुर्भाग्यवश वह तनाव कुछ ऐसा बढ़ता गया, कुछ अवांछित तत्वों ने समाज के उन लोगों ने जिनके मन में हिंसा का भावना थी, उस बात को लेकर एक घटना जो आगे घटी कि एक भूरा नामक व्यक्ति को छुरा मारा गया, रात को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में ५-१०-७८ को २.३५ पर उसका देहान्त हो गया उस समय उसकी लाश को वहां से कुछ लोग ले गये, परिणाम....

श्री बेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

किसने ले जाने दिया ?

श्री राम नरेश यादव--

कुछ दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनायें घटीं और वहीं से अन्त नहीं हुआ । करफ्यू भी लागू रहा पुलिस की पेट्रोलिंग भी शुरू थी, सारी व्यवस्था की गयी । लेकिन कुछ ऐसी घटनायें होती रहीं जो शर्मनाक रही हैं । इसके पश्चात् पुनः ६-१ को एक होटल में एक ही सम्प्रदाय के दो व्यक्तियों में कुछ झगड़ा उत्पन्न हुआ और वहां से दोनों व्यक्ति नगर में दूसरी तरफ भागना शुरू किया । अफवाह फैली कि एक सम्प्रदाय के व्यक्ति ने दूसरे सम्प्रदाय पर प्रहार किया है, चाकू से । वातावरण शहर का उत्तेजित हो गया और उसके परिणामस्वरूप कुछ घटनायें ऐसी घटीं । करफ्यू लागू था । ४८ घंटे के बाद करफ्यू हटाया गया, उसमें कुछ कमी की गयी और हटने के पश्चात कुछ इस तरह की घटनायें हुई जिसमें कुछ लोगों के मकान जले गोली चली और गोली चलने पर कुछ लोग मरे और वह भी दुखद घटना रही । इस तरह से एक आध कुछ ऐसी छोटी मोटी घटनायें साम्प्रदायिकता का रूप धारण कर लेती हैं जिससे बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है । ठीक यही बात अलीगढ़ में लागू होती है । दो छोटी घटनाओं को लेकर किस तरह तनाव फैला । अब करफ्यू में ढील दी जा रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न ऐसा है कि यहां पर हम और आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए सारे प्रश्नों पर जो उत्पन्न हुए । कौन लोग दोषी हैं और किस तरह से यह स्थिति पैदा हुई । इन सारे प्रश्नों का विवरण करने के लिए शासन की तरफ से, सरकार की ओर से जुडीशियल इन्क्वारी की घोषणा की जा चुकी है और उस सम्बन्ध में जो उनके लिए स्टाफ, अधिकारी और कर्मचारियों की बात है उसका भी सारा प्रबन्ध, सारी प्रक्रिया और बातें पूरी हो चुकी हैं । २-३ दिन के अन्दर किस तरह से साक्ष्य में उपस्थित होगा और क्या प्रक्रिया होगी उसकी भी घोषणा जज की तरफ से हो जायेगी ।

जहां तक शासन का सवाल है प्रदेश में जहां पर इस तरह की बात है हर जिला केन्द्रों पर जो प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं जिला प्रशासन के उनको कड़े निर्देश दिये गये हैं। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों के मकान जले हैं जिन लोगों को चोट आयी है, उनको ध्यान में रखकर उनके परिवार को ५ हजार रुपया की धनराशि स्वीकृत की गयी है और कुछ को दी भी गयी है। जो घायल हैं उनको ५ सौ रुपये की घोषणा की गयी है। कुछ को दिया गया है और बाकी लोगों को दिया जायेगा। जिनके मकान जले हैं, उनकी क्षतिपूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनको राहत पहुंचाने के लिए कि वह इस लायक हो सकें कि अपने मकान बना कर खड़े हो सकें, पूर्ववत् स्थिति में आ सकें शासन उनके सहयोग की दिशा में प्रयत्न करेगा। कुछ धनराशि बांटी भी गयी है, असेस्मेन्ट भी हो रहा है और इस सम्बन्ध में जो आवश्यक सहायता हो सकेगी सरकार करेगी और इतने से ही मामला हल हो जाने वाला नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न केवल हिन्दू-मुस्लिम के नाम से ही नहीं बल्कि राष्ट्रीयता के नाम से भी है। सब लोग प्रेम से रहें, कहीं पर इस तरह की स्थिति न आये, इस बात का भी ध्यान सबको रखने की आवश्यकता है।

मैं सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि उस सद्भावना को बनाये रखने में सब लोग सहयोग करेंगे और अपने विचारों को प्रकट करेंगे। कोई उत्तेजनात्मक भाषण यहां पर नहीं होना चाहिए। जिस भावना को लेकर हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं जो आप अपने विचार रखेंगे, उसमें यह सब बात आनी चाहिए। यह एहसास न हो सके कि आज सदन के अन्दर ऐसी बातें हुई हैं कि जिससे इसकी प्रतिक्रिया और स्थानों पर पहुंचे। जहां तक इस सरकार के द्वारा कदम उठाने का सवाल है मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात में कभी भी विश्वास नहीं करती, माइनारिटी के प्रति किसी भी तरह का कोई सुनियोजित अन्याय उसके साथ न हो सके। मैं चाहता हूं कि जो अधिकार उनको मिले हैं, उनमें कहीं भी किसी प्रकार की कटौती सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। माइनारिटी कमीशन की नियुक्ति शासन के इतिहास में पहली बार हुई है। माईनारिटी कमीशन का आयोग अलीगढ़ गया था, वहां पर लोगों से बात हुई थी। जो संस्तुतियां आई हैं उन पर शासन विचार कर रहा है। आज इस अवसर पर जब कि सारे विवाद के बिन्दु आयोग के विचाराधीन हैं। अब तक जो आयोग नियुक्त किए जाते रहे हैं या उनकी संस्तुतियों के आने के पश्चात् अगर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, आयोग जिस निर्णय पर पहुंचेगा, शासन अपने को पीछे नहीं रखेगा क्योंकि यह मानवता के नाते सबकी जिम्मेदारी है, मानव का अधिकार सुरक्षित रहे, यह सबकी जिम्मेदारी है और शासन की विशेष रूप से जिम्मेदारी है कि उसको देखे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमने इस बात को ध्यान में रख कर कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण की तरफ से हमने एक मीटिंग भी बुलाई है जोकि जनवरी के अन्त तक होगी। मैंने १५ जनवरी की तारीख भी रखी है। मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के लोग तथा और भी जो विचारक लोग हैं, उसमें वह आवें ताकि साम्प्रदायिकता का जो रोग दिखाई पड़ता है, जो अंग्रेजों ने पहले बोया था, उसको समाप्त कर हमारे और आपका उसके लिए महत्वपूर्ण कर्त्तव्य हो जाता है कि उसमें सम्मिलित होकर अपने विचार रखें। इसलिए मैंने विरोधी दल के लोगों तथा और भी लोगों की मीटिंग बुलाई। उसमें आशा है आप सबका सहयोग मिलेगा।

[श्री राम नरेश यादव]

जहां तक गिरफ्तारियों का सवाल है उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा जायगा । जो भी किसी के साथ अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई है, जांच हुई है और तफतीश भी हो रही है और जहां पर भी दोषी पाये गये हैं, उनके चालान भी हुए हैं और इस तरह से आज तक ५३१ लोग जेल के अन्दर बन्द हैं । इस बात को ध्यान में रख कर कि अवांछनीय तत्व बाहर न रहने पायें और शत्रु बनकर समाज को हानि और साम्प्रदायिकता की आग न भड़काने पायें, यह बात सरकार के ध्यान में है । इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है । राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न होने के नाते आप सब लोग जो अपने विचार रखें, कहीं पर उत्तेजना की बात न हो, क्योंकि यह सेंशेशनल, संवेदनशील, जो भी विचार आपके आयेंगे वह समाचार-पत्रों में छपेगा और छपने के पश्चात् उसकी प्रतिक्रिया दूसरे लोगों के प्रति होगी । इसलिए आपके मन में जो बात, जिसे लेकर आप बैठे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभा माननीय सदस्यों से, अपने माननीय सदस्यों से कि सारे प्रश्नों के हल करने का ख्याल है । माइनारिटी कमीशन उन पर बहुत अच्छी तरह से विचार कर रहा है । जो भी संभव कदम होंगे, उन्हें उठायेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं सभी विरोधी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है इसलिए आप सब लोग बड़ी सद्भावना के साथ अपने विचारों को रखेंगे ताकि किसी के प्रति कटुता का भाव न उत्पन्न हो और जब आप इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो वहां सारे प्रश्नों के हित को राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुये विचार करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न पर बहुत से लोग बोलने वाले हैं । उस रोज सदन में मैंने यह घोषणा की थी कि सब नेताओं से मिलकर यह निश्चय किया जायगा कि बहस किस प्रकार से हो, कब हो । तो सब नेताओं ने तय किया था कि पहले नेता लोग अपने विचार प्रकट करें और यह काम रोको प्रस्ताव सर्वश्री ऊदल, श्यामधर जी ने पेश किया था कुछ और लोग भी थे । तो समय का ध्यान रखें और मैं माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि इसमें अन्य लोगों के लिए १५ मिनट का समय है, वह २० मिनट में कृपया समाप्त करें ।

एक सदस्य--

कुल कितना समय एलाट किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

आज दिन भर, आज पूरा दिन ।

एक सदस्य--

सदस्यों को कितना दिया ?

श्री अध्यक्ष--

१० मिनट से ज्यादा नहीं ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, आज यह हमारा दुखद दायित्व, अवश्यंभावी रूप से हमें यह निभाना पड़ रहा है कि हम एक ऐसी समस्या और एक ऐसी निरन्तर रूप से चलती हुई घटनाओं पर विचार करें कि जिससे हमारे प्रदेश और देश का जनजीवन आंदोलित है, दुखी है, और प्रशासन भी कुंठाग्रस्त है। जनजीवन भी त्रस्त है और अगर हम इस भावना को निर्मूल नहीं कर सके तो भविष्य में हमारी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होने का भय है। श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी से मुझे अपेक्षा थी कि उन्होंने विशेष इस बात की चेष्टा की कि वह एक संतुलित भाषा का प्रयोग करें। अगर वह केवल राजनीतिक नेता के रूप में यहां बैठे होते तो जो उन्होंने अभी अपना वक्तव्य दिया है, सामान्य रूप से हम उससे संतुष्ट होते।

श्रीमन्, वह राजनीतिक नेता मात्र नहीं हैं, वह मुख्य मंत्री हैं। हम उनसे अपेक्षा करते थे कि वह एक सामान्य रूप से कही जाने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में भाषा के स्थान पर वह कुछ ठोस कार्यवाही हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते कि आखिर उन्होंने कहां तक कदम उठाये हैं। श्रीमन्, उन्होंने बार-बार एक कमीशन का उल्लेख किया कि कमीशन बैठा है, उसके निर्णय की हम प्रतीक्षा करेंगे। श्रीमन्, यह कहीं प्रशासन का नियम नहीं है कि हमने आयोग बैठा दिया है और हमारा काम खत्म हो गया है। श्रीमन्, कितनी गम्भीर घटना है कि आज २ महीने और आठ दिन हो गये हैं। २ महीने ८ दिन से लगातार, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अलीगढ़ जैसे बड़े शहर में जहां अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय हो वहां २ महीने ८ दिन से करफ्यू बना है। आज भी सुबह न्यूज में पढ़ते है कि वहां बम और हथगोले चल रहे हैं और लोग मर रहे हैं। २ महीने ८ दिन में उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के झगड़े नहीं हुये हैं और उसके बाद कहते हैं कि कमीशन बिठा दिया है और कमीशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, यह मुख्य मंत्री के लिये शोभा नहीं देता है।

मैं भी मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाऊं और सभी सम्मानित सदस्यों को, आपके माध्यम से कि विरोधी दल का और हमारी, विशेष रूप से कांग्रेसी विचारधारा के मानने वाले लोगों की, परम्परा गणेश शंकर विद्यार्थी से प्रेरित है जिन्होंने साम्प्रदायिकता से लड़ते-लड़ते अपने जीवन की आहुति दे दी। इसलिए हमारी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी से प्रेरित है कि जिन्होंने इस प्रकार की भावना से लड़ते-लड़ते अपना जीवन दे दिया। इसलिए मैं मुख्य मंत्री को आश्वास्त करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता, धार्मिकता से लड़ते-लड़ते प्रजातांत्रिक विचारधारा में जो कार्यकर्त्ता विश्वास करते हैं वह कभी भी अलीगढ़ जैसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकते हैं। वह जीवन भर इसी आधार पर लड़ते और संघर्ष करते रहे हैं। तो मेरी आज यह मंशा नहीं हो सकती है कि जो कुछ यहां कह रहे हैं उससे विवाद बढ़े। मैं तो यह कहूंगा कि इसका कारण जो अलीगढ़ में हुआ और आज भी हो रहा है वह मुख्यतः एक मात्र प्रशासनिक असफलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलेयोर ने केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बिगाड़ा। यह राज्य सरकार की असफलता है और कैबिनेट में विचारों का समन्वय न होना है। जनता पार्टी की कैबिनेट अवश्य है लेकिन मंत्री परस्पर विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं, यह क्या बात है? पहली बात शुरू होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की एथारिटी एक व्यक्ति में नहीं है। यह केवल अलीगढ़ में ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी है। होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की ड्यूल एथारिटी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यहां दो एथारिटी चल रही है । जो बंटवारा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के पोर्टफोलियो का उसमें होम मिनिस्टर, श्री राम सिंह के पास केवल यू० पी० पुलिस है जिसमें दरोगा और थानेदार कैडर के लोग आते हैं और एस० पी० उनके हाथ में नहीं हैं । नतीजा यह है कि आज किस लेवेल के आर्डर चलें । मुख्य मंत्री की एथारिटी सर्वमान्य है, उसको मैं मानता हूं । लेकिन होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या है ? जो उनको विभाग दिये गये हैं उसमें सी० आई० डी०, इन्टेलिजेन्स, आई० पी० एस० उनके हाथ में नहीं है । इसलिए पुलिस के मामले में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह शासन अलग-अलग स्वर से बोलता है । श्रीमन्, आप देखें कि मंत्री अलग-अलग आदेश देते हैं । जिला मैजिस्ट्रेट को जिले का एडमिनिस्ट्रेशन फ्री हैन्ड दिया जाना चाहिए, यह शासन का पहला नियम है । आप पहले डी० एम० को सोच विचार करके रखें । एस० पी० को सोच विचार कर रखें । इसके बाद स्थानीय लोगों की राय में जो कार्यवाही करते हैं उनको फ्री हैण्ड दिया जाना चाहिये । लेकिन क्या ऐसा हुआ । अलग-अलग मंत्री अलग-अलग आदेश दे रहे हैं । केवल होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि अलग-अलग मिनिस्टर अलग-अलग आदेश दे रहे हैं । जो मिनिस्टर अलीगढ़ गये वे अलग आदेश दे रहे हैं, जनता पार्टी के घटकों के नेता हैं स्थानीय वे अलग आदेश दे रहे हैं । वह कह रहा है ऐसा करो, वह कहता है ऐसा करो । नवमान साहब कुछ कह रहे हैं, दूसरे साहब कुछ कह रहे हैं । कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है, कैसे शांति व्यवस्था कायम हो सकती है ।

श्रीमन्, इसी तरह हम देखते हैं माइनरिटीज कमीशन का जिक्र किया मुख्य मंत्री जी ने और माइनरिटीज कमीशन के बारे में कहा । बहुत अच्छा कहा । माइनरिटीज कमीशन बनाने का श्रेय आपने लिया । मुख्य मंत्री जी श्रेय लेना चाहते हैं माइनरिटीज कमीशन बनाने के बारे में । हम आपको श्रेय देते हैं । बाद में माइनरिटीज कमीशन यू० पी० में बनाया गया था, केन्द्र में पहले से बना था । केन्द्र को भी और आपको भी मुख्य मंत्री जी हम बधाई देते हैं । माइनरिटीज कमीशन आपने बनाया बहुत अच्छा काम किया । हम जो नहीं कर सके वह आपने किया । माइनरिटीज कमीशन बनवाया । लेकिन श्रीमन्, जो आल इंडिया माइनरिटी कमीशन केन्द्र का है उसकी सिफारिशें आ चुकी हैं । वह केन्द्र का काम है जिसे आप आदर दे रहे हैं । श्रीमन्, इसके मेम्बर कौन-कौन हैं आप देखें । केन्द्र में माइनरिटीज कमीशन के चेयरमैन श्रीमन्, जस्टिस एम० ए० अन्सारी हैं, मेम्बर हैं वी० वी० जौन, कुमारी बकुला, एयर मार्शल अर्जुन सिंह, श्री दस्तूर । माइनरिटीज कमीशन की रिपोर्ट क्या है मुख्य मंत्री जी क्यों नहीं आपने सूचना में बताई । श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी का परम दायित्व था कि वह कृपा कर बताते । श्रीमन्, जो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया का माइनरिटीज कमीशन है उसके लिए कहा गया है कि उसकी रिपोर्ट हमको मान्य होगी । यू० पी० के कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस हैं और सेन्टर के कमीशन के चेयरमैन सिटिंग जस्टिस हैं श्री अन्सारी साहब । उनकी रिपोर्ट आ चुकी है । वह रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या कहा गया है, उस पर क्या हुआ । मुख्य मंत्री जी आप बतायें । क्यों चुप हैं ? इस पर क्या सिफारिशें थीं ।

श्रीमन्, मेरे पास हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, स्वतन्त्र भारत, पाइनियर, नेशनल हेराल्ड, सबकी कटिंग्स रखी हुई हैं । श्रीमन्, हिन्दुस्तान टाइम्स में जो उन्होंने सिफारिशें की हैं वह मैं पढ़ना चाहता हूं । मेरे पास कोई दूसरा माध्यम नहीं है कि अखबार न पढ़ूं । "पेनल वान्ट्स पी० ए० सी० आउट आफ अलीगढ़ ।" पेनल कह रहा है, माइनरिटीज कमीशन का पी० ए० सी० को अलीगढ़ से बाहर किया जाय । दूसरी बात कहता है कि "रिपोर्ट

इज रिकमन्डेड ट्रान्सफर आफ डिविजनल कमीश्नर ऐज ही आर्डर्ड लिफ्टिंग आफ कर्फ्यू आफ्टर फर्स्ट पेज आफ रायट्स ।" कि डिविजनल कमिश्नर के ऊपर जिम्मेदारी माइनरिटीज कमीशन ने डाली है--कांग्रेस (आई०) ने नहीं, मैंने नहीं--कहते हैं इन्होंने कर्फ्यू को हटवाया । और कर्फ्यू के हटने से ६ तारीख नवम्बर की रात को वायस चान्सलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुशरो साहब डिवीजनल कमिश्नर महोदय से मिले कि पटाखे नहीं बम फट रहे हैं लोग मारे जा रहे हैं, अस्पताल ले जाइये । कुछ नहीं, पटाखे चल रहे हैं । श्रीमन्, मैं खुद गया । प्रो० वायस चान्सलर साहब ने मुझे बताया कि वायस चान्सलर साहब खुद गये वहां । मुझे जाविद साहब ने बताया, दूसरे जनता पार्टी के लोगों ने भी कि रात को वायस चान्सलर साहब जाते हैं कमिश्नर महोदय से कहते हैं कि आग लग रही है, बम फट रहे हैं, कर्फ्यू लगाओ । नहीं कोई लगाने की जरूरत नहीं है । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि कर्फ्यू लगाइये, डिवीजनल कमिश्नर कहते हैं नहीं लगेगा । एक-एक लाउड स्पीकर श्रीमन्, इनकी भिन्न-भिन्न घोषणा कर रहा है । एक कहता है कर्फ्यू लग रहा है और दूसरा कहता है नहीं लग रहा है, दस लोग मारे गए ।

माइनरिटीज कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद श्रीमन् कमिश्नर अपनी जगह बैठे हुये हैं । जिम्मेदारी कमिश्नर पर दी है । क्यों नहीं कमिश्नर, डी० एम० जिम्मेवारी लेते । फिर श्रीमन्, शासन का पहला नियम यह है कि मिड स्ट्रीम में घोड़ा मत बदलिये, बीच में नाव के मल्लाह मत बदलिए शासन के कैसे नियम लागू हुये हैं । जिला मजिस्ट्रेट और एस० पी० दोनों को एक साथ बदल दिया जाय । नये आदमी हैं मालूम नहीं है कि राज्य कैसे चलता है । डी० एम० बदले गये, एस० पी० बदले गये और जब कि दंगा चल रहा था इस बीच में बदले गये । पहले बदले जाते कुछ करते और डी० एम० और एस० पी० नये भेजे गये जिन को वहां के हालात नहीं मालूम । खुद अलीगढ़ कभी नहीं रहे । यह कैसा प्रशासन है, श्रीमन् । डी० एम० का ट्रान्सफर कर के एस० पी० का ट्रान्सफर करते, डी० एम० का ट्रान्सफर करते तो एस० पी० रहते, एस० पी० का करते तो डी० एम० रहते । लेकिन श्रीमन्, यह है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिसियेन्सी कि डी० एम० और एस० पी० दोनों हैं । दंगे हुए और हत्यायें हुयी । माननीय होम सेक्रेटरी भी वहां गए । उन्होंने कोई नोट भेजा । वह मुख्य मंत्री जी के पास आना चाहिये । होम सेक्रेटरी गए थे, अलीगढ़ में रहे, कैम्प किया और उसके बाद होम सेक्रेटरी ने लांग लीव ले ली । नये होम सेक्रेटरी आ गये । सवाल है कि क्या होम सेक्रेटरी ने नोट लिखा ? क्या चीफ सेक्रेटरी ने नोट लिखा ? लेकिन दिक्कत है कि कोई आर्डर देने वाली अथारिटी नहीं है । डी० एम० परेशान । अधिकारी परेशान । चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं । दिल्ली के दूसरे मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं । दंगे के इलाके में कोई रोकथाम नहीं और नाराज डी० एम० पर होते हैं । डी० एम० का कहना है कि लोग बार-बार जाते हैं और कोई डी० एम० की बात नहीं सुनता । लेकिन जिम्मेदारियां यहां से शुरू हो रही हैं । शासन की ढिलाई से यह सब कुछ हुआ । हमारे मुख्य मंत्री जी घटकवाद से परेशान हैं ।

अब देखिए, अलग-अलग मन्त्रियों ने यहां के बारे में क्या कहा ? कृषि मंत्री जी, राजेन्द्र सिंह, वहीं के रहने वाले हैं । उन्होंने कहा कि अलीगढ़ दंगे के सम्बन्ध में जो गिरफ्तारियां की गयीं, अगर उसमें राजनैतिक हस्तक्षेप न किया जाता तो अच्छा होता । कौन पकड़े गये थे ? तीन लोग पकड़े गए थ । उनमें एक मि० नोमान जी, जनता पार्टी के अध्यक्ष थे । सब कहते हैं कि वह थे । लोगों ने यहां तक कह दिया कि पूरी संस्था जिम्मेदार है । लेकिन मुख्य मंत्री जी ने खुद जाकर नोमान साहब को छुड़ा दिया । सवाल है, किस दबाव में छुड़ाया ?

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

उसका कन्ट्राडिक्शन आ गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लेकिन राजनैतिक हस्तक्षेप क्यों हुये, इसका जवाब नहीं दिया ? राजेन्द्र सिंह जी ने कहा कि राजनैतिक हस्तक्षेप हुये । उसके बाद सारे अखबारों ने भी लिखा है कि मुख्य मंत्री जी के जमानत पर नोमान जी छूटे । इसी तरह से मुख्तार अनीस, राज्य मंत्री जी का बयान है । उन्होंने भी खेद प्रकट किया । दूसरी तरफ राम प्रकाश, उद्योग मंत्री जी ने अपने भाषण में नोमान जी को निर्दोष बताया है । एक तरफ अनीस जी उनके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं और दूसरी तरफ राम प्रकाश नोमान जी को निर्दोष बता रहे हैं । मुख्य मन्त्री जी के जमानत पर वह छूटे और बाद में फिर गिरफ्तार होते हैं । सवाल है क्यों गिरफ्तार किया, अगर दोषी नहीं थे ? काहे को विजय और हरिनाथ सिंह गिरफ्तार किए गए ? उनका आर० एफ० भी मेरे पास रखा है कि पुलिस ने परेशान किया । हो क्या रहा है ? प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं उनके दो भाषण मेरे पास रखे हैं, वह कहते हैं कि मैं भूल को स्वीकार करता हूं । 'नवभारत टाइम्स' की कटिंग है । मैंने लोकसभा की प्रोसीडिंग्स प्राप्त करने की कोशिश की थी लेकिन वह मिली नहीं । मैं हिन्दी के अखबार पढ़ रहा हूं । प्रधान मंत्री ने अलीगढ़ के दंगों में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक भूल को स्वीकार किया है । प्रधान मंत्री जी भूल स्वीकार कर सकते हैं लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भूल स्वीकार नहीं कर सकते । यह उत्तर प्रदेश की विडम्बना है और शासन की विडम्बना है ।

श्रीमन्, फिर प्रधान मंत्री जी ने जो गृह मन्त्रालय की संसदीय सलाहकार समिति थी उसमें उन्होंने कहा प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस पी० ए० सी० के विरुद्ध चलती आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उसका पुनर्गठन किया जाए । मुख्य मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी ने अपने होम डिपार्टमेंट की एडवाइजरी कमेटी में यह बात कही थी । इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं पी० ए० सी० के पुनर्गठन के बारे मे । इस सदन को यह जानने का अधिकार है कि पी० ए० सी० के पुनर्गठन के बारे में प्रधान मंत्री ने क्या राय दी । कौन से गाइडलाइन्स दिए गए । क्या अलीगढ़ के छात्र संघ ने कहा और क्या पी० ए० सी० के पुनर्गठन के बारे में आप कर रहे हैं । इसको जानने का अधिकार सदन को है ।

माइनारिटीज कमीशन ने जो आपको तमाम जिम्मेदारियां दी हैं इसके बारे में क्या हो रहा है । 'टाइम्स आफ इंडिया' में छपा है कि हैंड ग्रेनेड जो इस्तेमाल किया गया । पार्लियामेंट में इसका उल्लेख हुआ कि जो हाजी अब्दुल अजीज और हाजी अब्दुल हफीज के मकान पर हैंड ग्रिनेड पाया गया वह कानपुर की आर्डिनेंस फैक्टरी का बना हुआ था जिनका नम्बर के० एफ० ३६४ था । कहां से हैंड ग्रिनेड आये ? हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम सुनियोजित दंगे के खिलाफ हैं लेकिन अगर यह सुनियोजित प्रिप्लान्ड नहीं है तो कानपुर के हैंड ग्रिनेड हाजी अब्दुल हफीज के मकान में कैसे पाये गये ? यह कहां की बात है ? यह एक सुनियोजित ढंग से हुआ है । श्रीमन्, इस प्रसंग में श्री सुब्रहमण्यम स्वामी साहब, जो एक पार्लियामेन्टेरियन हैं, की प्रधान मंत्री से जो बात हुई, उसके बारे में कहना चाहता हूं । श्री सुब्रहमण्यम प्रधान मंत्री से जब मिले तो प्रधान मंत्री ने कहा कि अलीगढ़ में आर० एस० एस० की रैली में इस दौरान पाबन्दी लगनी चाहिए । मैं खुद कुछ नहीं कह रहा हूं । जनता पार्टी की कमेटियां गयीं, कृष्ण कांत जी गए दूसरे लोग गये, राज नारायण

जी गए, हमारे कौशल किशोर जो गए । कई बयान आये, प्रधान मंत्री ने भी तकरीर पेश कर दी । उन्होंने कहा कि इस राइट के दौरान आर० एस० एस० की रैली पर प्रतिबन्ध लगे । श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि मैं प्रधान मंत्री से मिलकर आया हूं और उन्होंने यह कहा है कि आर० एस० एस० पर रोक लगनी चाहिए। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी भूतपूर्व जनसंघ के एक जाने माने नेता हैं और उन्होंने यह बयान दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं समाप्त तो करता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि शासन की क्षमता समाप्त हो । शासन की क्षमता बनी रहे यही मेरी प्रार्थना है । मेरी इतनी बात केवल मुख्य मंत्री जी से है कि इतनी बातें कही जा चुकी हैं, शासन क्या कर रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जो स्वभाव के मधुर हैं और मैं जानता हूं कि कितनी परेशानियों से ये आजकल काम कर रहे हैं लेकिन अगर सम्प्रदायवाद से लड़ना है तो अलीगढ़ जाकर स्वयं देखा जाये । यह कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं है, यह गुन्डों के बीच का झगड़ा है, असामाजिक तत्वों के बीच का झगड़ा है और अलीगढ़ की जनता का इसमें कोई दोष नहीं है । जनता पार्टी की खुद कमेटी ने, कौशल किशोर जी ने यह कहा है जिससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि बहु संख्यक या अल्पसंख्यक की एक दूसरे के प्रति नाराजगी तो बहुत कम थी लेकिन दोनों की नाराजगी पी० ए० सी० के प्रति ज्यादा थी । हिन्दुओं ने मुसलमानों को अपने घर में शरण दी और मुसलिम यूनिवर्सिटी के लड़कों ने काफी सहयोग दिया । मुख्य मंत्री जी के दो शब्दों के लिए वे अवश्य धन्यवाद के पात्र थे । अन्य माननीय सदस्य भी तथ्यों को बतलायेंगे और मेरी बात की परिपुष्टि करेंगे ।

मैं यह आग्रह करूंगा कि अलीगढ़ को इस विडम्बना का विश्लेषण हो और हम लोग मिल कर लड़ सकें । इस भावना से ओतप्रोत होकर मुख्य मंत्री तथा शासन काम करे तो हम भी सहयोग करने को तैयार हैं । उन्होंने मीटिंग बुलाई ठीक किया लेकिन दो महीने ८ दिन तक क्या करते रहे, क्यों नहीं विरोधी दलों की मीटिंग पहले ही बुलाई गई । हम अपने दायित्व को निभा रहे हैं । हम हर मीटिंग में भाग लेने के लिए तत्पर हैं । आपने अभी तक विरोधी दलों को नहीं बुलाया, उनसे परामर्श नहीं किया यह शासन की महान भूल है । मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमको अवसर दिया ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले दिनों में जितने साम्प्रदायिक दंगे देश में हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए हैं । इस बात को कल या परसों ही केन्द्रीय राज्य गृह मंत्री ने राज्य सभा में कबूल किया। अलीगढ़ का जो दंगा हुआ वह सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है । इसका प्रचार देश में नहीं वरन सारी दुनिया में हुआ कि हमारे यहां इतने बड़े साम्प्रदायिक दंगे हुए । दंगों पर नियंत्रण पाने के लिए अगर सरकार ने फौरी कार्यवाही की होती और सख्ती से कठिनाइयों से निबटने की कार्यवाही की होती तो यह जो शर्मनाक घटना अलीगढ़ में घट गयी वह न घटी होती । मैं उस दिन जिक्र कर रहा था कि यह जो कुछ हुआ चाहे उसे कुछ गुंडों का झगड़ा कहिये यां कुछ साम्प्रदायिक तत्वों का झगड़ा कहिये या जो भी कहिए लेकिन

[श्री ऊदल—]

इस सबके बावजूद आज भी अलीगढ़ में शान्ति नहीं है । इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस मसले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । इधर भी अखबारों में पढ़ा कि छुटपुट घटनाएं आज भी हो रही हैं और छुटपुट घटनाएं ही बड़ी घटनाओं के लिए पृष्ठ भूमि तैयार करती हैं इसलिए इसकी तरफ शासन का ध्यान जाना चाहिए ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपील की है कि कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जिससे बाहर इस तरह की प्रक्रिया हो जाय कि लोगों के अन्दर उत्तेजना पैदा हो । मैं तो आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं ।

(इस समय १ बजकर ४० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठा-सीन हुए ।)

इस दंगे की पृष्ठभूमि में मैं जाऊंगा जिसका जिक्र थोड़ा सा माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया । लेकिन मैं आगे कहना चाहता हूं । आपने जिक्र किया था कि एक दंगल हुआ था कुश्ती प्रतियोगिता का जब उसमें रिफरी को मालूम हुआ कि दो व्यक्ति के नाम हैं और उन्होंने देखा कि इससे उत्तेजना फैल गई है और साम्प्रदायिक लहर पैदा हो रही है इसलिए उन्होंने उस कुश्ती को बराबर में छोड़ दिया । नतीजा यह हुआ कि वहां मारपीट हो गई । उसमें जिला प्रशासन ने जो रुख अख्तियार किया उसमें उन्होंने जिम्मेदारी की होती तो मैं समझता हूं कि यह नहीं होता । मेरे पास भी राजेन्द्र सिंह का बयान है । उन्होंने कहा कि अगर कुश्ती के झगड़े के बाद जो गिरफ्तारियां हुई उनको अगर न छोड़ा गया होता या छोड़ने के लिए प्रयास न किया गया होता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अलीगढ़ में न घटी होती । मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी एक साईकिल चलाने की बात हुई थी । वहां एक व्यक्ति ने एलान किया कि जुलाई में ५ दिन लगातार साइकिल चलाई जाएगी । उस वक्त भी पुरस्कार बांटने की बात आई तो उसमें साम्प्रदायिकता की बात आई । चाहे वह गुंडों की तरफ से हो या कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा हो । वह बात अखबारों में भी छपी है । उस पर भी अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता और कड़ाई से, मुस्तैदी से रोकने की बात की होती तो इस तरह की शर्मनाक घटना अलीगढ़ मे नहीं घटती ।

श्रीमन्, दुर्भाग्य से अलीगढ़ की इस दुर्घटना में २९ व्यक्तियों की जानें गई । इसमें चाहे साम्प्रदायिक ताकतें थीं या गुंडा तत्व या मैं नहीं जानता । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भूरे को किसी एक व्यक्ति ने मार दिया जिसका कि आपने (मुख्य मंत्री जी) जिक्र किया । वह अस्पताल में गया और ५ अक्तूबर को उसकी मृत्यु हो गई । जब किसी को चोट लगती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है । लेकिन वहां १५० व्यक्तियों ने जबरदस्ती भूरे की लाश को अस्पताल से उठा लिया और जलूस निकाला । जब जलूस निकला तो उसकी लाश को घर ले जाने के बजाय दूसरे मुहल्लों में ले जाया गया और इस तरह से दंगा शुरू हो गया । लेकिन इसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया जब कि करफ्यू लगा हुआ था प्रशासन के लोगों को कार्यवाही करनी चाहिये थी । जब कलेक्टर ने कोई कार्यवाही की तो वह नहीं हो पाई । मेरे पास ऐसी भी रिपोर्ट है जैसा कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कोई नोमान साहब हैं जिनके बारे में अल्पसंख्यक आयोग ने भी कहा है कि उनका हाथ था । (व्यवधान) भूरे पहले कांग्रेस का नेता था आजकल आपने उसे सिरोधार्य कर लिया । (व्यवधान) कांग्रेस का है तो आपको जलूस निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई । तो इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है ।

श्रीमन्, अलीगढ़ में इसके पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण दंगे हुए हैं। सन् १९६१ में हुए सन् ७१ में हुए। मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि दंगों से या इस तरह की साम्प्रदायिक बातों को लेकर बहुत से लोग फायदा उठाते हैं। बहुत से राजनैतिक दलों ने फायदा उठाया, लेकिन उससे इस समस्या का सामाधान नहीं हो सकता। इसलिए देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को कायम रखा जाए या नहीं, यह प्रश्न विचारणीय है। साम्प्रदायिकता दोनों की खराब है, चाहे अल्पसंख्यकों की हो या बहुसंख्यकों की। इसके बावजूद जब बहुसंख्यक लोगों की साम्प्रदायिकता पैदा होगी तो अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। इसीलिए हमारे देश का चरित्र धर्म-निरपेक्ष रखा गया है, जिससे ईसाई, हिन्दू, मुसलमान और सिख आदि सभी मिल जुल कर रह सकें। इसीलिए इसे ऐसा बनाया गया है जिसमें सभी सम्प्रदायों के लोग अपने-अपने तौर तरीकों से परस्पर शांति से रह सकें। यदि उस चरित्र का ही सत्यानाश किया जाएगा तो अल्पसंख्यकों में यह भय पैदा होगा कि वे असुरक्षित हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएं, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है। आप राज नारायण जी का बयान पढ़िये, वह क्या कहते हैं, माननीय प्रधान मन्त्री मोरार जी देसाई क्या कहते हैं? उसको देखने वहां कृष्णकान्त जी की कमेटी गई थी, उसने जो रिपोर्ट दिया है, उसको आप मंगाकर पढ़ लीजिए। अल्पसंख्यक आयोग ने क्या कहा? किनके ऊपर दोष आता है। ऐसी शक्तियां यदि इसका राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगी तो यह अनुचित है।

आज जनता पार्टी के आवरण के अन्दर इस देश के अन्दर उन तत्वों के द्वारा साम्प्रदायिकता पनप रही है और सर उठा रही है तथा देश को छिन्न-भिन्न करने के लिए, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो तोड़ कोशिश कर रही है। यह पूरे राष्ट्र का प्रश्न है, इसलिए इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं कि मैं एक बात और कहूंगा, आप क्या इस बात की जांच करायेंगे कि जिला प्रशासन ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, दो बार, तीन बार, उनके द्वारा क्या उसके बाद कलेक्टर का घेराव किया गया था, धमकी दी गई थी? ऐसे अधिकारी आपके थे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पी० ए० सी० के कमान्डेन्ट और दूसरे नवमान साहब जिनका जिक्र हमेशा आता रहता है। यदि आप चाहते हैं कि साम्प्रदायिकता की आग देश में न फैले तो इस पर कम से कम गम्भीरता से विचार करना जरूरी है। आपने १५ जनवरी को मीटिंग बुलाई है, लेकिन यह तात्कालिक समस्या है। पी० ए० सी० का पुनर्गठन करने का सवाल है, पी० ए० सी० में अल्पसंख्यकों को जगह देने का सवाल है, प्रशासन में साम्प्रदायिक भावना, बहुत से अधिकारियों का पता लगता है कि लोग आर० एस० एस० के शाखा में जाते हैं। अगर प्रशासनिक पदों पर आसीन अधिकारी हैं, आर० एस० एस० की शाखा और रैलियों में जाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रशासन साम्प्रदायिक हो जायेगा और इसके साम्प्रदायिक होने से देश का धर्म निर्पेक्षता का जो स्वरूप है वह नष्ट हो जायगा और हमारा देश साम्प्रदायिकता की आग में झुलसता रहेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकेगा।

इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मुख्य रूप से, गृह मन्त्री जी से मुख्य रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप नम्रतापूर्वक कि इसमें मेरे निवेदन को स्वीकार करें जो साम्प्रदायिकता फैल रही है, कैसे फैल रही है? आपको नहीं मालूम कि आज शिक्षा के माध्यम से कितनी साम्प्रदायिकता का प्रचार हो रहा है। सरकार की कुछ शिक्षा की नीति, शिशु मंदिरों की कुछ शिक्षा की नीति, रैलियों में कुछ नीति, शाखाओं में कुछ नीति। यह जनता पार्टी में है। आर० एस०

[श्री ऊदल—]

एस० किसी राजनीतिक दल में नहीं है। अगर इस तरह से साम्प्रदायिकता को फैलाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र में छूट दी जायगी तो यह देश तहस-नहस हो जायगा। शिक्षा के क्षेत्र मे, स्कूलों की चहारदीवारी में, सांस्कृतिक संस्थाओं में, स्टेडियम में कहीं भी आर० एस० एस० और उसकी शाखाओं को लगाने की, रैली करने की कभी भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। यह बन्द होना चाहिये। आर० एस० एस० पर रोक लगनी चाहिये यह मेरी आपसे मांग है।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जहांतक साम्प्रदायिकता का सवाल है, चाहे वह बहुमत की हो या अल्पमत की हो, दोनों निन्दनीय हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद अब भी हमारे देश में साम्प्रदायिक दुर्घटनायें होती रही हैं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह यह है और कुछ तथ्य हैं। इस सम्बन्ध में रांची में, अहमदाबाद में, मेरठ में दंगे हुए, १९६७, १९६९ और १९७३ में रघुबर दयाल कमीशन, रांची रायट्स के बारे में, रेड्डी कमीशन अहमदाबाद रायट्स के बारे में, उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ अपने प्रतिवेदन दिये हैं और कुछ बातें कही हैं। अगर उनसे हम नतीजा निकालें, तो मैं समझता हूं कि पुराने समय में कुछ नतीजे निकाले गए हैं। अगर आप देखें एक कड़ी जोड़ कर देखें, १९७१ तक रायट्स कुछ ज्यादा होते रहे हैं। हमारे पास भी संख्या है, उस कमीशन से मैंने लिया है। उसके सामने जो आंकड़े आये, करीब ६०३ रायट्स १९७१-७२ तक हैं। यकायक १९७१ के बाद रेड्डी कमीशन और रघुबर दयाल कमीशन को मान्यता दे कर, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, तथा और सरकारों ने कार्यवाही की तो १९७२-७३ से १९७७ तक केवल औसत ६० का रह गया, ६०० की जगह पर। उसमें कुछ कार्य हुआ। उस कमीशन ने क्या कहा। उसने यह कहा था कि यह हिन्दू मुसलिम का दंगा हिन्दू मुसलिम का नहीं है। यह सडेन आउटबर्स्ट, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया है, यकायक कोई बात नहीं शुरू होती। इसके पीछे बहुत दिनों की तैयारियां रहती हैं, गुंडों की, बदमाशों की तैयारी रहती है और इसके लिए अमुक-अमुक काम जिलाधीशों को जिलों में करना होगा। सन् १९७२ से १९७७ तक वह तैयारियां देश और प्रदेशों में हुई। उसका नतीजा हुआ कि कुछ कमियां हुई। लेकिन अभी आप देखें। क्या आप इसको हिन्दू मुसलमान दंगा कहेंगे? माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, ऊदल जी ने कहा और माननीय नेता सदन ने भी कहा। इन बातों से और अखबारों से जो निकलता है वह यह कि सही मानें में साम्प्रदायिक दंगा नहीं है। सही माने में यह शासन की कमजोरी है, यह विफलता है। यह गुंडों को न रोकने की विफलता है। क्या परेशानी है। आप कानून बनावें। रोज अध्यादेश बनते हैं लेकिन गुंडों के नाम पर हम लोगों को पकड़ने की चेष्टा न करें। जिस डर से आप डरते हैं उसे मैं आगाह करके कह रहा हूं। हुआ क्या? चाहे भूरे की बात हो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, नेता विरोधी दल ने कहा। नाम आया भूरा का। एक व्यक्ति मरा। यह प्रशासन है। उसका प्रदर्शन एक किलोमीटर चल रहा है। शासन उसकी आज्ञा देता है। उसमें गुंडे उत्पात करते हैं। आप क्यों कहते हैं। हिन्दू मुसलमान दंगा करते हैं आप क्यों नहीं कहते कि हमारी विफलता है, हमारी कमजोरी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी माइनारिटी कमीशन, जिसके सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल के पास कटिंग थी, मेरे पास भी है लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है। मैं दिखलाता। अखबारों में यह आया है। हो सकता है गलत हो। लेकिन जो आया है वह यह कि माइनारिटी कमीशन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां तक नहीं किया कि जब हम अलीगढ़ गये तो पुराने डी० एम०, पुराने एस० एस० पी० बावजूद हमारे निवेदन के, मिलने नहीं आये। क्या तरीका है। एक और केन्द्रीय शासन माइनारिटी कमीशन नियुक्त करता है। एक कहता है कि कोई कमिश्नर है एक्स, वाई, जेड उसको स्थानान्तरित किया जाय क्योंकि उसकी गल्तियां हैं। लेकिन आप स्थानान्तरित नहीं करते। तो फिर हिन्दू मुसलमान के दंगे को हिन्दू मुसलमान की साम्प्रदायिकता कहते रहियेगा। मैं तो कहूंगा आपके शासन की अयोग्यता है।

माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत साफ कहा है और मैं हृदय से उनकी ताईद करता हूं। होम मिनिस्टर और मुख्य मंत्री जो बैठे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन होम मिनिस्टर है। प्रदेश को मालूम है कि होम मिनिस्टर राम सिंह हैं। वह एक दरोगा को ट्रान्सफर कर सकें तो कर सकें। अभी आपने कहा न विजीलेंस, न सी०आई०डी०, न इंटेलीजेन्स, न आई०पी०एस० कोई इनके अन्डर में नहीं है। अगर मुख्य मंत्री जी पूरा काम इनको नहीं देना चाहते तो हटायें या पूरी जिम्मेदारी दें। अंग्रेजी में जिसे इस्केप गोट कहते हैं, अगर इनको बनाना है तो बात दूसरी है।

होम मिनिस्टर हरिजन को बनाया है तो ठीक है। लेकिन व्यक्ति का सवाल नहीं है। किसी को बना दें, हरी सिंह को बना दें, लारी साहब को बना दें लेकिन अधिकार न दें तो आपके लिए वह शोभा की बात नहीं होगी। मैं तो कहता हूं कि आप अपने हाथ में रखें। लेकिन इस तरह कैसे शासन चलेगा ? मैंने कभी केन्द्र में नहीं देखी, मैं भी वहां मंत्री था। यहां की भी थोड़ी शासन व्यवस्था जानता हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि होम मिनिस्टर जिले में जायें और सी० आई० डी० और विजीलेंस वाले उनकी कदर न करें।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी होम मिनिस्टर के अन्डर में नहीं रहते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

अगर यही हालत रही तो हम फिर आयेंगे। हम इनकी अकर्मण्यता पर आयेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि पी०ए०सी० जिम्मेदार है। हम नहीं कह रहे हैं कि आर० एस० एस० जिम्मेदार है, राज नारायण ने कहा। हर कमरा बंटा है। आपकी सी० आई० डी० क्या है। ऐसा बांटा है कि मालूम होता है कि हिन्दू राज्य हो गया। मुसलमानों के खिलाफ। यह कहां का शासन है। आप पता लगवाकर इन लोगों को जेलों में क्यों नहीं बन्द कर रहे हैं ? कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जो ५ दिन में तीन दिन में बन्द हो सकता है वह ढाई महीने हो गए। ७३ में एक पैनेल बना उसने रिकमेंड किया, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कि अगर १२ घन्टे से ज्यादा रहा तो लोकल आफीसर्स उसके जिम्मेदार होंगे और २४ घन्टे से अधिक रहता है तो होम सेक्रेटरी और आई० जी० जिम्मेदार होंगे और अगर ४८ घंटे से अधिक रहा तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। ४८ घंटे क्या ४८ दिन हो गए और यहां पर सरकार बैठी हुई है। जवाब देती है और हमारे ऊपर दोषारोपण करती है। जवाब ऐसा देते हैं कि जूं नहीं रेंगती है आप इस प्रदेश और देश का क्या करना चाहते हैं।

[श्री श्यामधर मिश्र---]

यह कोई अलीगढ़ का सवाल नहीं है बल्कि आपकी शासन व्यवस्था का सवाल है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने सहायता देने की बात कही है । माननीय मुख्य मंत्री जो सहायता देते हैं । गोली चलवा दिया और पांच-पांच सौ रुपया दे दिया । ५ हजार की सहायता जो है वह अच्छी सहायता है । मैं नहीं कहता कि वह गैर जरूरी है, वह है लेकिन उसके सम्बन्ध में साम्प्रदायिकता जड़ से निकलती नहीं है । नेता विरोधी दल ने एक बात कही और इन्होंने बिल्कुल यही बात कही है कि परस्पर विरोधी वक्तव्य माननीय मंत्रीगण देते रहे हैं । उनकी ओर आप ध्यान दें । आपने देखा होगा कि एक मंत्री जो जाकर वहां पर बैठ गए । उनका आदेश गलत, गृह मंत्री का आदेश गलत । जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि ड्वेल शासन है । ड्वेल ही नहीं ट्रिपिल शासन है । ट्रिपिल अथारिटी है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

दशानन ?

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, यह दशानन कह रहे हैं । अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में पर्चे छपे । तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन जो लगता है वह यह लगता है, इस बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने बड़ी क्षमता दिखाई है और उसमें कोई हाथ रहा हो, मैं नहीं कहता । इसे सरकारी अराजकता कहना चाहिए और इसके लिए पश्चाताप इस सरकार को करना चाहिए और अपने भेद-भाव को पहले हटाइये, अधिकारियों को पहले अधिकार तो दीजिए । इन शब्दों के साथ में समझता हूं कि यह सरकार अपने में चेतना लायेगी जिससे ये दंग बंद हों ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)---

जो आपकी सूची है, क्या उसके बाहर भी आप बुलाने की अनुमति किसी को देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

जो सूची है वह तो देख ली जायगी, अगर कोई इससे बाहर का, बोलने वाला है तो वह भी देख लिया जायेगा, इससे हम बाध्य नहीं हैं । लेकिन पार्टी का भी ख्याल करना पड़ेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, साम्प्रदायिकता जहर है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए, चाहे हिन्दू साम्प्रदायिकता हो या मुस्लिम साम्प्रदायिकता हो, कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, शासन का यह फर्ज हो जाता है, कम से कम उस शासन का जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहता हो कि साम्प्रदायिकता के इस फन को कुचलने की कोशिश करे, उस फन को कुचलने के बजाय यदि साम्प्रदायिकता के सांप को दूध पिलाने का काम किया जायगा, तो वह शासन के लिए शर्म की बात होगी । अलीगढ़ में मान्यवर, जो कुछ हुआ, उसके ऊपर जब नजर दौड़ाई जाती है, तो थोड़ा सा उस व्यक्ति को जो इन्साफ के साथ सोचता है, शर्म से सिर झुक जाता है । घटना

कहां से शुरू होती है और उसका अभी अन्त तो हुआ नहीं, लेकिन आज किस स्थिति में पहुंच गया, यह देखने की बात है। वहां पर एक अमानुषिकता बनी हुई है और उस अमानुषिकता का ही एक कारण रहता है, जब कोई घटना घटती है। एक भूरा कान्ड हुआ। इससे पहले एक घटना और हुई थी। एक हिन्दू युवक ने अपने धर्म परिवर्तन का ऐलान किया था, उससे कुछ उत्तेजना उत्पन्न हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने उस उत्तेजना को देख कर नियंत्रण के प्रयास किये। युवक ने जब यह ऐलान कर दिया कि वह धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से कर रहा है, तब स्थिति समाप्त हुई।

उसी के बाद दो पहलवानों के बीच एक झगड़ा होता है झगड़े से एक भयावह स्थिति पैदा होने वाली ही थी कि वहां पर जिले के अधिकारियो ने मीटिंग बुला कर स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया। उस मीटिंग में यह भी कहा गया कि अखाड़ों में पहलवान कुश्ती लड़ाते हैं, साम्प्रदायिकता के आधार पर नहीं। अभी जो घटनाक्रम चलता है, उसको अगर हम साम्प्रदायिक रूप कहें, फिर जबरदस्ती का रूप हम दें, मैं उचित नहीं मानता। आगे एक पहलवान मारा जाता है, फिर स्थिति उभड़ती है और इसी बीच में इस भूरा पहलवान की हत्या की जाती है। इस हत्या के बाद जब भूरा पहलवान का शव अस्पताल से ५०–६० आदमियों की भीड़ प्रशासन के पहरे में छीन करके ले जाती है और बाजार में एक जुलूस का रूप देते हैं। स्थिति की गम्भीरता यहां से शुरू होती है और यहां पर प्रशासन ने जो अकर्मण्यता का परिचय दिया वह जहर बन गया पूरे अलीगढ़करबे के लिये। ५०-६० लोगों की भीड़ बाजार से निकल जाती है उसके पीछे तमाशबीन दौड़ने लग जाते हैं। बाजार को जबरदस्ती बन्द करवाने की कोशिश की जाती है और बन्द लोगों की दूकाने लूट ली जाती हैं। मारा भी जाता है। चौराहा अब्दुल करीम तक यह नजारा होता है। जब स्थिति इतनी नियंत्रित हो जाती है तब दूकानदार लोग भी छत पर चढ़कर नीचे भीड़ का जवाबी देने लगते हैं। उस समय गोली चलायी गयी और दूसरे प्रयास जो स्थिति नियंत्रण के लिये किये जाते हैं, वह किया गया इसके कुछ दिन बाद मानिक चौक की एक संकरी गली है, जहां पर २२,२३ परिवार अल्प संख्यकों के रहते हैं बिल्कुल गरीब, छोटे मोटे धंधे करके जीवन बसर करने वाले लोग वहां रहते हैं। वहां पर अल्प संख्यकों के घरों को बन्द कर दिया जाता है आग लगा दी जाती है, तहस नहस कर दिया जाता है। चौराहा अब्दुल करीम में घटना हुयी और मानिक चौक की संकरी गली में २२/२३ परिवारों को ध्वस्त कर दिया जाता है। यहां पर सारे का सारा मसला जो सामने आता है उससे जरूर लगता है कि इसमें नियोजित रुप से षडयंत्र किया गया अल्प संख्यकों को मिटाने का। किन ताकतों ने यह किया ?

जाहिर है अभी माननीय ऊदल ने और दूसरे लोगों ने इस ओर संकेत किया और इसके पीछे कुछ लोगों ने यह भी बातें कहीं कि यह गरीब उजाड़ दिये जाते हैं सिर्फ इसलिये कि दहशत खाकर धीरे-धीरे लोग यहां से भाग जायं और उनकी जो थोड़ी बहुत जमीन है, मकान है वह उनको अपने कब्जे में ले लें, मिट्टी मोल खरीद लें जो व्यापार करते हैं। १९६१ का दंगा हुआ था, ७१ का हुआ था उन दंगों में यह चीज सामने आयी थी; दंगों में जो गरीब अल्प संख्यक थे जब बस्ती छोड़ छोड़ कर भाग गये, उनकी जमीनों पर वहां के व्यापारियों ने कब्जा कर लिया और उन जमीनों का इस्तेमाल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिये कर रहे हैं। यह स्थिति वहां की थी। सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ अभी ८ तारीख की बात है। हमारे एक दोस्त अलीगढ़ गये थे उन्होंने बताया कि

[श्री राम आसरे वर्मा---]

दोपहर का समय था और एक दम खबर फैल गयी कि २ आदमी मार दिये गये हैं। मैंने यह उनसे पूछा कि यह जो दंगा वहां का ८ तारीख को वहां पर देखा तो क्या पूरे एक संप्रदाय चाहे हिन्दू या मुसलमान हों वहां उनमें से संगठित रुप से निकले या नहीं ? उन्होंने बताया कि चन्द गुंडे किस्म के लोग एक दम दौड़ते हैं जिनको पाते हैं मारने लगते हैं और फिर छिप जाते हैं।

स्थिति जिस तरह से आज अलीगढ़ की बनी है चाहे मुसलमान जमात के आदमी चाहे हिंदू जमात के हों, जो साधारण आदमी है वह इसके पक्ष में नहीं हैं। यह सही है कि कुछ शक्तियों ने इस दंगे को भड़काने का काम किया है। यह सही कि है वहां की आम जनता इस दंगे के साथ नहीं थी और न आज है। प्रशासन की विफलता हुयी।

मान्यवर, कमीशन की बात आई। १९७१ में कमीशन बना था। ७१ के बाद आज हम ७८ से गुजर रहे हैं। आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आ पायी। क्यों नहीं आ पायी इसका भी कारण मुझको सुनने को मिला। उस समय सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी और जब उनको यह पता लगा कि वहां पर होने वाले दंगों के लिये वह भी दोषी हैं तो कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। लेकिन यह काम आपको करना चाहिये था, आपने भी नहीं किया। कमीशन आप नियुक्त करते हैं तो ८-९ साल तक रिपोर्टें सामने नहीं आयेंगी इसलिये घटनायें दिन पर दिन बढ़ेंगी। इस प्रकार कोई भी रास्ता आप नहीं खोज पायेंगे। जब कमीशन नियुक्त हुआ था तो उस समय अध्यक्ष, विधान सभा के नाम मैंने एक पत्र लिखा था और मांग किया था कि यदि इसका तत्काल हल ढूढ़ना है और कोई ठोस उपाय निकालना है और जनता को मरने से बचाना है तो कृपा करके हमारे सदन की ओर से आप एक सर्वदलीय समिति नियुक्त करदें। जो मौके की जांच करके कोई ठोस उपाय यंहा दे। उसका जवाब दिया था कि शासन की ओर से एक कमीशन बिठा दिया गया है इसलिये ऐसे समय में उचित नहीं है कि सदन की कोई समिति बनायी जाय।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस साम्प्रदायिकता के जहर को मारने के लिये, जो आपके लिबास में इस तरह की ताकतें पनप रही हैं उनको रोकने का प्रयास करना चाहिये अन्यथा जगह-जगह जो अल्पसंख्यक समुदाय में दहसत है, अलीगढ़ में ही नहीं बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय में यदि इस प्रकार की दहसत बनी रही तो यह आपके कमीशनों की रिपोर्टें और नारे कागजों में ही बने रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि सद्भावना पूर्ण वातावरण बनाने के लिये शासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाये जाने चाहिये जिससे साम्प्रदायिकता की आग आगे न सुलगे।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं अपना भाषण प्रारम्भ करने के पहले में हिन्दू और मुसलमान भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनकी जानें इस अलीगढ़ में इस नालायक और निकम्मी सरकार के कारण गयी हैं। अलीगढ़ का फसाद जिस कारण हुआ है उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उन कारणों को कुछ माननीय नेताओं ने सामने रखा है और चूंकि कमीशन नियुक्त हो चुका है इसलिये वह भी उन वाक्यात में जायेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं तो उन बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाऊंगा जिन वाक्यात की रोशनी में यह सरकार अपने फर्ज को निभाने में किस तरह नाकामयाब रही और उसका जवाब मैं मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि उन वाक्यातों के क्या कारण थे ? उसमें क्यों वह कामयाब नहीं हुये ? और २ महीने ८ दिन के बाद भी अलीगढ़ में वही तनाव है और वहां आदमी मारे जा रहे हैं ।

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि ५ अक्तूबर की वारदात से पहले किस मस्जिद के अन्दर गोस्त डाला गया था और उससे तनाव पैदा हुआ था ? क्या यह भी सही है कि वहां एक लड़की और लड़के जो अलग-अलग मजहब के थे उनमें प्रेम हुआ और उससे तनाव पैदा हुआ ? यदि यह सही है तो फिर अलीगढ़ शहर में जो उत्तर प्रदेश के उन शहरों में गिना जाता है जो सेन्सिटिव है । वह सेन्सेटिव एरिया है, वक्तन-फक्तन, इतिहास में पढ़ कर देखिये, पांच सात साल के बीच में झगड़ा, तनाव और बलवा वहां होता चला आया है । तो इन तमाम बातों को देखते हुये यहां बैठी हुई सरकार ने क्या कार्यवाही की और नहीं की तो क्यों नहीं की ? श्रीमन्, मैं इसका जवाब चाहता हूं अखबारों में था तमाम कमेटियां वहां गयी, उनकी जांच हुई लोगों ने मौके पर झगड़े देखे और वहां पर एक साहब हैं मैं जातीय तौर पर उनका नाम नहीं जानता मेहमान साहब उनको छोड़ने के लिये मुख्य मंत्री जी को क्यों तक्लीफ करने की जरूरत पड़ी । जब जिला शासक है, एस० पी० है, डी० एम० है तो यह काम उन पर छोड़ा जाय, बन्द करने का काम, छोड़ने का काम उनका है । क्यों मुख्य मंत्री जी ने यह काम किया ? किसी को दबाव डाल कर छोड़ दिया । इसका क्या कारण था ? मैं इसका जवाब चाहता हूं कि आगरे के अन्दर हरिजन भाइयों को रास्ता बदल कर जुलूस न ले जाने के लिए गोलियों से भून डाला गया । किसलिये सिर्फ वे चाहते थे कि डा० अम्बेदकर जिन्दाबाद के नारे लगायें लेकिन अलीगढ़ के अन्दर । उस बिना पोस्ट मार्टम लाश को लेते हुये जुलूस जाता है, नारे लगाते हुये कि खून का बदला खून तो उनको क्यों नहीं भूना गया ।

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हू कि जो वहां पी० ए० सी० थी उसने दोनों तरफ के बेगुनाह लोगों पर गोली चलाई, यह सिद्ध हो गया, तो पी० ए० सी० के साथ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्रीमन्, यह जो किताब बांटी गयी है सभी विधायकों को इस में कोई छूट नहीं की है कि अलीगढ़ के मामलात को उल्टा सीधा बना लें, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज नारायण जी पर उत्तर प्रदेश आने में पाबन्दी क्यों नहीं लगायी गयी । इस तरह के बलवे की जिम्मेदारी राज नारायण जी के भाषणों पर हुई । राज नारायण के उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर क्यों नहीं गृह मंत्री पाबन्दी लगाते । सवाल इस बात का है कि चार बजे कर्फ्यू इम्पोज होता है । पांच तारीख को शाम पांच बजे से लेकर ११ बजे तक अलीगढ़ मे आग लगी रही और कत्ल होते रहे, बलवा होता रहा । यह कर्फ्यू क्या चीज है ? यह क्यों हुआ ? इसका जवाब चाहता हूं ।

और श्रीमन्, मैं बड़ा आभारी हूं रायबरेली वालों का जिन्होंने यह सब इकट्ठा किया, बड़ी मेहनत की होगी कटिंगस में, इस माननीय सदन में बहस करने के लिए मसाला इकट्ठा किया है । मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गाइड लाइन्स अलीगढ़ के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार को दिये हैं । वे क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की है प्रदेशीय सरकार ने ?

श्रीमन्, मैं एक बात यह भी पूछना चाहता हूं कि माइनरिटीज कमीशन जिसका जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने किया और माननीय ऊदल ने किया,

[श्री रियासत हुसैन—]

एक चौपाल के अन्दर बना हुआ कमीशन नहीं है । क्या माइनरिटी कमीशन की फाइन्डिंग्स हैं ? अगर कोई फाइडिंग्स दी हैं तो माइनरिटी कमीशन ने किस तारीख को सरकार को दिया और वह आज तक क्यों नहीं कार्यान्वित हो सकी । क्यों कान में तेल डाले बैठे रहे ? यह भी सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है। मैं भाई मसूद साहब और आबिद अली अन्सारी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर सोलंकी कोई ऐक्शन ले सकता है तो उनके जमीर कहां गये थे ?

अब मैं आखिरी बात कह कर समाप्त करता हूं । मैं उनकी बात नहीं कहता जिनके दिमाग सीमित हैं और जो समझते हैं कि हिन्दुस्तान में मुस्लिम शक्ल देखने में न आये । लेकिन अगर वे समझते हैं कि इस हिन्दुस्तान में मुस्लिम उसी वक्त रह सकते हैं जब अलीगढ़ के से कान्ड होते रहें या रियासत हुसैन अपने को मलिक राम लिखें या उर्दू देवनागरी में लिखी जाय और मुसलमानों की समाज, शादी–विवाह के कानून सभी यूनीफाइड कोड में हों तो उनके लिये मैं जोश मलीहाबादी की बात का जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने ४२ में लिखा था कि 'तीसरे फके में गिरते हुये को थामने, किसका सर लाये थे तुम शाही जफर के सामने ।' तो हिन्दुस्तान की आजादी में बहादुर जफर से लेकर अब्दुल हमीद तक जितने मुसलमानों ने कुरबानियां दी हैं, मैं उन सब की कसम खाकर कहता हूं और चेतावनी देता हूं कि हिन्दुस्तान की सर जमीन पर मुसलमान रहेगा और मरने के बाद भी जमीन घेर कर रहेगा । इस हिन्दुस्तान में मरने के बाद भी इसी हिन्दुस्तान के चील–कौए घेर जिस खायेंगे क्योंकि हिन्दुस्तान की आजादी में मुसलमानों ने बराबर का योगदान दिया है । इसलिये यहां मुसलमानों का भी अधिकार बराबर है । इन छोटी–छोटी बातों से हिन्दुस्तान का मुसलमान हिन्दुस्तान छोड़ कर जाने वाला नहीं है । और इस बात का ध्यान रखें कि इन छोटी–छोटी कुरबानियों से हम डरने वाले भी नहीं हैं । ऐसी कुरबानियां हमने पहले भी बहुत सी दी हैं और आगे भी जितना जरूरत पड़ेगी हिन्दुस्तान का मुसलमान हिन्दुस्तान में रहने के लिये अपने खून का एक–एक कतरा बहा सकता है और खुशी के साथ कुरबानी दी जा सकती है । इसके बाद में असल सवाल पर आता हूं ताकि असलियत सामने आये । सवाल है कि इस प्रदेश का शासन ढाई महीने तक सारी कारगुजारी के होते हुये भी सारे कमीशन की रिपोर्ट और बयानों के होते हुये भी क्यों कान में तेल डाले बैठा रहा और उस घटना को रोकने में क्यों कामयाब नहीं हुआ ?

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा) –

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने माननीय नरायण दत्त तिवारी जी का भाषण सुना और मेरे मित्र और समाजवादी रियासत हुसैन के भी भाषण को सुना । मान्यवर, यह बहुत अहम और राष्ट्रीय मसला है । इस पर ज्यादा जोर देकर बोला जायेगा तो वह ठीक नहीं रहेगा । लेकिन मैं बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं ३/४ बार अलीगढ़ गया हूं । डाक्टर लोहिया ने कहा था कि एक मुसलमान की रक्षा के लिये अगर हमारे १०० हिन्दुओं की जान चली जाय तो उसको मैं अपना फर्ज समझता हूं । उसी तरह से सैकड़ों मुसलमानों को अपनी जान देकर भी एक हिन्दू की जान बचानी चाहिये । यह उन्होंने कहा था । हम डाक्टर लोहिया के अनुयायी हैं । हम नहीं जानते कि साम्प्रदायिकता क्या चीज है । सारे हिन्दुस्तान के जो ७० करोड़ लोग हैं, भाई रियासत हुसैन को चाहिये कि उसी भाषा में वह बोलें और ७० करोड़ लोगों की वकालत करें ।

मान्यवर, सन् ४८ से लेकर काफी अर्से तक मैं अलीगढ़ में रहा हूं । वहां से बी० ए० पास किया । १९४८ में दंगा था जब यह सरकार नहीं थी । मैं भाई रियासत जी को बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद वह पहली सरकार थी । दूसरा दंगा ५२ में हुआ । तीसरा दंगा हुआ १९५४ में और चौथा दंगा हुआ ५६ में । मैं सारे आंकड़े तैयारी के साथ लेकर आया हूं और उसके बाद दंगा हुआ ५८ में, उसके बाद ६१ में उसके बाद ६४ में, फिर ६९ में फिर ७१ में और अब दुर्भाग्य से, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ७८ में भी दंगा हुआ । मैं यह भी बताना चाहता हूं आपको कि १९४८ में कितने लोगों की जान गई थी और किस-किस दंगे में कितने लोग मारे गये । यह सारे आंकड़े मैं लेकर आया हूं । १९४८ में ६० लोग मारे गये थे । भाई रियासत हुसैन को मैं बता दूं १९५१ में ४५ लोग मारे गये, १९५४ में ३९ लोग मारे गये, १९५७ के दंगे में ४० लोग मारे गये और १९५८ के दंगे में ३० लोग मारे गये और उसके बाद मान्यवर, १९६१ में ३२ लोग मारे गये । १९६४ में २५ लोग मारे गये, १९६९ में २१ लोग मारे गये और अब १९७८ में बहुत बड़े दुर्भाग्य से २८ लोगों की जान गयी, यह अलीगढ़ की तवारीख है ।

अलीगढ़ में जो दंगा इस वक्त हुआ है उसमें साम्प्रदायिकता की बात बिलकुल नहीं है । वहां पर एक मामूली दंगल था, पहलवानों में आपस में झगड़ा हो गया जिसमें भूरा नाम का एक आदमी मारा गया । भूरा कौन था ? मान्यवर, मैंने ३-४ बार जाकर एक-एक बात की जानकारी की है । भूरा कोई शरीफ आदमी नहीं था । कुछ मनचले लोगों ने एक गोल्डेन गैंग बना रखा है वह उसी का सदस्य था, उस का काम लूट-पाट, चोरी चकारी, हत्या करना था । मान्यवर, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी एक गलती हुई, उसे मैं स्वीकार करता हूं और मुख्य मंत्री और गृह मंत्री जी को भी स्वीकार करना चाहिये कि जिस वक्त भूरा मरा अस्पताल से जिन अधिकारियों की उपस्थिति में भूरा की लाश ले जाई गई वह नहीं जानी चाहिए थी । सबसे बड़ी गलती यही हुई । भूरा की लाश अस्पताल से न जाती तो अलीगढ़ में दंगे का कोई सवाल नहीं था और न वहां कोई मारा जाता । कैसे वह लाश अस्पताल के अधिकारियों की उपस्थिति में चली गई ? जो मैंने जांच की है उसके अनुसार अब्दुल करीम के चौराहे से जो मुसलमानों की बस्ती है वहां से सारे बाजार में जब लाश गई उससे गोल्डन गैंग के सदस्यों ने यह हल्ला कर दिया कि खून का बदला खून से लेंगे । गोल्डेन गैंग से जनता पार्टी का और किसी भी दल का कोई सम्बन्ध नहीं है । गैंग की बात को लेकर के उसके बाद सारे शहर में हल्ला हो गया कि हिन्दू और मुस्लिम दंगा हो गया । एक बड़ी गलती यही हुई है कि लाश को अस्पताल से ले जाने दिया गया । दूसरी तीसरी गल्तियां यही हुई हैं कि कलक्टर ने कहा था कि कर्फ्यू न खोला जाए लेकिन कमिश्नर ने माना नहीं कर्फ्यू खोल दिया गया और लड़ाई भड़कती चली गई । इससे जनता पार्टी को कोई मतलब कहीं नहीं आता है । न जनता पार्टी ने झगड़ा कराया और न जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल थे ।

इसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जहां तक यह बयान हो रहे हैं कि आर० एस० एस० का हाथ हो सकता है मैं अदब के साथ कह सकता हूं कि आर० एस० एस० के साथ इसका सम्बन्ध नहीं रहा है । आर० एस० एस० एक आदमी का हाथ हो सकता है समूची संस्था का उससे कोई सम्बन्ध नहीं था और जो इस तरह की बात करते हैं वह गलत कहते हैं । यह इसलिये कहते हैं कि इस तरह की बातों की प्रतिक्रिया से जनता पार्टी में आग लगे । आर० एस० एस० के किसी दो-एक लोगों का हाथ हो सकता है । इसलिए मान्यवर, अब मैं हल की

[श्री राधे श्याम शर्मा--]

तरफ आ रहा हूं । हल यह था कि वहां पर यह हालत है कि जो मुस्लिम बस्तियां हैं अब्दुल करीम चौराहे से ऊपर तक एक गुट में बसी हैं । सौ गज की दूरी पर हिन्दुओं की बस्ती है एक तरफ ऊपर और एक तरफ नीचे । और वहीं से सब दंगा भड़कता है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ का अगर सही इन्तजाम करना है तो उसका एक ही इन्तजाम हो सकता था। राष्ट्रवादी मुसलमान बहुत निकले और राष्ट्रवादी हिन्दुओं के भी पत्र आये । दोनों तरफ कुछ गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे और उन्हीं का झगड़ा था। इसको किसी दल के हिसाब से या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से मत जोड़िये । हम लोग जिन्दा रहेंगे तो राष्ट्र जिन्दा रहेगा । इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा जैसा कि कुछ लोगों का यह रवैया रहा कैसे उनका अखबार में नाम निकले ।

एक तरफ से आर० एस० एस० की अगर बुराई की गई तो दूसरे तरफ से कांग्रेस (आई०) की बुराई की गई । ऐसे वातावरण में क्या वास्तव में समस्या का समाधान निकाला जा सकता है ? हम लोग जिम्मेदार हैं । कई करोड़ जनता के हम प्रतिनिधि हैं । एक कमेटी बनाइये जिसमें हिन्दू-मुसलमान दोनों के प्रतिनिधि हों और सार्वजनिक रूप से उनके द्वारा सभायें कराई जायें । हिन्दु मुसलमान दोनों के जरिये भाषण दिलवाये जायें । मुसलमानों को हिन्दुओं के मन्दिरों में तथा हिन्दुओं को मुसलमानों को मस्जिद में ले जायें तभी सद्भावना का वातावरण पैदा हो सकेगा, दिल मिल सकेंगे । हम लोगों को एकजुट हो कर एक दूसरे से मिलना चाहिये । मैं समझता हूं कि मैंने संक्षेप में सारी परिस्थिति सदन के सामने रख दी । अगर हम लोग इस दिशा में काम करेंगे तो समस्या का हल हो सकेगा और इस सदन में दोषारोपण करेंगे, अखबार में वह सब निकलेगा, रेडियो पर भी आयेगा और अलीगढ़ के लोग भी उसे सुनेंगे तो इसमें वातावरण खराब होगा । संजीदगी से तथा गंभीरता से हमारी बातों पर आप विचार करें । यह कोई सरकारी काम नहीं है । हम लोग इस सम्बन्ध में लाबी में भी बातचीत कर सकते हैं और इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह सम्मानित सदन आज देश की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या पर विचार और चर्चा कर रहा है । मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि दोनों ही पक्षों की ओर से आज की चर्चा का स्तर और वातावरण अच्छा रहा । मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि माननीय तिवारी जी, ऊदल जी तथा श्याम धर जी ने जो कुछ भी कहा, लेकिन इस बात को उन सबने तसलीम किया और यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि निस्संदेह यह साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं है । यह तो एकाएक कुछ अराजक तत्वों को भड़काने वाली बात थी जिसे धार्मिक तथा साम्प्रदायिक रूप दे दिया गया । हस्ब मामूल जैसा हमेशा होता आया है कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के मौकों की तलाश में रहते हैं और जैसे ही उनको ऐसा मौका मिलता है उसको वह गम्भीर से गम्भीर रूप देने की कोशिश करते हैं और अपना निजी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं।

जो कुछ भी शासन पक्ष के ऊपर आरोप लगाया गया या उसकी आलोचना की तो श्रीमन्, वह ठीक है । हम और वह यहां बैठते ही इसलिए हैं । कोई भी मसला हो कुछ न कुछ आलोचना करने के लिए ही वह यहां आते हैं । उसी से हम लोगों का काम भी होता है । उसके लिए तो हम हमेशा उनके शुक्रगुजार हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, मैं एक दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं । शासन के प्रति बहुत कुछ कहा गया। इसमें कोई संदेह नहीं जब कभी दंगा होगा, जब कभी अराजक वातावरण उत्पन्न होगा तो उसमें जिम्मेदारी शासन के प्रति होगी। यह आज की बात नहीं है, इसके पहले भी दंगे हुए उसकी जिम्मेदारी भी उन पर थी। किसी न किसी जगह भूल या कमी होती है तब यह नौबत आती है । जब यह न हो तो सब ठीक रहता है, इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि वहां पर रहने वाले जो अधिकारी थे जिस तरह की सतर्कता के साथ और सूझबूझ के साथ उनको काम करना चाहिये था, उन्होंने नहीं किया इसमें कोई संदेह नहीं है । यह बात करीब-करीब निर्विवाद है तो एक ही जगह अधिकारियों ने सही काम कर लिया होता अर्थात् भूरे पहलवान का जलूस न निकला होता और उनको जलूस में न जाने देते तो यह बलनरेबल दंगा न होता । तो उसकी जांच तो होगी और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह प्रशासन के स्तर में भी होगी और जिन लोगों को दंड मिलना चाहिये वह मिलेगा । उस हद तक शासन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता । मैं सभी मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि पहले भी दंगे हुए जब कि यह शासन काम नहीं करता था और दूसरा शासन काम करता था तो उन दंगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी है ।

श्रीमन्, एक विशेष बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि यहां पर कुछ राजनैतिक व्यक्तियों या दलों के बारे में बात की गई और उसमें राजनीतिक साम्प्रदायिकता की बात की गई, यदि वह न की गई होती तो अच्छा था । इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता पार्टी आज जैसे बनी है उसमें जो पहले जनसंघ था वह उसका एक अविभाज्य अंग है । उदल जी को और अन्य साथियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आर० एस० एस० का जो तीखापन पहले था वह कम हुआ है । जब हम लोगों ने पहले भी जनसंघ के साथ मिल कर सरकार बनाई थी, तो उसको पनपने नहीं दिया था ।

श्री उदल—

मैंने जनसंघ का नाम नहीं लिया ।

श्री उदित नरायन—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आर० एस० एस० का नाम लिया, अन्य मित्रों ने आर० एस० एस० का नाम लिया। उस रोज भी आर० एस० एस० का जनसंघ से वही सम्बन्ध था और आज भी है। लेकिन अभी तक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी जगह जांच के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें किसी भी माने में जनसंघ या आर० एस० एस० का दोष है । मैं सफाई देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं । यहां पर बहुत सी बातें माननीय नौमान के बारे में कही गई । ज्यादा अच्छा होता कि कोई बात नहीं कही गई होती क्योंकि जो यहां उपस्थित न हो उसके विरुद्ध कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिसको कि सफाई देने का अवसर न मिले । सरकारी आंकड़े भी जो हैं और जो लोग वहां गए हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि वहां के जो अधिकारी थे उनका श्री नौमान से पहले से ही सम्बन्ध अच्छे नहीं थे । लेकिन उसके बावजूद भी वहां के जो अधिकारी हैं, जिनकी रिपोर्ट आई है, उन सब ने यह कहा है कि नौमान जी ने शांति कायम करने में जितना परिश्रम किया उतना किसी दूसरे आदमी ने नहीं किया । शांति कमेटी जो बनी उसमें उन्होंने अपने आदमियों को भेजा । आज यहां पर बैठ कर किसी एक आदमी को दोषी ठहराने का समय नहीं है ।

[श्री उदित नरायन---]

आज यहां पर बैठकर यह तय करना सम्भव नहीं है कि किसका दोष है । यह तो दूसरी प्रक्रिया है, वह होगी और उसके अनुसार दण्ड भी लोगों को दिया जाएगा । हमारे गृह मंत्री जी जो यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जितने दंगे हुए हैं और जो अराजक वातावरण पैदा होता है, उसमें इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिये, जो नहीं रखा जाता है कि ऐसे अवसरों पर पुलिस आवश्यकता से ज्यादा शक्ति बरत जाती है, जितनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये । जितनी गोलियां नहीं बरसानी चाहिये, उतनी यह बरसा देते हैं, उससे जनमानस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है और शासन की भी बदनामी होती है । इसलिए इस पर गृह मंत्री को ध्यान देना चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं तो क्या हम इस तरह इतनी बड़ी तादाद में खड़े हो सकते हैं ।

(कोई व्यवस्था नहीं दी गई)

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)---

हर सदस्य के लिए बोलने का १५ मिनट का समय तय है, किन्तु अभी बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो समय देखते हुए अच्छा हो कि प्रत्येक के लिए १० मिनट का समय कर दिया जाए, जिससे सभी को अवसर मिल जाए ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब १० मिनट का ही समय चल रहा है । पंडित जी (उदित नरायन) आपका १० मिनट का समय समाप्त हो गया है ।

श्री उदित नरायन---

मैं अपने मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका हमेशा के लिए, हर जगह के लिए इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो, उससे अधिक फोर्स यदि कहीं इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके लिए किसी न किसी को दण्ड दिया जाएगा । उन्हें हमेशा इस बात का डर रहना चाहिए कि आवश्यकतानुसार ही फोर्स इस्तेमाल किया जाए, उससे ज्यादा नहीं ।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं यहां पर किसी पर दोष लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, मैं न उन वजूहात और वाकयात में जाना चाहता हूं, जिनकी वजह से अलीगढ़ को यह बदनसीब दिन देखने पड़े । इसलिए भी कि जब कोई ऐसी बात कही जाती है तो कुछ पर्दानशीनों के नाम आ जाते हैं, जिनके यह हाथ में है । इसमें कुछ कहें तो उनमें शर्माहट आ जाती है और कहें तो कुछ चुल आ जाती है, इसलिए मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहूंगा । मान्यवर, मैं समझता हूं और उस दिन कहा भी था, जब मुझ बोलने नहीं दिया गया, मेरा यह निश्चित मत है कि अलीगढ़ में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होने वाले यह काण्ड, साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक तनाव, कहीं भी इसमें वह शामिल नहीं रहा है । अलीगढ़ में जो कुछ हुआ था वह एक सोचे-समझे ढंग से, एक सुनियोजित नक्शे के अनुसार किया गया है ओर अफसोस होता है यह कहते हुए कि हमारे प्रशासन में शामिल लोगों का इसमें हाथ था, प्रशासन में, हुकूमत में शामिल लोगों को सरपरस्ती उनको हासिल रही है । ५ अक्तूबर के 'अमर-उजाला' की कटिंग है, "भारद्वाज नाम के सी० आई० डी० इंस्पेक्टर ने कन्ट्रोल-रूम को सूचना दी, रिपोर्ट नम्बर २० है कि उसमें क्या स्थिति है, शहर में क्या स्थिति है ।" ६ सितम्बर, को जब यहां मानसून सत्र चल रहा था, एक न्यूज-आईटम अखबारों में निकला कि यदि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का विधेयक पास किया गया, उसके बारे में । जनसंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष शिवमंगल सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है अगर मुस्लिम विश्वविद्यालय का कानून पास किया तो हम अलीगढ़ को मराठवाड़ा बना देंगे । ६ सितम्बर को मैंने अध्यक्ष महोदय विधान सभा को नोटिस दिया कि खुली हिंसा की धमकी है, जन-जीवन से खिलवाड़ करने की धमकी है । अगर किसी माननीय सदस्य को किसी रास्ते में चलते हुए कहता है कि मैं कत्ल कर दूंगा तो सभी सदस्य उठ कर खड़े हो जाते हैं कि यह पूरे सदन को धमकी दी है। यह स्वाभाविक है । एक व्यक्ति को धमकी दी जाती है तो इतने व्यक्ति खड़े होते हैं लेकिन अलीगढ़ पूरे शहर के जन-जीवन से खिलवाड़ की धमकी दी गई, यह कहा गया कि अलीगढ़ को मराठवाड़ा बना देंगे । पता नहीं किन कारणों से, जो मैंने ध्यान दिलाने के लिए नोटिस दिया था उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया । मैं मानता हूं जो बात कही है माननीय सदस्य उदित नारायण और राधेश्याम जी ने, आर० एस० एस० का इस दंगे में कोई हाथ नहीं ।

जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर से मैं सहमत हूं कि आर० एस० एस० का कोई हाथ दंगे में नहीं है । जब कभी आर० एस० एस० का हाथ हुआ करता था दंगा दो-तीन दिन चल कर चौथे दिन की तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो जाया करती थी । आर० एस० एस० की कोई जरूरत नहीं रह गई है । सरकार ने बीड़ा उठा लिया है वह काम करने का जो आर० एस० एस० किया करता था। इसलिए आर० एस० एस० पर दोष लगाना बेकार है । आर० एस० एस० से कभी हुआ होगा । दो-तीन दिन चलता था । अब दो-दो महीने चलता है । आर० एस० एस० का कोई आदमी जो शासन में न हो, जनता पार्टी के किसी पद पर आसीन न हो, नवमान का नाम आता है, कुछ आदमियों का नाम आता है, चाहे वह मन्त्री पद पर विराजमान हों या जनता पार्टी के अध्यक्ष या मन्त्री हों । गृह मन्त्री जो बैठे हैं। एक बार मैंने पहले भी कहा था । माननीय गृह मन्त्री का ताल्लुक उस तबके से है जिसे लाखों लाल इस मुल्क में कुचला गया । मुझे खुशी है कि आज वह गृह मन्त्री हैं । वह एक दो गलतियां भी करें तो मैं उन लोगों में से हूं जो कहते हैं कि उनको बना रहना चाहिये । इस लिए कि उनका ताल्लुक है उनसे जिन पर ज्यादतियां हुईं । लेकिन एक शिकायत है । बदकिस्मती से, मुसलमान या हरिजन मिनिस्टर होता है तो उसको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है । श्री राम सिंह को जाना पड़ता है आर० एस० एस० के सर संघ संचालक को रिसीव करने के लिए स्टेशन पर । रामप्रकाश जी जायें तो मुझे कोई एतराज नहीं है । उस आर्गनाइजेशन से उनका ताल्लुक है । अगर रामसिंह जी का ताल्लुक रहा होता तो फिर भी मुझे कोई आपत्ति न होती । लेकिन उनका ताल्लुक नहीं है । ताल्लुक न होने के बाद ऐसे माहौल में जबकि अलीगढ़ का दंगा अपनी चरम सीमा पर था, अगर प्रदेश का गृह मन्त्री उस संघ के चीफ को रिसीव करने के लिए जायेगा तो मान्यवर, उस एस० पी० को कैसे दोष देंगे जो अलीगढ़ में आर० एस० एस० की रैली में नवमान को खड़े होकर सलामी देता है । अलीगढ़ का एस० पी० शामिल होता है और खुली सलामी देता है । जब सरकार की

[श्री आरिफ मोहम्मद खां--]

शक्ति ऐसे संगठनों को मिल जाती है, संगठन भी नहीं कहूंगा, ऐसे तत्वों को मिल जाती है तो परेशानियां पैदा होती हैं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं इसे साम्प्रदायिक दंगा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जो लोग धर्म और संस्कृति की बात करते हैं, (लाल बत्ती जलने पर) मुझे १५ मिनट दीजिये। अध्यक्ष जी से बात हो गई थी। आज कोई और काम भी नहीं है। सदन बढ़ा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय अध्यक्ष के ये आदेश थे कि नेताओं को १५ मिनट दिया जायेगा। आप दो मिनट और बोल लीजिये। जल्द से जल्द आप समाप्त करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, इस देश के प्राचीन धर्म और संस्कृति की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि बिला शुबहा इस मुल्क का प्राचीन धर्म और प्राचीन संस्कृति में जितनी सहिष्णुता है जितना बर्दाश्त करने की ताकत है, जितनी मुहब्बत है, यह अपनी आंखों पर रंगीन चश्मा चढ़ा कर देखने वाले उस प्राचीन धर्म और संस्कृति की गहराई को नहीं देख पाते। इस मुल्क को यह गौरव प्राप्त है कि यहां के अल्पसंख्यकों ने बगैर कोई लड़ाई लड़े वह तमाम राजनैतिक अधिकार प्राप्त किये जिनकी मिसाल दूसरे मुल्क में नहीं मिल सकती। इस मुल्क के लोगों ने दो-दो बार भुखिया मुसलमान को चुना है। मैं यह नहीं मानता कि इस मुल्क का बहुसंख्यक साम्प्रदायिक है। हो भी कैसे सकता है। उसकी धर्म पुस्तक ही नहीं कहती। भगवतगीता में श्रीकृष्ण कहते हैं चाहे जो आये, चाहे जिस रास्ते से आये, मेरे पास जिस तरह आयेगा उसे मैं उसी तरह स्वीकार करूंगा। दूसरे धर्मशास्त्री उड्येनचार्या कहते हैं जो शिव की उपासना करते हैं, जो बुद्ध की उपासना करते हैं, जो जैन की उपासना करते हैं वह सब उस हरि की उपासना करते हैं जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है।

डाक्टर राधाकृष्णन् जैसे हिन्दू धर्म की आथोरिटी कहते हैं कि अगर आज के जमान में उड्येनचार्य ने लिखा होता तो वे यह भी जोड़ते कि जिसे ईसाई ईशूमसी कहते हैं और मुसलमान अल्लाह कहते हैं हमारे पुरखे एक हैं, मुसलमानों और हिन्दुओं में क्या फर्क है। हमारी संस्कृति मिलीजुली है, हम भाषा एक बोलते हैं। केवल हमारी उपासना पद्धति अलग-अलग है। उस पर इतना झगड़ा नहीं हो सकता क्योंकि खुद हिन्दू समाज में अलग-अलग उपासना पद्धतियां हैं। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है मैं बहैसियत मुसलमान के कहता हूं कि मेरा ताल्लुक यहां से केवल इतना ही नहीं है कि मैं यहां पैदा हुआ हूं और मेरे मरने के बाद मुझे इस देश की मिट्टी में दफनाया जायगा बल्कि मैं जिस धर्म को मानता हूं उस धर्म के पैगम्बर ने उस वक्त जब इस देश में कोई मुसलमान भी नहीं था तब अरब में बैठकर कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है। इसी तरह की बात हजरत अली शेरे खुदा ने भी कही थी। इस मुल्क में हिन्दू और मुसलमान की लड़ाई नहीं हो सकती। यहां तो कोशिशें की जाती हैं लड़ाने की।

मेरा एक सवाल है। वही मानिक चौक जहां २० घर मुसलमानों के जला दिये गए वहीं मुसलमान का एक तीन मंजिला घर है, उस पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया इसलिए कि उसका मकान सिनेमा के लिए खाली नहीं कराया जा सकता था। वह उसको छोड़ कर भाग नहीं जाता। सिनेमा घर बनाने के लिए जगह खाली नहीं कर सकता था, सिनेमा घर को चलवाने के लिए कभी अलीगढ़ को मराठवाड़ा

बनाने की बात की जाती है, कभी पड़ोसियों के मामले को उभारा जाता है । यह तो सुनियोजित साजिश थी मानिक चौक के उन गरीब बाशिन्दों को उनके घरों से भगाया जा सके । एक बात और कहूंगा माननीय गृह मंत्री जी ने । जिलाधिकारी की रिपोर्ट है २७ तारीख को, प्रशासन में मंत्री जी हस्तक्षेप कर रहे हैं ।

माननीय मसूद साहब बैठे हैं । मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं । लेकिन एक फोटो जरूर दिखाना चाहता हूं । वह आदमी जो मराठवाड़ा बनाने की बात करता है वह मसूद साहब और राजेन्द्र सिंह के बीच में बैठा है । मान्यवर, आवारा जानवरों से तो खेत को बचाया जा सकता है लेकिन अगर मेंड़ खुद ही खेत को खाने लगे तो खेत नहीं बच सकता। जब उन असामाजिक तत्वों को मंत्री जी का वरद हस्त प्राप्त हो तो क्या हो सकता है । कलेक्टर की भी क्या हैसियत है । मैं आखिरी जुमला कह कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं । अपने साथियों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं । मान्यवर हमें इस मौके पर उन लोगों को भी याद करनी चाहिये । मानिक चौक जहां मुसलमानों के घर जलाये गए, वहां एक हिन्दू पानवाला अपने मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए बलवाइयों के सामने जमीन पर लेट गया । इसी तरह से सराये काबा में....

(इस समय २ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

वहां एक जहीर ठेकेदार ने यही किया । इन इन्सानों की तारीफ की जाये और ऐसा माहौल पैदा किया जाये जिसको इस देश में रहने वाले और आगे आनेवाले जहीर ठेकेदार की तरह काम करें । अब मैं एक शेर....

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए ।

*श्री नरेन्द्र सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की । प्रश्न यह है कि साम्प्रदायिकता की जो आग लगती है वह कैसे दूर हो । अलीगढ़ का दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण इस सदन में प्रस्तुत हुआ जिसकी पृष्ठ भूमि में विचार करने के लिये हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि अलीगढ़ की तरह की घटनायें फिर न हों । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपनी बात रखी । लेकिन आप यह भी देखिये कि साम्प्रदायिक विद्वेश वाले लोग कौन हैं । माननीय तिवारी जी ने याद दिलाया गणेश शंकर विद्यार्थी की और और उन्होंने याद दिलाया महात्मा गांधी की । क्या यह उनके पद चिन्हों पर चले हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अलीगढ़ का प्रकरण हुआ यह पूरा सदन इस बात से सहमत है कि वहां पर हिन्दू और मुसलमान के विद्वेश का झगड़ा नहीं है । अलीगढ़ का अपना इतिहास है । हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं । झगड़े की पुनरावृत्ति पिछले शासन काल में हुई । वहां के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने इसकी आग भड़कायी, उन्होंने यह मेरठ में कहा । तो सन् ७७ के चुनाव के बाद यह बात आयी किस तरह से जो साम्प्रदायिक विद्वेश की भावना थी चिकमंगलूर का चुनाव हुआ था । भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां पर गयीं थीं और कुछ लोग इकट्ठे हुये और यह आग फिर से भड़की

(व्यवधान)

मुझे कहने दीजिय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात कहें, उधर ध्यान न दें ।

श्री नेम सिंह चौहान--

एक दंगल में झगड़ा हुआ और एक हिन्दू हलवाई मारा गया और उसकी मृत्यु हो गई । उसकी लाश को ले जाने वाले कौन थे इसकी जांच होगी । वहां पर विरोधी दल के नेता भी गये । उनको भी मालूम हुआ होगा । उस लाश को ले जाने में नारे लगे कि जनता पार्टी मुर्दाबाद, खून का बदला खून से । यह नारे लगाने वाले कौन थे । यह साम्प्रदायिकता का विष को बेचने वाले एजेन्ट थे । झगड़ा दूसरे रास्ते पर हुआ और लाश ऐसे नाजुक जगह पर ले जायी गई। अलीगढ़ में अगर दो साइकिल वाले टकरा जते हैं तो हो जाता है कि हिन्दू मुसलमान का टकराव हो गया है । तो लाश वहां ले जायी गयी और सब ने एक मत से स्वीकार किया है कि उन कारणों को दूर किया जाय जिससे प्रशासन के लोग इस साजिश में पता करके इस बात को भविष्य में न होने दें । माननीय तिवारी जी ने एक बात कही कि कुछ लोग डुएल हो गये हैं । तो प्रशासन में जो लोग हैं, लेकिन डुएल शासन नहीं चल रहा है । लेकिन वहां शासन का मतैक्य नहीं था । कमिश्नर एक बात कहता था जिलाधीश दूसरी बात कहता था, जो नहीं होना चाहिये । वहां पर जब एक आग लग गयी, यह मनोवैज्ञानिक आधार है कि जब कभी कोई बात हो जाती है, जब झगड़ा शुरू हो जाता है तो दूसरे लोग कहते हैं कि इसी हिन्दू ने चाकू मारा है चाहे दोनों ही मुसलमान हों । कितना डर है, कितनी शंका है एक दूसरे के प्रति कितना अविश्वास है कि एक साथ १० जगहों पर झगड़ा शुरू हो जाता है । इसका मतलब लोग तैयार थे ।

यह मान लिया गया और प्रशंसा की गयी कि मुस्लिम विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका वहां के विद्यार्थियों ने अदा की : मुस्लिम विश्व-विद्यालय हो, चाहे वार्ष्णीय विद्यालय हो, चाहे इन्टरमीडिएट कालेज हों उनके जो संघों की भूमिका है, उनकी भूमिका स्तुत्य है । लेकिन वहां के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी बात को लेकर, गैर हिन्दू सम्प्रदाय के लोगों ने समझा, जब मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने मांग की कि इस कमीशन का बहिष्कार किया जाय, तो दूसरों को लगा कि यह एक पक्ष को लेकर कहा जा रहा है । मैं गया हूं वहां पर, जो उनका विवरण आरिफ साहब ने दिया, वहां पर ऐसे लोग हैं, ताले का काम वहां होता है । उन लोगों से मैंने प्रश्न किया तो नसीर उद्दीन ने यह कहा कि चौहान साहब हमारे यहां हिन्दू काम करने वाले सुरक्षित हैं, वहां पर दूसरे लोग थे वह कहते थे कि हमारे यहां मुसलमान सुरक्षित हैं । हमने कहा कि यह तो दूध देने के पशु सुरक्षित हैं लेकिन सड़क पर चलने वाले हिन्दू और मुसलमान क्यों नहीं सुरक्षित हैं । समय-समय पर अब भी छुटपुट घटनायें हो रही हैं । मैं मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह था, चाहे किसी दल से सम्बन्धित नेता थे, चाहे जनता पार्टी के नेता रहे हों चाहे विपक्षी रहे हों, उनमें से कुछ लोगों ने इस आग को भड़काये रखने में मदद की और बाध्य होकर इस बात को कहना पड़ा कि लोग वहां पर न जांय । मैं समझता हूं कि इसी अपील को मान कर शेख अब्दुल्ला साहब उधर तशरीफ नहीं लाये । पूरे अलीगढ़ के १/३ हिस्से में अशांति थी बाकी सारे हिन्दू मुसलमान एक थे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

मान्यवर, यह बैठ जायं मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर यह सब खड़े

हैं। वहां साम्प्रदायिकता, विद्वेष की भावना को उभाड़ा गया। ८ तारीख को मैं जब अलीगढ़ पहुंचा तो सिकदराराऊ नगर जो मेरा चुनाव क्षेत्र है जहां हिन्दू मुसलमान रहते हैं वहां दो मस्जिदों में अराजक तत्वों ने सुवर का मांस डाला और पुलिस को खबर देने वाले कौन थे यह आतंरीय गृह मन्त्री को मालूम होगा। तो वहां भी यही साजिश की गई कि किसी तरह से हिन्दू मुसलमानों में झगड़ा भड़क जाय। मुसलमान खबर देने वाले नहीं थे। खबर देने वाले हिन्दू थे। हिन्दू मांस डाल गये किस पृष्ठभूमि में डाल गये, कौन से तत्व हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जैसे हमारे श्यामधर जी ने एक बात कही थी कि इस विष को नष्ट किया जाय। रावण का राम सिर काट लेते थे और फिर सर उग आता था क्योंकि उनकी नाभि में अमृत था। उसको बताने वाले विभीषण थे। तो इस साम्प्रदायिक विद्वेष से बचाने वाले को वह बतायें कि किस तरह से वह मरा, जनता पार्टी का तो घोषणा-पत्र आप पढ़ लें, हम कटिबद्ध हैं, इस समाज में एकरूपता आ गयी, विशेषकर इन्दिरागांधी के लोग जो हैं उनकी नीति नहीं आती है, इनमें भगवान से बुद्धि दे, खुदा इनको अच्छी अक्ल दे। हम स्वागत करते हैं कि किस तरह से यह हो।

(श्री राम जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री वीरेन्द्र पति यादव--

अध्यक्ष महोदय, क्या मुझको भी अवसर मिलेगा?

श्री राम जी (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, साम्प्रदायिकता एक ऐसा जहर है जिससे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रवादी होगा, जो इस देश के प्रति चिन्तित रहता है, जो यह सोचता है कि देश हमारा है, यह भारत धरती हमारी मां के समान है। इसमें बसने वाले ६० करोड़ लोग हमारे भाई और बहन हैं। यदि उनमें किसी प्रकार का कष्ट होता है, आपस में झगड़ा होता है, उनका खून बहता है, तो यह देश को नुकसान होता है, राष्ट्र की क्षति होती है और जो इस सम्पूर्ण राज्य के लिए चिन्तित रहते हैं, निश्चित रूप से ऐसे किसी भी कांड की निंदा करेंगे। उससे दूर रहने का प्रयास करेंगे। इस विषय को सदा सदा के लिए दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मान्यवर, दुःख उस समय होता है जब इस लोकतन्त्र के अन्दर लोकतान्त्रिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए राजनैतिक स्वार्थों के नाम पर हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर हिन्दू और मुसलमानों के बहते खून में भिगो-भिगो कर रोटियां खाते हैं, आज तक उन दंगों को भड़काते आये हैं, ४७ के बाद ७७ के पहले इस देश में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, जो गोलियां चलाई गई हों या मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को भून डाला गया हो, बस्ती रहा हो या सुलतानपुर रहा हो, वह घटना हमारे आपके सामने ताजी है, भूली नहीं है।

१९७७ में जब एक नया परिवर्तन आया, देश के मुसलमानों और हिन्दुओं ने अपनी योग्यता का परिचय दिया। इस देश पर जो शासन करने का अपना अधिकार मान रखे थे, जो इस देश को सदा-सदा के लिए गुलाम बनाने की साजिश कर रखे थे, जो किसान मजदूर थे, उन लोगों को सदा के लिए खत्म कर दिया, उनकी नींद हराम हो गयी। १९७७ के मार्च से लेकर जून में जब चुनाव हुआ था, उन चुनावों के दिनों में जो इनके भाषण हुआ करते थे, उसी प्रकार इस चिन्ता रही कि हिन्दू-मुसलमानों में एकता क्यों कायम हो गयी, यह भाव उनके मन में था। लखनऊ के अन्दर पिछले साल सिया-सुन्नी दंगे हुये थे और

[श्री रामजी---]

उस दंगे में साम्प्रदायिकता की भावनाओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए था। यहां बैठने वाले एक व्यक्ति ने सद्भावना उत्पन्न करने के बजाय कुर्सी छोड़कर यहां से वहां चले गये। यहां पर साम्प्रदायिकता की बू और दुर्भावना पैदा करने की कोशिश की गई थी। वह असाम्प्रदायिकता को अपने चेहरे पर नकाब लगाकर असाम्प्रदायिक बनने की कोशिश कर रहे थे। उन दंगों की रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिये। अलीगढ़ में जो दंगा हुआ था उस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूं कि....

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप पर्सनल अटैक करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें।

श्री राम जी---

मैं निवेदन कर रहा था कि जब अलीगढ़ के संदर्भ में बात करने के लिये हम आये हैं तो निश्चित रूप से हम और आप सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं तथा कोई ऐसा नहीं होगा जो इन घटनाओं से दुखी न होगा। आप राजनैतिक परिपेक्ष्य में देखें तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें उभारने की कोशिश करना जिससे आम जनता के काम में दुर्भावना पैदा हो जाय और अविश्वास पैदा हो ठीक नहीं है। इसलिये विधान सभा में जो यहां बैठे हुये हैं, इस देश के और प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं, उनको परस्पर विश्वास और सौहार्द्र उत्पन्न करने का काम हमें और आपको करना चाहिये। जो राजनीतिक द्वेष से इस काम को नहीं करते हैं वह हिन्दू और मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते हैं और जो राजनीतिक द्वेष से काम लेते हैं वह समाज के दुश्मन होते हैं। अलीगढ़ के मामले में मान्यवर, मई और सितम्बर में जो घटनायें घटी हैं उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि मई में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री वहां जाती हैं और सरकारी अधिकारियों तथा नेताओं से उनकी बात होती है और उस वार्ता के अन्दर यह सुनियोजित ढंग से योजना बनाई जाती है। वहां उस समय एक मेला हो रहा था जिसमें झगड़ा होता है और उसमें जो लोग शामिल थे उनका नाम किसी संस्था से जुड़ा था, वह, स्पष्ट है, शासन को मालूम है, अध्यक्ष जी रोक न लगायें तो संस्था का नाम मैं लेता हूं और वह है 'गोल्डेन क्लब'। इस संस्था के लोग एक लाश को लेकर सारे शहर में घुमाते हैं और इन्दिरा गांधी के लोग वहां चाहते हैं कि अलीगढ़ अशांत हो जाय। अलीगढ़ में इस तरह वह असुरक्षा की बात पैदा करते हैं। इस तरह वह कोवड़ उछालने की परम्परा पर चलते रहने का प्रयास करते रहे।

एक सदस्य---

आर० एस० एस० के बारे में भी बता दें।

श्री राम जी---

मान्यवर, आर० एस० एस० का नाम लेने वाले मित्रों आपके अन्दर वह सारी बातें हैं जिनके तहत हम विचार करते हैं तो वे सारे लोग हम पर इस प्रकार से इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं, जो उनके ऊपर वह बातें हैं, वह स्पष्ट

हैं, वह अपने आप को देखें। उनकी मनोवृत्ति कितनी दूषित है। तुर्कमान गेट के मुस्लिम हत्या कांड में आर० एस० एस० कहां था। जब जामा मस्जिद के फर्श को मुसलमानों के खून से रंग डाला गया, उसकी दीवालों को गोलियों से छेद डाला गया, तो उस समय आर० एस० ए० कहां था ? मुजफ्फरनगर के मुस्लिम हत्या कांण्ड में आर० एस० एस० कहां था, बस्ती, अलीगढ़ में सुल्तानपुर में कौन था ? उन दिनों की याद क्यों नहीं करते ? आप अपने प्रदेश और दूसरे प्रदेश के अन्दर भी देखें। सारे जांच के प्रतिवेदन आये हैं। उन प्रतिवेदनों में बहुत स्पष्ट रूप से इन्दिरा कांग्रेस का हाथ होने की बातें कही गयी हैं।

इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, मेरे ऊपर एक आरोप लगाया गया है....

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये....

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है आप को रोकना....

(शोर)

कोई है ऐसा दमदार कि मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दे। यह कहते हैं कि मैंने किसी वर्ग का नेता बनने के लिये मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया....

(शोर)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

आप बड़े बहादुर हैं। अपनी सीट रिजाइन कर दें....

(शोर)

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

आप रिजाइन कीजिए मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। मेरे खिलाफ आप लड़िये, मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

बैठिये..बैठ जाइये..

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

क्यों नहीं रोका आप ने, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग नहीं चाहते कि ....

(व्यवधान) आपका तरीका.... (व्यवधान) आप बैठिये....

एक सदस्य--

तय हुआ था कि गुपतगू.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

श्री आरिफ, यदि आप के खिलाफ कोई आरोप है...

(व्यवधान) आरिफ जी यह तरीका आपका गलत है, आप बैठिये। आप के खिलाफ कोई आरोप है...श्री आरिफ--

(व्यवधान)

नारायण दत्त जी इस प्रकार आप की पार्टी के लोग भी....

(शोर)

श्री आरिफ मैं यह कहता हूं कि आप के खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है तो यह नियम में हैं लेकिन जिस तरह से आप खड़े होते हैं वह नियमों के खिलाफ है। यदि कोई आप पर परसनल आक्षेप आता है।

एक सदस्य--

पांच घटक हैं....

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

आप कभी नहीं बिगड़ते।

श्री अरुण कुमार--

परम्परा पूरे सदन के लिए बनी रहनी चाहिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रेवतीरमण रस्तोगी--

व्यवस्था का प्रश्न है । जब अध्यक्ष महोदय खड़े हों तो उस समय कोई खड़ा नहीं हो सकता....

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

६ विरोधी पक्ष के लोग बोल चुके हैं । अब तक सत्ता पक्ष के लोग पांच बोले । मुझे लगता है श्री आरिफ ने अपने हाथ में अधिकार ले लिया है जब चाहें सदन में व्यवधान डाले और जब चाहे सदन की कार्यवाही रोक दें । तो मैं नियम के अनुसार बुलाऊंगा । अब तक पांच आदमी सत्ता पक्ष के और ६ आदमी विरोधी पक्ष के बोल चुके हैं । इसलिए मैंने श्री बर्क को बुलाया....

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

आप रोकते क्यों नहीं हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

अध्यक्ष जी, जरा सुन लें--

श्री ऊदल --

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, आपने माननीय आरिफ जी को गलत समझा और विरोधी दल को भी गलत समझ लिया । आपने कहा कि विरोधी दल के ६ और सत्ता पक्ष के ५ लोग बोल चुके हैं । लेकिन, मान्यवर, सवाल यह नहीं है । आरिफ जी के खिलाफ कोई पर्सनल बात किसी माननीय सदस्य ने कहा, सवाल उस पर है । आरिफ जी ने बोलने के बारे में कोई बात नहीं कही ।

श्री अध्यक्ष--

आप समझते हैं कि मैंने आरिफ जी को सुना नहीं, लेकिन मैंने उनको सुना है । बरेली के माननीय सदस्य ने कहा कि आप उसी पक्ष के आदमी को बुला रहे हैं । मैंने उनका उत्तर दिया । श्री आरिफ को चाहिये था... ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन, आप अपने कक्ष में गये थे । वास्तविकता यह है कि आपको शायद ख्याल होगा कि आरिफ साहब बोलने के लिए खड़े हुये होंगे । लेकिन वह पहले बोल चुके हैं । प्रश्न तो इतना था कि माननीय सदस्य मऊ, ने आवेश में आकर कहा कि यदि माननीय सदस्य जो बोले, एक वर्ग के नेता होने के लिये त्यागपत्र दिया ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह कहा कि माननीय आरिफ को मैंने सुना है । मैं उनके भाषण को अपने कक्ष में सुन रहा था । लेकिन अब श्री आरिफ चाहते तो व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए खड़े हो सकते थे । वह एक तरीका था । लेकिन उन्होंने एक लम्बा भाषण देना चाहा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

चूंकि आप, मान्यवर, अक्सर कार्यवाही से निकलवा देते हैं, इसलिए इसके लिये भी कह दें कि यह कार्यवाही का भाग नहीं रहेगा ।

इसको निकाल दें ।

श्री अध्यक्ष--

वह हम देख लेंगे । जहां लिखा होगा--'वर्ग के नेता बनने के लिये' उसको देखने के बाद निकाल देंगे ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, जहां तक फिरकापरस्ती का ताल्लुक है, वह इस मुल्क की पेशानी पर एक बदनुमा दाग है । ऐसा होना न सिर्फ हिन्दुओं के लिये बल्कि किसी भी तबके के लिये बदनुमाई की बात है, और यह पूरे देश के लिये एक बहुत भयानक तस्वीर है । मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आज तक हिन्दुस्तान की सरजमीं पर लगभग तीन हजार फसादात हो चुके हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज तक उनको रोका नहीं गया और मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया गया ? हमें सोचना चाहिये कि यह देश सबका देश है । मुसलमानों ने भी इस देश के अन्दर कुरबानियां दी है । हिन्दुस्तान की तवारीख इस बात की गवाह है कि हिन्दुस्तान की आजादी के लिये हिन्दू मुसलमानों ने कन्धे से कन्धा मिलाकर कुरबानियां दीं । इस तरह कुरबानियां देकर इस देश को आजाद कराया । इस देश के लिये हमारा बहुत बड़ा योगदान है । हम इस देश के रहने वाले हैं । हमने देश के लिये कुरबानियां दी हैं । तो मैं बताना चाहता हूं कि हम भी इस देश के वफादार हैं । लेकिन जब कभी आजमाइश होती है, तो गद्दारी का इल्जाम हम पर लगाया जाता है । ऐसा क्यों होता है ? हम गद्दार नहीं, वफादार हैं । मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करना चाहता हूं कि पहले कुछ भी हुआ हो और जो भी हमने इस देश के लिये कुरबानियां दी हैं, आज भी हमारे देश पर, खुदा न करे, कोई ऐसा वक्त आया तो हम अपने देश की हिफाजत के लिए बड़ी से बड़ी कुरबानी देने के लिए तैयार हैं । हम कभी इस बात को गवारा नहीं करेंगे कि हमारा देश किसी गैर के हाथों में जाये या कोई दूसरे देश का इन्सान हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखे । हमने यहीं जन्म लिया है, हमें यहां की भूमि के एक-एक जर्रे से प्यार है, हम यहीं रहेंगे और इसी सरजमी में हमें दफन होना है और यकीन तो करना पड़ेगा, खूब जानते हैं वैसे यकीन भी सब करते हैं "जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया और जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं" । अफसोस यह है कि बावजूद हमारी इन सारी कुरबानियों के हमको गद्दार बताया जाता है और इस देश के अन्दर दंगे फसाद किये जाते हैं । चाहे वह सम्भल का दंगा हो, चाहे बनारस का या अलीगढ़ का । सम्भल में जब फसाद हुआ था तब मैं यहीं मौजूद था । मुख्य मंत्री जी और मैं सम्भल गये थे । आर० एस० एस० के लोगों ने कहा कि ये कातिल और गद्दार हैं । कुछ गौर फरमाइये । अलीगढ़ के अन्दर क्या कुछ नहीं हुआ । मैं खुद देखने के लिये अलीगढ़ ११ व २१ अक्तूबर, को गया था, डा० बेग साहब यहां बैठे हुए हैं जो वहां के एम० एल० ए० हैं मैं उनके साथ पूरे अलीगढ़ में घूमा था । मैं उस पर तफसरा नहीं करना चाहता । मैं चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर शान्ति हो, हम लोग मिलजुल कर रहें और मैं मुसलमानों की तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर अमन और शान्ति के लिए हमारे खून की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं और पूरी कौम की तरफ से

मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुसलमान कौम अमन और शान्ति के लिये सब कुछ करने को हर वक्त तैयार है। हमारे ऊपर एतमाद किया जाए, हमें गद्दार न बताया जाये।

साथ ही साथ अर्ज करूंगा कि इस देश के अन्दर फिरकेवाराना फसादात क्यों कम नहीं होते इसका कुछ इलाज हमें सोचने की जरूरत है। मैं अध्यक्ष महोदय के वास्ते से सरकार की नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि पी० ए० सी० पर मुसलमान कौम का एतमात नहीं है। जहां भी पी० ए० सी० गई है, मुसलमानों के साथ जाकर उसने जुल्म किया है। वह एक फिरके की तरफ मिल कर एक तरफा रोल अदा करती है। मुख्य मंत्री जी बतायें आज कितने मुसलमान पी० ए० सी० के अन्दर हैं, मुसलमानों का सर्विसों से सफाया किया जा रहा है। सेक्रेटेरियट के अन्दर क्या कोई मुसलमान सेक्रेट्री की प्लेट लगी है? और ५७ जिलों के अन्दर कितने डी० एम० और कितने एस० एस० पी० मुसलमान हैं और दूसरे डिपार्टमेन्टस् में मुसलमानों की संख्या क्या है? क्यों उनका सफाया किया जा रहा है? जब तक मुसलमानों को पूरी नुमायन्दगी नहीं दी जायेगी उस वक्त तक यह हालत ठीक नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं कि पी० ए० सी० के अन्दर, अगर आप पी० ए० सी० को खत्म करना नहीं चाहते हैं तो ५० परसेन्ट मुसलमानों को नुमायन्दगी दी जाये तभी जहां पर भी दंगा फसाद होगा वहां सही इन्तजाम हो सकेगा। पुलिस के अन्दर मुसलमानों को भरती किया जाये। अभी ४८० पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स का सेलेक्शन हुआ है और जिसमें से सिर्फ ५ मुसलमान सेलेक्ट हुए हैं और उसमें से भी दो को रिजेक्ट किया जा रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि .०५ मेडिकल में उसकी हाइट कम है। तारिक सिद्दीकी नाम का एक लड़का है, उसने मुख्य मंत्री जी से शिकायत की है कि उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो जितना भी हमारा अधिकार है, कम से कम सारी सर्विसों के अन्दर और सारे डिपार्टमेन्टस् के अन्दर हमें पूरी नुमायन्दगी की जाये।

हरिजनों को पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मैं हरिजनों के रिजर्वेशन के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मुसलमान भी इस देश की एक बहुत बड़ी एकलियत हैं तो या तो आप उनको रिजर्वेशन दें या उनको पूरी नुमायन्दगी दें। इस बात का ख्याल रखा जाय। गृह मंत्री बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं पुलिस के अन्दर आज मुसलमानों का क्या रिप्रेजेंटेशन है? पुलिस के अन्दर मुसलमान जीरो हैं इसलिये यह फिरकेवाराना फसादात होते हैं। उनकी जान की तहफ्फुज करने वाला कोई नहीं है। जो महाफिज बन कर जाते हैं वही जुल्म ढाते हैं बजाय इसके कि हिफाजत करते, गोली चलाते हैं। मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि चाहे जो भी मुसलमानों के मसायल हों, मुसलिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ हो या उर्दू का मसला सब का मुकाबला किया जायेगा। अगर मुसलिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के ऊपर कोई आंच आती है तो एक-एक ईंट की हिफाजत की जायगी। मुसलमानों की तहजीब तथा तमद्दुन की हिफाजत की जानी चाहिये। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि हर सूबे के अन्दर अकलियत के साथ यानी मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है, इस नाइंसाफी को खत्म किया जाय। मुसलमानों को जिन्दा रहने दिया जाय। जो मुसलमान मिनिस्टर तथा एम० एल० एज० यहां बैठे हुए हैं उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको अपने मुस्तकिबल के लिये सोचना पड़ेगा। उनको मिलकर, बैठ कर तय करना होगा कि हमारे अधिकारों का कोई तहफ्फुज अगर नहीं होता है तो उसके लिय माकूल व्यवस्था की जाय। हम सरकार से अपने मतालबात मनवाने की कोशिश करें। जब तक हम खामोश बैठे रहेंगे उस वक्त तक इस तरह के जुल्म हमारे साथ होते रहेंगे। हम अब इस जुल्म तथा तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

[श्री शफीकुर्रहमान वर्क—]

मैं एक बात कह कर तकरीर समाप्त करता हूं कि हमारी तवारिख, यानी इस्लाम की तवारीख यह है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्ला हो अले-हेव-सल्लम जब ताइफ तशरीफ ले गये तो उनके मुखालफीन ने उन पर ईंट तथा पत्थर बरसाये और वह खून से लोहु लुहान हो गये। उनके साथियों ने कहा कि इन लोगों को सर कलम कर दिया जाय तो उन्होंने फरमाया कि मैं शान्ति तथा अमन के लिये आया हूं और उन्होंने हाथ उठा कर कहा कि ऐ खुदा जिन्होंने मुझ पर ईंट और पत्थर बरसाये हैं तू उन पर फूलों की बारिश कर दे। वे मुझे पहचानते नहीं हैं। कल इनकी आने वाली नसलें मुझे पहचानेगी। हम इसी मिशन पर जिन्दा हैं। इस्लाम इसी मिशन पर कायम है लिहाजा कोई फिरकेवाराना फसाद नहीं होने दिया जाय।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसकी अहमियत इसी चीज से जाहिर होती है कि ३० साल भारतवर्ष को आजाद हुए हो गये किसी प्रधान मंत्री ने किसी जगह की इस तरह से विजिट नहीं की। यह अलीगढ़ ही है भारतवर्ष में जिसके मुताल्लिक पार्लियामेन्ट को यह व्यवस्था करनी पड़ी और प्रधान मंत्री जी को वहां एक रात कयाम करना पड़ा। वजह स्पष्ट है, बिलकुल साफ है जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने वहां का देखा जो निगाह उन्होंने यू० पी० में डाली तो यह महसूस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन यहां का ठप्प है और उस जनपद का प्रशासन बिलकुल निकम्मा है जिसके सामने से भूरे की लाश कुछ लोग उठाकर जबरिया ले गये, जिनको अराजक तत्व कहा जाता वे अराजक तत्व उस लाश को ले गये। तत्व नहीं ले गये बल्कि कुछ शक्तियां हैं इस जनता पार्टी के अन्दर जिनके आशीर्वाद से भूरे की लाश वे लोग उठा कर ले गये और जिलाधीश तथा पुलिस खड़ी की खड़ी रह गयी। यह एक योजना बद्ध कार्य अपने तरीके से शुरू हुआ। यह वहां का नक्शा बताता है कि वहां कुछ कम तादात अकलियत रहती है जो तासे रासे का काम करते हैं, जिनका ठेला चलाने का काम है और उस इलाके में कुछ अमीर लोग बसते हैं जो हमेशा उन गरीबों पर नजर रखते हैं। यह फिरकावाराना बात नहीं है बल्कि तबकावाराना बात है और इस फिसाद में अमीर आदमियों की इन गरीबों पर नजर रही जैसा कि मैंने कहा। उनका यह ध्येय था जिसके कारण एक सौ आदमियों पर हमला किया गया। मैं कह सकता हूं कि उस एरिया में एक धर्मशाला है जिसको मैंने स्वयं देखा उस धर्मशाला के अन्दर वह तत्व बैठते थे। मैं कह सकता हूं कि अमीर तबका वहां पर हमेशा बरबादी का नक्शा बनाता है। जब हिन्दुस्तान का तक्सीम हुआ तब भी यही तत्व था जिसका यह ध्येय था कि उन लोगों को यहां से निकालने के बाद उनकी जगह हथिया लो और सियासी फायदा उठाओ।

अलीगढ़ में धर्मशाला के अन्दर कार्य करने वाले नौजवानों को इस्तेमाल किया गया जिसको छुपाना गुनाह होगा। मेरा कहना है कि उन तत्वों का अलीगढ़ में आज भी महत्व खत्म नहीं हो रहा है। प्रधान मंत्री ने उन लोगों को वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को निकम्मा बताया और पी० ए० सी० में अकलियत के लोगों को रिप्रेजेन्टेशन देने की बात की लेकिन शासन ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है। आज इन्सान-इन्सान में भेद पैदा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जा रहा है । मानस सब एक हैं इस बात पर हमें चिन्ता करनी है । हम विचार के लिहाज से आज बंटे हुए हैं, हमारा धुंधला दिमाग है जिसके कारण हम इसे हल नहीं कर पा रहे हैं अन्यथा दो महीना ८ दिन तक यह मसला पड़ा हुआ न होता । मेरा कहना यह है कि महात्मा गांधी एक लंगोटी पहनने वाला आदमी था और उस समय वह नौवाखाली चला गया जब वहां गोली बरस रहीं थी । आज उधर बैठे हुए लोग उनका नाम लेते हैं लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर सके कि वहां जांय । हम एक सदभावना मिशन वहां नहीं भेज सके जो वहां जाकर कुटिया बना दे और कहे कि जब तक अमन नहीं होगा, हम तब तक नहीं जायेंगे । यह प्रदेश एक बहादुर कोई ऐसा पैदा नहीं कर सका जो वहां जाकर अमन कायम करे । अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस हाउस का-एक सद्भावना मिशन बनायें वह वहां से तब तक न लौटे जब तक वहां अमन न कायम हो जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं इस हाउस में फिर अर्ज करना चाहता हूं कि यह फिरकावाराना फिसाद नहीं है यह एडमिनिस्टेशन का फेल्योर है । अमीर लोगों का पैदा किया हुआ यह काम है जो कि इन तत्वों को इस्तेमाल करते हैं । उनको छुपाना नहीं चाहिये और उनको सख्ती से कुचलना चाहिये ताकि प्रदेश के अन्दर इस तरह के गुनाहगार लोग पैदा न हो सके ।

*श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस विषय पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं । आज इस सदन में एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है, जिसकी ओर पूरे हिन्दुस्तान की नहीं, दुनिया के अन्य बहुत से लोगों की आंखे लगी हैं । इस डेढ़ साल के जनता प्रशासन में ४–५ दंगे हुये । मैं उसमें यह नहीं कहना चाहता हूं कि यह दंगें किसने कराये, लेकिन शासन की यह जिम्मेदारी है कि वह उन तथ्यों को खोजे, जिनकी वजह से यह दंगे होते हैं । जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने देखा है कोई हिन्दू–मुसलमान आपस में न लड़ता है न लड़ना चाहता है । देहातों में मैंने देखा है कोई हिन्दू–मुसलमान नहीं लड़ता है और न लड़ना चाहता है । क्या कारण है कि बड़े–बड़े शहरों में ही इस तरह के दंगे होते हैं । अलीगढ़ के दंगे ने सारे हिन्दू–मुसलमान को हिला दिया है और यह प्रशासन पर एक बदनुमा कलंक का टीका है । मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं । शासन ने एक न्यायायिक जांच बिठा दिया है, उसकी रिपोर्ट आयेगी और जहां तक मैं समझता हूं सही रिपोर्ट आवेगी और आनी भी चाहिये ।

लेकिन मैं आपके खिलाफ कुछ एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जब यह दंगे हुए, क्या गृह मंत्री को उसकी जानकारी है या नहीं–पार्लियामेन्ट में भी यह बात उठी थी कि जब दंगे हो रहे थे अलीगढ़ का डी० एम० आगरा डिवीजन के कमिश्नर के पास जाता है और कमिश्नर उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहते हैं कि सुअर के बच्चे, क्या तुम मुसलमानों को बचाना चाहते हो । यही उस कमिश्नर की वर्डिंग थी । मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि क्या शासन की नालेज में यह बात है या नहीं । यह बात संसद में उठी है । वह आपके कमिश्नर वहां पर अब भी मौजूद हैं, यह प्रशासन के लिये शर्मनाक बात है । जिन पुलिस वालों ने गलती की है, उनको सस्पेन्ड करके और ट्रांसफर करके ही यह दंगे नहीं समाप्त किये जा सकते हैं । उनको भी जेल भेजना पड़ेगा । मैंने इस प्रशासन में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दीप नरायन—]

देखा है, इस शासन पर नौकरशाही पूरी तरह, बुरी तरह से हावी है। प्रशासन फेल है। नौकरशाही के हाथों से ही शासन चलना है तो हमारी यहां कोई जरूरत नहीं है, सदस्यों और मंत्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नीति निर्धारण करते हैं, आप गलत काम करने वालों को सजा दीजिये। उसके लिये यह सारा सदन जिम्मेदार है। यह प्रदेश बहुत बड़ा है। पूरे प्रदेश और देश की जनता विधान भवन की ओर देखती है और आपके कार्यों को देखती है।

गृह मंत्री जी आपकी तरफ से हम और यह प्रदेश पहले यह आशा लगाए था कि कुछ सुधार होगा, लेकिन आज मैं साफ कहता हूं कि आज आपके होते पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल हैं और कम्पेलेन्ट नहीं लिखी जाती हैं। आज आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर इन्दिरा कांग्रेस ने आर० एस० एस० पर आरोप लगा दिया तो आर० एस० एस० ने इन्दिरा कांग्रेस पर लगा दिया। लेकिन बात वह सही है जो अभी रियासत भाई ने कही कि मुसलमान भी इस देश का है, इस देश की धरती का पैदा हुआ है, यहां रहेगा। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने इतिहास में पढ़ा है—जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, तो मुसलमान भाइयों ने भी अपना खून बहाया है। १८५७ की गदर में, जब दिल्ली में गदर शुरू हुआ, तो १६ मुसलमान राजकुमारों को भी एक दिन फांसी दी गई थी। तो फिरकापरस्ती चाहे जिसकी हो, उसे देश की जनता बरदाश्त नहीं कर सकती है। इस देश का अवाम एक नयी चीज, एक नया समाज चाहता है। हिन्दू–मुसलमान के झगड़े में गरीब अवाम का दिमाग नहीं जाता है। अवाम की आर्थिक, सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं। समस्या हिन्दू–मुसलमान की नहीं है। यह फिरकापरास्त ताकतें जब तक देश में रहेंगी, यह होता रहेगा। जिम्मेदारी शासन की है। मैं आपकी आज्ञा से शासन से पूछना चाहता हूं कि अलीगढ़ के दंगे में कितने अधिकारियों को जेल भेजा गया, कितनों को सस्पेंड किया गया जिन्होंने मारपीट में हिस्सा लिया। जब भी दंगे होते हैं कुछ हिन्दुओं को कुछ मुसलमानों को पकड़ लिया जाता है। प्रशासन शासन को रिपोर्ट भेज देता है कि इतने लोगों को बन्द कर दिया, बन्द कर दिया। इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। समस्या हल होने वाली है कि शासन कितना मजबूत है, हम को और आपको जिस का उत्तर देना है, अगर जनता पार्टी की सरकार में हिन्दू–मुसलमानों का झगड़ा होता रहेगा, इसको नहीं मिटा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन तथ्यों को विधान सभा में रखता हूं और मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर इस तरह के दंगे हों तो जिला के अधिकारियों को दंड दें। सी० आई० डी० के अधिकारी दो महीने तक वहीं पर रहे। वहां के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर कमिश्नर के कहने से हो गया। कमिश्नर ने अगर, जो मैंने कहा है, वह कहा है तो वह वहां क्यों बैठा है। अगर इस तरह का अधिकारी फिरकापरस्त है, तो शासन को बरखास्त करना चाहिए। मेरी यह मांग है आपके जरिए। मैं यह मांग करता हूं कि इस तरह के अधिकारी इस समाज के लिए कलंक है। आज जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान चिन्तित है कि जनता पार्टी की सरकार हमारी रक्षा नहीं करेगी। माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री मेरी नजर में दोनों सेकुलर हैं। उनकी नजर में भेदभाव नहीं है अगर आपके हाथ में प्रशासन है तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आज मुसलमान को आशंका है जनता पार्टी की

सरकार, हमारी और आप की ओर से । यह कमियां दूर होनी चाहिए । तब इस देश में एक नया जन मानस, एक नयी जनरेशन, एक नये समाज की स्थापना कर सकते हैं । इन शब्दों के साथ में, अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया । मैंने कुछ खामियां शासन के सामने रखीं । मैं आशा करता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ इनक्वायरी हो, उनको जेल भेजा जाय जिन्होंने आतंक और अन्याय किया है ।

*श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)--

यह जो रह-रह के दिये मुझे खून की बू आती है, कहीं तुम में कोई कातिल तो नहीं है यारो । (व्यवधान) इस वक्त पूरे मुल्क में एक साजिश चल रही है कि मुसलमानों को किसी तरह से आर० एस० एस० के खिलाफ बगैर किसी तैयारी के लड़ा दिया जाय । इस साजिश के हीरो तीन हैं । अलीगढ़ के झगड़े से एक बात यह साफ हो गयी कि हिन्दुस्तान के तीन बड़े लीडर मुसलमान हो गये और उन्होंने इस्लाम का झंडा उठा लिया । एक चांद बीबी बन कर सामने आयीं । एक साहब महमूद गजनवी बने मुसलमानों में घूम रहे हैं और नेता विरोधी दल नारायण दत्त मोहम्मद बीन कासिम का पार्ट अदा कर रहे हैं । इस मुल्क में जितने भी मुसलमानों पर दुश्वारियां आयी हैं, जितने मजालिम हुये हैं, जितना मुसलमानों का खून बह रहा है सारी की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है । सन् १९०५ में जब बंगाल की इंतजामी भी तकसीम हुई तो कांग्रेस के लीडरों ने उस तकसीम के खिलाफ ६ वर्ष तक तहरीक चलायी क्योंकि इससे मुसलमानों को कुछ फायदा हो रहा था । जब बंगाल की तकसीम खत्म हो गयी तो बर्तानियां गवर्नमेंट का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और फिर इस तकसीम को जिन्होंने खत्म करवाया था सन् १९४७ में मुल्क की तकसीम को मंजूर कर लिया । नेहरू रिपोर्ट से मुसलमानों में बेचैनी बढ़ी ।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । एक सदस्य बोल रहे हैं । नेहरू की रिपोर्ट कह रहे हैं । जो सदन में न जिन्दा है और जो मर गये, नेहरू से इसका क्या मतलब है । यह बोलने का तरीका नहीं है । जब रामनाथ गोडसे जैसा आदमी महात्मा गांधी को कतल कर सकता है तो हमारे यहां भी तीन मुसलमान हो सकते हैं ।

(व्यवधान)

या तो आप व्यवस्था दें या मुझे बाहर निकलवा दें

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री मुकीमुर्रहमान--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो माननीय सदस्य खड़े हैं वह कह रहे हैं नेहरू की रिपोर्ट पढ़ी, गांधी जी की रिपोर्ट पढ़ी । यह अलीगढ़ का मसला है जिस पर चर्चा है । या यहां जुलेखा की कहानी पढ़ी जा रही है । बोलने का कुछ तरीका तो होना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

श्री मुकीमुर्रहमान ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो उन्होंने नेहरू नहीं, नेहरू रिपोर्ट कहा है। बेहतर होगा आतिफ साहब बजाय इसके कि लम्बी हिस्ट्री में जायं आप कैसे साम्प्रदायिक एकता हो, इस तक महदूद रखें।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

हमारे मुसलमानों की बदनसीबी है कि हम अपने लिए कभी नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं तो श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए बोलते हैं हम बोलते हैं तो दूसरे लीडरों के लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं तो राजनारायण के लिए बोलते हैं। हम अपने लिए कभी नहीं बोलते। मैं कह रहा था कि ५० वर्षों में मुसलमानों पर आने वाली दुश्वारियों की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। बल्लभ भाई पटेल के लिए कहते हैं कि उनका ताल्लुक आर० एस० एस० से था और श्री टंडन जी के बारे में भी कहते हैं....

श्री श्यामधर मिश्र--

यह कैसा भाषण करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह की उत्तेजनात्मक बात कहना मुनासिब नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

यह तो सही कह रहे हैं।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

१९६५ में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो जो इस सदन में आप आर० एस० एस० को गाली देते हैं तो क्या दिल्ली का प्रशासन आर० एस० एस० के हवाले नहीं कर दिया था और क्या श्रीमती गांधी इंफारमेशन मिनिस्टर नहीं थीं तो उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया।

श्री मुकीमुर्रहमान--

आप अलीगढ़ पर चर्चा करवा रहे हैं या किस पर ?

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

मैं नेता विरोधी दल से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या १९६१ में इसी लखनऊ के आलमबाग में आर० एस० एस० के होने वाले एक दीक्षांत समारोह में शिरकत करके तकरीर नहीं की थी ? और वह तहरीर सबसे बेहतर थी। १९५१ और १९५२ में आप भी शाखा में काम कर चुके हैं।

(शोर)

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, यह क्या बोल रहे हैं ?

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

आप भूल जाते हैं। यह तवारीख है। हिन्दुस्तान की जमीन है। सन् २५ और २६ से आर० एस० एस० काम कर रही है और इस हिसाब से हर घर में एक मेम्बर आर० एस० एस० का है।

श्री अध्यक्ष--

(शोर के मध्य) आतिफ जी इस तमाम बहस में आर० एस० एस० का आक्षेप नहीं किया गया है। तो आप क्यों कर रहे हैं ?

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

मैं हिन्दुस्तान के लोगों से और दूसरी पार्टी के लोगों से जो इस तरह की फिरका परस्ती बनाये हुए हैं उनसे कहता हूं कि वह इसको छोड़ें। पिछले ३० साल में कांग्रेस के लीडरों ने आर० एस० एस० से मुसलमानों को डरा धमका कर अपने कैम्प में खींचने की कोशिश नहीं की ? आपने उसको बढ़ावा दिया है। आपने मुल्क की आजादी में एक रोल अदा किया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुल्क को तकसीम न करो। मुल्क की तकसीम कांग्रेस की हार है और मुस्लिम लीग की जीत है। लेकिन अन्त में वे मुल्क की तकसीम पर कांग्रेसी राजी हो गये। आप इसको भुला नहीं सकते हैं। आप लगातार फिरकापरस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं। आप १९६१ में इसका उद्घाटन कर चुके हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

किस पर चर्चा हो रही है, मान्यवर।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मुझे भी धन्यवाद का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष--

एक साथ तीन मेम्बर नहीं बोल सकते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ के मामले पर चर्चा हो रही है और माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं है। गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं उनके रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो प्रस्ताव है वह यह है कि अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा। मान्यवर, यह प्रश्न हमारे सामने है कि साम्प्रदायिक दंगे कैसे रुकें। जब से यह सरकार आयी है साम्प्रदायिक दंगे बढ़ते जा रहे हैं। यह कहना मुश्किल है कि साम्प्रदायिक दंगे फैलाने के पीछे किसका हाथ है। मैं तो कहूंगा मान्यवर कि साम्प्रदायिक दंगे नहीं फैलते, अगर इस सरकार में सोच समझ होती, क्षमता होती, उसको रोकने की योग्यता होती ? कि साम्प्रदायिक दंगे न हों, राजनारायण जी कहते हैं कि आर० एस० एस० के लोगों ने दंगे कराये, आर० एस० एस० के लोग कहते हैं कि राजनारायण जी ने दंगे कराये। जब से इनका आगमन हुआ, तब से कितने दंगे इस प्रदेश में हुए। लखनऊ से शुभारम्भ, लखनऊ, बुलन्दशहर, कानपुर, बनारस....

श्री अध्यक्ष--

बुलन्दशहर में कौन सा झगड़ा हुआ ?

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं बताता हूं, मान्यवर ।

श्री बाबू बदरे--

बुलन्दशहर में नहीं हुआ, मान्यवर । (व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह—

जब तक मान्यवर, हम उस कारण पर न जायं, तब तक यह हल नहीं हो सकता है । सब लोग भाई-भाई की तरह रहे, इस देश को आगे ले जाने के लिए संकल्प करें । जब साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, इस सरकार की स्थिति क्या है, कितनी अक्षमता है इस सरकार में, जब साम्प्रदायिक दंगे कहीं पर होते हैं, तो वहां का प्रशासन, चाहे डिप्टी एस० पी० हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, तो वह जिला मजिस्ट्रेट के पास भागता है । जो समाज विरोधी तत्व हैं, गुंडे जो हैं, वे सब कुछ कर डालते हैं, फिर वह इतनी तेजी से बढ़ जाता है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है । जब से यह सरकार आई है, मन्त्री एक दूसरे का मुंह देखते हैं । अब गृह मन्त्री जी हैं, इनके आदेश को कोई मानता ही नहीं है कि जिससे दंगे रुकें । मुख्य मन्त्री हैं नहीं, वह जब तक सुनेंगे नहीं, तो उनको कैसे मालूम होगा कि दंगे कैसे रुकेंगे । अनुभवहीन सरकार के हाथ में यह शासन दे दिया गया है । मान्यवर, पिछले दिनों में भी आजादी के पहले साम्प्रदायिक दंगे इस देश और प्रदेश में हुए और आजादी के बाद आग प्रज्वलित थी, उसकी कुछ ज्वाला बची थी, जो उसके बाद दंगे हुए, जितने गुंडे और समाज विरोधी तत्व थे, वह कहीं न कहीं पार्टी से सम्बन्धित हो गये और वे वहां जाते हैं जिसके हाथ में हुकूमत होती है ।

आज इस जनता पार्टी के हाथ में शक्ति है, जितने गुंडे हैं, वे सब इनकी छत्र छाया में हैं । इसीलिए साम्प्रदायिक दंगे अब तक नहीं मिट सके । यहां पर बहुत पहले साल में ६००-६०० आदमियों की मृत्यु हुई हैं, फिर उसके बाद उससे कम हुई और ७७-७८ में घट कर ६० हो गयी । सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस की चारों तरफ व्यवस्था है । आप जानते हैं पुलिस वायरलेस सेट लगा दिये गये हैं, कहीं भी अगर दंगा हो, तो उसकी सूचना पर २४ घंटे के अन्दर ३-३ बटालियन मंगाई जा सकती है । मान्यवर, यह जो सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस भेजी जायेगी, वह निःशुल्क होगी । सरकार को एक पैसा नहीं देना पड़ता । लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है । आखिर क्यों ऐसा हो रहा है ? यही वजह है कि चूंकि उपयोग इसका नहीं हो रहा है इसलिये तमाम दंगे रोज-रोज भड़कते जा रहे हैं । मान्यवर, अलीगढ़ को देखें । अलीगढ़ में स्टैबिंग हुयी । बिना पोस्टमार्टम लाश लेकर चले गये । जुलूस निकला उत्तेजना फैली, दंगा हो गया । सरकार ने काम किया कि न्यायिक जांच बैठा दी । तो क्या न्यायिक जांच बैठाने से इस समस्या का समाधान हो जाता है । जब तक न्यायिक जांच का काम होता रहेगा तब तक क्या सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी । मैं पूछता हूं ५ अक्तूबर को दंगा हुआ, ६ नम्बर को हुआ, तीन दिन पहले छुरे बाजी हुयी । ३-४ आदमी और मरे । इतने बिन हुये समस्या का समाधान नहीं हो पाया ।

मैं तो लखनऊ की बात कहता हूं, लखनऊ के शिया सुन्नी की बात है। इसका समझौता आप अब तक न करा पाये। आप चाहते हैं कि समझौता न हो। आप चाहते तो समझौता निश्चित हो जाता। एक साल पहले दंगा हुआ, आज भी कर्फ्यू लगा है। आज भी कोई समाधान नहीं निकल। मान्यवर, हमें ऐसा लगता है कि यह सरकार चाहती है कि साम्प्रदायिक तनाव बना रहे क्योंकि साम्प्रदायिक तनाव में विश्वास करने वाले लोग सरकार के साथ हैं। वह कभी होने नहीं देंगे कि इस प्रदेश में शांति हो पता नहीं कौन सी उपलब्धि है ? मैं तो सुझाव दूंगा कि आप जब तक निर्दयता से इसको नहीं दबायेंगे तब तक यह दबने वाला नहीं है। मान्यवर, गुंडे बदमाश, असमाजिक तत्व इनके साथ हैं और यह समझौता नहीं कर सकते। वह तो अवसर की ताक में हैं कि जब तक कोई दंगा हो, हम लोग वहां अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। अलीगढ़ में यह हुआ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ? कोई भी सदन का माननीय सदस्य किसी मित्र या साथी को इंगित कर सकता है या आपके माध्यम से इंगित कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो मेरे माध्यम से कह रहे हैं।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, वह तो पुराने सदस्य हैं इनको भालूम होना चाहिये। यह इतनी बात भूल जाते हैं आश्चर्य होता है। असल में कौशिक जी आदमी बहुत अच्छे हैं लेकिन जनता पार्टी में पड़ गये हैं, आदत बिगड़ गयी।

जब तक आप पेट्रल रिजर्व पुलिस और जो साधन उपलब्ध हैं उसका प्रयोग असामाजिक तत्वों और गुंडों के विरुद्ध नहीं कर सकेंगे तब तक मान्यवर, दंगे प्रदेश से जाने वाले नहीं हैं। दिक्कत यह है कि उनमें बड़ा भारी घटकवाद है। हर गुंडा किसी न किसी घटक से सम्बन्धित है। जब पकड़ने की बात करेंगे तो दूसरे घटक के मन्त्री आपके पास आयेंगे। जब मुख्य मन्त्री किसी को छुड़ाने जा सकते हैं तो छोटे-छोटे मंत्रियों की बात कौन कहे ? इसलिये मैं कहता हूं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो। जो श्यामधर जी ने जिक्र किया, जब साम्प्रदायिक दंगा १२ घंटे से अधिक हो तो जिले का जो प्रशासन है उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। जब ४८ घंटे से अधिक हो तो प्रदेश स्तर के अधिकारियों आई० जी० पुलिस आदि के खिलाफ कार्यवाही करें। यहां तो रिकार्ड टूट गया। मैं तो कहूंगा साम्प्रदायिक दंगे इस प्रदेश में इतने चलेंगे, यह सरकार इस्तीफा दे देगी। जब तक सरकार इस्तीफा नहीं दे देगी तब तक दंगे जाने वाले नहीं हैं। इसलिये मेरा मांग है कि सरकार इस्तीफा दे।

*श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, ऐसा महसूस होता है कि दबे-दबे अल्फाज में एक दूसरे से बातें की जा रही हैं। और कोई कहता है कि उस पर आरोप नहीं है, इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खान गुफरान जाहिदी---]

पर आरोप नहीं है । किसी ने यह इलजाम लगाया कि कांग्रेस शासन में इतने हजारों दंगे हुये । सवाल यह है कि दंगों का सिलसिला हो रहा है और फसाद की आग बुझ नहीं रही है । फसादात क्यों होते चले जा रहे हैं ? इसके पीछे क्या चीज हो सकती है । फसादात होते चले जा रहे हैं । इनके पीछे क्या तथ्य है, क्या मामला है । इस बात को समझना चाहिए । अभी हमारे साथी ने आर० एस० एस० की बात कही । उन्हें हक था उन्होंने वह बात कही ।

मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । हिन्दुस्तान में अलीगढ़ में आज फसाद नहीं एक मिनी वियतनाम चल रहा है । मिनी वियतनाम इस को कहिये इसलिए कि आपके लोगों की तरफ से कम और शासन दल की जो फोर्स मौजूद है उसकी तरफ से कुछ ज्यादा जब्र किया गया, जुल्म किये गये । यह सिलसिला कब शुरू हुआ ? जब हमारी हुकूमत बनी उस वक्त भी लखनऊ, कानपुर, बनारस और दीगर जगहों पर हम ने फसादात देखे । हमें गांधीवादी नीति की हिमायत करनी चाहिए थी न कि उनकी हिमायत जो जब्र और जुल्म कर रहे थे । नतीजा यह हुआ कि यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है ।

अलीगढ़ के बारे में अभी हमारे एक साथी ने जिक्र किया कि कुछ लोगों ने बावजूद परेशानियों के अपने हिन्दुस्तानी भाइयों को बचाया मुसलमान भाइयों को बचाया । मैं पूछना चाहता हूं अपनी सरकार से कि आपने कोई इनाम का एलान किया उनके लिए । कोई इनाम नहीं दिया गया । गांधी जी की समाधि पर फूल रखने से, प्रतिज्ञा करने से क्या हम सरकार चला सकते हैं । मैं प्राइम-मिनिस्टर साहब की तारीफ करता हूं । उन्होंने बहस के दौरान लोक सभा में पी० ए० सी० की ज्यादतियों का इकरार किया । इस प्रकार का वक्तव्य यहां की जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया यह एक बुनियादी सवाल है । हमारे एक साथी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने हुकूमत चलाई, कभी हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया ।

आज ६८ दिन हो गये हैं लेकिन वहां वही स्थिति है जबकि १२ घंटे में शासन को बदलना चाहिये था और ४८ घंटे में सरकार को इस्तीफा देना चाहिये था । लेकिन एक भी ऐसा साथी नहीं है कि जो कहे कि कल वहां दंगे नहीं होंगे और यदि होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । किसी ने ऐसा नहीं कहा है । इसका मतलब पर्दा फरोशी है । अलीगढ़ में खून बहे तो उसकी छींटें इस कुर्सी पर भी आती हैं । मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम आया, तो उन्होंने दंगों की बात को बरदाश्त नहीं किया था और उसको तस्लीम किया था । लेकिन यहां यह इल्जाम कब तक होते जायेंगे ? कब तक कानाफूसी की पालिटिक्स होगी ? वहां २० मकान जो गिराये गये वह कमजोर लोगों के गिराये गये हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि यह फसाद का मामला कहां-कहां जायेगा ? जबलपुर में बीड़ी बनती है, अलीगढ़ में ताले और रांची में लोहार खाने लोहार चलाते हैं । इन जगहों पर ज्यादातर मजदूर रहते हैं और जहां मजदूर रहते हैं वहीं दंगे कराये जाते हैं । दंगे इसलिये भी होते हैं क्योंकि जहां यदि मालिक हिन्दू फैक्टरी के हैं तो मजदूर मुसलमान हैं और जहां मालिक मुसलमान हैं वहां मजदूर हिन्दू हैं । उनमें इसलिये साम्प्रदायिकता की बात फैलाकर दंगे कराये जाते

हैं । दंगे होने से कारखाने बन्द हो जाते हैं जिससे सारे आवाम का नुकसान होता है । वैसे आम जनता लड़ती ही नहीं है लेकिन कुछ लोग उनको आपस में लड़ाने की बात करते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि पी० ए० सी० को आप कब डिस्बैन्ड करेंगे ? जबकि पी० ए० सी० की ज्यादतियों को प्रधान मंत्री जी ने तसलीम कर लिया है । तो जिसमें बैलेन्स्ड फोर्स नहीं है उसको बैलेन्स्ड फोर्स कब बनायेंगे ? यदि २४ प्रतिशत मुसलमान हैं तो बैलेन्स्ड फोर्स उसका भी है । यदि कहीं ४ हिन्दू और ४ मुसलमान आफिसर रैंक में हैं तो वह एक दूसरे का मुंह देखकर सरकारी नीति पर अमल करेंगे । इसलिये बैलेन्स्ड फोर्स के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने कोई बात नहीं किया है, यह अफसोस की बात है ।

मान्यवर, जो नेता विरोधी दल ने कहा है डयूल पालिसी के सम्बन्ध में तो उस समय यहां माननीय सदस्य बहुत खामोश थे । मैं तो कहना चाहता हूं कि यह डयूल पालिसी नहीं बल्कि पता नहीं कौन रंग की पालिसी है ? यह टेक्नीकलर शायद पालिसी है । नतीजे में शासन इसी का शिकार है । मैं अलीगढ़ में फसाद किस तरह चल रहा है, उसमें कहना चाहता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो राजा पोरस के हाथी है जो अपनी ही फौज को कुचल रहे हैं, अपने शासन को कुचल रहे हैं । इसकी वजह से वर्ष १९७७ में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब एक हुये और शासन को उलट दिया । फिर वही हुआ जिसके नतीजे में यह केवल ३० हजार वोटों से समस्तीपुर में जीते । लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ के फसाद के कारण और यदि यही समय चलता रहा तो राजा पोरस के हाथी यह ३० हजार भी खा जायेंगे ।

मैं कहता हूं कि अभी वक्त है । गांधी जी की नीति पर चलने वाले हैं तो उनके वसूलों को मानना होगा । लाखों पार्टियां चलायें, लाखों शाखायें चलायें, उससे कुछ नहीं होगा । जब तक यह बात नहीं पैदा हो जाती कि मुसलमान इलाके में एक भी हिन्दू भाई को खतरा नहीं होगा और हिन्दू इलाके में एक भी मुसलमान भाई को खतरा नहीं होगा, जब तक यह नहीं हो जाता, फसाद के मसले को हल नहीं किया जा सकता । इसलिये फसाद को रोकने का यह भी एक तरीका है कि हम उनमें आपस में समझदारी को बढ़ायें और केवल पुलिस के भरोसे पर न रहें । केवल इस तरह से मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा । केवल पुलिस के बल पर, केवल पी० ए० सी० के बल पर फसाद को नहीं रोक सकते । मैं कहता हूं कि अगर पी० ए० सी० नहीं आयेगी तो फसाद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ।

श्री नरेश चन्द्र (जिला लखीमपुर-खीरी)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि अलीगढ़ कान्ड को लेकर साम्प्रदायिकता को रोकने के विषय पर चर्चा है । लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि जितने लोग बोल चुके हैं, अधिकांश लोगों ने न तो साम्प्रदायिकता को रोकने के बारे में कोई सुझाव दिये और न उस तरह की कोई बात बतायी । या तो उसमें कांग्रेस का नाम आया या किसी और पार्टी का नाम आया । केवल एक दूसरे पर दोषारोपण हुआ । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें कि जो भी माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हों, केवल साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के सम्बन्ध में सुझाव दें । बेकार में समय नष्ट न करें ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न कोई तकरीर नहीं होता । लेकिन जो बात आपने उठायी है, उसके सम्बन्ध में कहना है कि जब तक माननीय सदस्य वस्तुस्थिति के बारे में नहीं बतायेंगे तब तक कैसे अपनी बात कह पायेंगे और फिर लोगों ने सुझाव भी दिये हैं—जैसे कि कहा कि पी० ए० सी० का संगठन हो ।

*श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं १२ दिसम्बर को अलीगढ़ गया था । आज इस सम्बन्ध के समाचार आ रहे हैं कि अलीगढ़ में धीरे-धीरे सामान्य वातावरण की ओर बढ़ रहा है । लेकिन बात अभी ऐसी नहीं है । वहां ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी भूत की छाया घर घर अभी भी मड़रा रही है । सड़कों पर अभी पहले जैसी भीड़ नहीं है । मैंने वहां अपने एक मित्र डाक्टर से बात की । उन्होंने कहा कि मेरे यहां पहले जो मरीज आते थे, उनमें से अगर १० हिन्दू मरीज होते थे, तो ४ मरीज मुसलमान होते थे लेकिन आज स्थिति है कि अगर ८ हिन्दू हैं तो एक मुसलमान आता है । सड़क पर भी देखा, बहुत सी दूकानों पर भी देखा । अभी बहुत कम बाहर निकलते हैं । जब बस स्टैन्ड गया तो वहां देखा कि पहले जैसा चहल-पहल नहीं थी । महिलायें वैसे भी कम थीं लेकिन बुर्के वाली महिलायें बहुत कम थीं । बल्कि यों कहिये दिखाई ही नहीं देती थीं । इस तरह से डर का वातावरण वहां अभी व्याप्त है । तो अगर कोई यह समझ ले कि स्थिति वहां सामान्य है, तो ऐसा नहीं है । सरकार को पूरा ध्यान वहां देना चाहिये कि कोई गड़बड़ी न हो । सितम्बर में भी गड़बड़ी चल रही थी, अक्तूबर में भी यह फैली, नवम्बर में और फैली और अब भी गड़बड़ी है ।

मान्यवर, यहां पर मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस्लाम का इस मुल्क पर बड़ा कर्ज है । अध्यक्ष महोदय, जिस भाषा में हम बोल रहे हैं, जिस भाषा में सदन की कार्यवाही चल रही है, वह भाषा मियां खुसरू ने सबसे पहले हम को दिया खड़ी बोली के रूप में । उसको कबीर ने दिया जो न हिन्दू थे और न मुसलमान थे । राम चरित मानस, मलिक मुहम्मद जायसी ने दिया प्रबन्ध काव्य लिखकर । क्योंकि उन्होंने पद्मावत अवधी में लिखा और दोहे और चौपाई लिखें । अगर पद्मावत न लिखा गया होता तो गोस्वामी तुलसी दास जी को यह विचार न आता कि इस तरह की भाषा में रामचरित मानस लिखा जा सकता है । बहादुर शाह जफर ने पहली आजादी की लड़ाई लड़ी और महात्मा गांधी के साथी थे खान अब्दुल गफ्फार खां । लेकिन महात्मा गांधी के मुल्क में यह क्यों हो रहा है ?

आज उनके दिल को कितना दर्द हो रहा होगा ? जहां तक अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी का सवाल है, यह सरकार जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार हैं, यह लोग जिम्मेदार हैं, देश का हर बच्चा, हर आदमी, हर औरत जिम्मेदार है । जब तक इस मुल्क में फसादात मौजूद हैं, जब तक साम्प्रदायिक तत्व मौजूद हैं, तब तक हम सब लोगों की जिम्मेदारी है । एक खून का कतरा हिन्दू का बहता है या मुसलमान का बहता है तो इसके लिये हर एक की जिम्मेदारी बनती है । दुख की बात तब होती है जब राजनीतिज्ञ लोग इससे फायदा उठाने की कोशश करते हैं । भूरा की लाश ले जाने में कांग्रेस (आई०) के लोगों का हाथ था, जनता पार्टी के लोग थे या सभी पार्टियों के लोग वहां पर थे, मैं अपील करता हूं कि चाहे जिस पार्टी के लोगों का हाथ उसमें रहा हो, उनके ऊपर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इस प्रकार का राजनीतिक ऐक्शन होना चाहिए कि वे इस तरह के किसी काम में भाग न ले सकें। जहां तक पी० ए० सी० का सवाल है, १६ जून, १९७२ को फिरोजाबाद में दंगा हुआ था और एक हिन्दू और ५४ मुसलमान मारे गये थे, लोगों ने यही कहा कि हमको पी० ए० सी० वालों से बचाओ, हमको पी० ए० सी० वाले मारते हैं, लूटते हैं। वह हत्यायें पी० ए० सी० के लोगों द्वारा हुईं। आगरा में मैं गया हूं, आग लगाने वालों को, बस स्टैन्ड के पीछे आग लगाने वालों को पी० ए० सी० वालों ने नहीं मारा बल्कि आग बुझाने वालों को पी० ए० सी० वालों ने मारा। १९७४ में पी० ए० सी० लड़कों के ऊपर लाठी चार्ज कर रही थी, मैंने उनको डांटा, हमने कहा कि मैं खड़ा हूं और आप लोग लड़कों पर लाठी चला रहे हैं? इस पर पी० ए० सी० ने मेरे ऊपर लाठी चार्ज किया और मेरी घड़ी छीन ली गई। कुछ गम्भीरता से इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि आखिरकार पी० ए० सी० किस प्रकार का संगठन है?

दूसरी बात, तीन कैम्प में सब बंद हुए हैं। मैं इस सदन की पवित्र कार्यवाही को अपवित्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन मुख्य मंत्री जी के पास अवश्य भेजना चाहता हूं कि ये काम किन तत्वों के हैं और उन तत्वों पर आपकी नजर क्यों नहीं है? कुछ न कुछ तो इस विषय में किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वहां का तुनवा और वहां के मुदर्रेसीन की तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वह पूरा वर्ग इस आग से दूर रहा, पूरा छात्र वर्ग इस आग से दूर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, माइनारिटी कमीशन की बात जब आई है, माइनारिटी कमीशन ने पश्चिम बंगाल की तारीफ की है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रान्त है जहां इस प्रकार के फसाद नहीं हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पश्चिम बंगाल से पूछें कि उनकी वहां क्या व्यवस्था है जिससे इस प्रकार का फसाद वहां नहीं होता। ज्योति बसु ने यह बात वहां पर कही थी कि अगर कहीं भी माइनारिटी कम्युनिटी की शिकायत हो तो उसके लिये बतायें।

यहां पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में इंसपेक्टर्स के प्रमोशन के बारे में बताया था। इंसपेक्टरों के जो प्रमोशन हुए, यह हमारा दुर्भाग्य है, हम जानते हैं कि सरकार दोषी नहीं है लेकिन फिर भी क्या कारण था कि वहां पर माइनारिटी कम्युनिटी के लोग नहीं आ सके। मैं रिजर्वेशन की बात नहीं करता लेकिन क्या बात है कि एडमिनस्ट्रेशन में और पुलिस में माइनरिटी कम्युनिटी के लोग नहीं आ पाते। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह भी है कि मुख्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल, सभी दलों के सदस्य, मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, आर० एस० एस० पर कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन बार-बार नाम घसीटा जाता है, सब लोग अलीगढ़ जायें और यह सब मिलकर एक बयान में सद्भाव के लिये अपील करें। दूसरी बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बार बार आती है, केन्द्रीय सरकार किस प्रकार से कर रही है, इस सवाल को बार-बार क्यों उठाना चाहते हैं? एक बात और है कि हम लोग, चाहे कहीं भी फिर वह ना फसाद होंगे, हम उन का प्रयोग अपने चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे, यह सब लोग मिलकर वादा करें।

उद्योग राज्य मंत्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चन्द मिनट अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। इस बात की जितनी भी भर्त्सना की जाय कम है क्योंकि यह जो दंगे साम्प्रदायिकता के नाम से किये जाते हैं वे इस महात्मा बुद्ध तथा गांधी के देश में किसी का मस्तक नीचे करने वाले, कलंकित करने वाले, बदनाम करने वाले हैं। साथ ही साथ इस बात की खुशी है कि मेरे साथियों में १५ ऐसे आदमी बोले जिन्होंने इस बात को मंजूर किया कि वहां कोई साम्प्रदायिकता का भेद-भाव नहीं था बल्कि वह एक मंशा के तहत सुनियोजित प्रोग्राम बना कर किया गया। बहुत सफाई के साथ वर्मा जी ने इस चीज को मंजूर किया कि ४८ से ले कर जितने भी आज तक दंगे हुए वे सब किसी मंशा को सामने रख कर कराये गये। ५१ और ६१ में उन दंगों की मंशा पूरी हुई। जिन जमीनों तथा जिन चीजों के लिये वे लालायित थे उन्होंने गुंडों के जरिये उन जमीनों को हासिल किया, उन कारोबारों को हासिल किया। यह सब चन्द पूंजीपतियों की कारगुजारी थी। मैं विरोधी दल के नेता से पूछना चाहता हूं कि आज जो उन्होंने गला फाड़ कर जिस जोश के साथ तकरीर की क्या वह उसके मुस्तहक हैं। मैं कहूंगा कि यह सारी बुराई, यह सारा पाप उनकी देन है, उनकी पार्टी की देन है।

जिस मंशा को लेकर वहां मुसलमानों पर मजालिम किये गये, उन गरीबों के मकानात तथा कारोबार व जमीनें छीनने की जो मंशा थी वह उनकी सरकार ने छिनवा दिया, मंशा पूरी करा ही दिया और जो बदमाश थे उन्होंने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। गरीब मुसलमान वहां से डर कर हट गये। यह अब जनता पार्टी की सरकार है जिसने इन बलवों की मंशा को पूरा नहीं होने दिया है। सनक चौक पर जो बदमाशी की गयी, जो मंशा थी वह पूरी नहीं हो सकी। जनता सरकार ने जिनका जो नुकसान हुआ उसको पूरा करवा कर दिया, मकान पहले से अच्छी बनवा कर दी और यह दिखला दिया कि हम किसी गुंडे अथवा बदमाश के जरिये न किसी की जमीन खाली होने देंगे, न किसी का रोजगार छीनने देंगे। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। लारी साहब ने यह कहा कि जिनके घरों को उजाड़ा गया हमने उनको बनवा कर उन्हें फिर दे दिया। मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं फिर वह फिर दुबारा सोच लें उन्होंने क्या कहा है। सदन को गलत सूचना देने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उनके खिलाफ उठाया जा सकता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मैं अपने भाई को बतलाना चाहता हूं कि यह विचार है कि उनको बनना चाहिये, उनको बना कर देंगे यह मेरा वायदा है और यह दिखला देंगे अब तक की जो परम्परा रही है कि आततायी, गुंडे तथा बदमाशों की जो मंशा होती थी वह पूरी हो जाती थी, उनकी मंशा अब पूरी नहीं हो सकेगी।

मैं कहता हूं कि भाई राधेश्याम उन्हीं की पार्टी के रहे हैं उन्होंने जो लिस्ट दी अगर वह बात सही है तो भाई रियासत साहब इस माननीय सदन में बहुत समय से सदस्य चले आ रहे हैं उस वक्त उन्होंने क्या कार्यवाही करके दिखाया (व्यवधान)।

श्री रियासत हुसैन--

मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि जो अपने भाषण में वह दोनों सरकारों के मुकाबला करने लगे उसमें जाहिर कर रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस सरकार से अच्छी है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अभी भी कोई कसर बाकी रह गई है जो पूरी होनी है ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

माननीय रियासत साहब ने पूछा है मैं उन्हें दिल से साफ बताना चाहता हूं कि जो भाई शर्मा जी ने लिस्ट पढ़ी, हमारे मिश्रा जी ने लिस्ट पढ़ी उसको उन्होंने सुना होगा कि सन् १९७१ के पहले ७०० का औसत दंगों का आता था और १९७२ से लेकर १९७६ तक वह ६० हो गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब यह ६० से भी कम होंगे चाहे जितना भी आप फसाद के लिए तैयार करें, वह बढ़ने नहीं पायेंगे। मेरा ख्याल है कि वह कम ही होंगे।

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह दंगे होते रहे जिसमें पी० ए० सी० को आरोप लगाते हैं उन्हें आपने ही हम पर लादा है। आखिर यह रखे हुए उन्हीं के हैं। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

चौधरी चरण सिंह, श्री सी० बी० गुप्ता, श्री बहुगुणा और श्री टी० एन० सिंह उन्हीं की पार्टी के हैं जिन्होंने ३० साल तक शासन किया। तो वह कौन थे ? (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, यह आप ही तय करें हम नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्य बोल रहे हैं और उनको बोलने का अधिकार है लेकिन अगर वाकयात से विपरीत बात करते हैं तो स्पष्टीकरण मांगना पड़ता है। जैसा कि माननीय सदस्य आरिफ साहब ने कहा ४ मुख्य मंत्री जो जीवित हैं वह आपकी पार्टी में हैं। ऐसी सूरत में वह अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं डालते हैं ? (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

आप उनकी बात सुनें आपको भी मौका मिलेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मैं माननीय मिश्रा जी से कहूंगा कि धैर्य से बातें सुनें। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूं कि चाहे वह इधर के हों या उधर के हों जिसके जमाने में भी कुकर्म हुए हैं उसकी सारी जिम्मेदारी उन पर है। (व्यवधान)।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

इसकी है।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है क्या दल-बदलू को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वह बार-बार खड़े होते हैं। उन्होंने दल बदला है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मान्यवर, यह पहले भी धमकी दे चुके हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मैं कह रहा था कि जो बिगाड़ने का काम है वह गत ३० वर्षों से लगातार चल रहा है। जिसकी दुहाई हमारे उधर के भाई दे रहे हैं और जो रेशियो कम हुआ है वह भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। पहले से आज पुलिस पी० ए० सी० में मुसलमानों का रेशियो बहुत कम है। धीरे-धीरे पुलिस में, पी० ए० सी० में, अधिकारियों में—सबमें से मुसलमानों का रेशियो खत्म कराया। क्योंकि यह जान चुके थे कि अंग्रेजों की हुकूमत इसीलिए इतने दिनों भारत में चली कि उसने हिन्दू-मुसलमानों में अलगाव बनाए रखा, उनमें घृणा के जज्बात को बरकरार रखा। यही चीज यह भी जारी रखना चाहते थे और आपने जारी रखी। आज अलीगढ़ के दंगों पर फिरकावारान दंगों पर आंसू बहाने वाले देखें और वह बताएं कि अहमदाबाद, लखनऊ और अलीगढ़ में जो पहले झगड़े हुए, उसमें वे कहां रहे और उसमें क्या करते रहे। जो आज घड़ियाली आंसू बहाकर अपना जोश दिखा रहे हैं। मैं एक सैद्धांतिक बात कहूं, आरोप-प्रत्यारोप से यह हमारे देश का कलंक नहीं मिट सकता है। मिटेगा तो दोनों कौमों के अदालतों के सहयोग से मिटेगा। कुछ लोगों ने कहा है कि एम० एस० एम० और एम० पीज० लोगों का एक कमीशन मुकर्रर किया जाए, जो वहां जाए। तो क्या इतने से यह समस्या हल हो जाएगी। जरूरत यह है कि हमको अपने देश से यह दंगे मिटाने हैं और अगर यह मिटाने हैं तो वे ही क्यों जायें, जिन्हें भेजा जाय बल्कि सब लोग जाएं और घर-घर में छा जाएं, उनको आपस में बैठकर समझाएं-बुझाएं, जिससे उनमें आपस में प्रेम पैदा हो जाए।

यह चीजें न हिन्दू करते हैं न मुसलमान करते हैं, यह चीजें तो असामाजिक फात्व और पूंजीपतियों के दलाल किया करते हैं, जो पूंजीपति इन दंगों से नाजायज फायदा उठाते हैं और जिसकी पोषक यह पिछली सरकार रही है। यह हम सब लोगों की ही जिम्मेदारी है, जनहित में कार्य करने वाले लोगों का कर्तव्य है कि वह आज अलीगढ़ को सम्भालें, मोहल्ले-मोहल्ले और गली-गली में जाकर अपना पसीना और खून बहावें और लोगों के दिलों को मिलाने की कोशिश करें। यह बात सही है, रियासत हुसैन साहब ने जो चीजें पूछी हैं, उसे उनको पूछने का हक है। जो जिम्मेदारी वह हम पर रखें हैं वह सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह हमारी नालायकी है, उसको हम मानते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है और आप दूध के धोए हैं—वह यहां पर घड़ियाली आंसू बहाएं और जनता उसको भूल जाए, यह नहीं हो सकता है। मैं आखीर में यही अपील करना चाहता हूं, खासकर रियासत साहब से, आपने जो सवाल उठाया, क्या उसका हल गृह मंत्री और मख्य

मंत्री बनाएंगे, मैं यह कहूंगा कि आप भी जाकर किसी मोहल्ले को सम्भाल लीजिए, और एक मोहल्ला भी अगर आपने संभाल लिया, तो मैं समझूंगा कि आपने अपना एक बहुत बड़ा धर्म का कर्तव्य पूरा कर लिया, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं ।

मैं मानवता के नाम पर आप सभी से अपील करता हूं कि इन दंगों को अपने-अपने इलाके में रोकने के लिए आप काम करें और अगर आप काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि दंगे नहीं हो सकते । सरकार और सरकारी अधिकारी काम करने लग जाएं तो बहुत कुछ रुक सकते हैं । इसी भरोसे पर मैंने वायदा किया है कि यह अब कतई बढ़ने नहीं पाएगा । जितने आपके जमाने में हुए, उससे बढ़ने नहीं पाएंगे घटेंगे ही । (व्यवधान) ।

(श्री देवकुमार का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री बाबू बदरे—

अब तक कितने बार, बार-बार खड़े होकर मैं बोलने का प्रयास करता रहा और सारा दिन हो गया, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया है ।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मेरा प्रस्ताव है कि आप कुछ समय बढ़ा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

जब तक आप चाहेंगे, सदस्य होंगे, सदन चलेगा, कोई समय की सीमा नहीं है ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मेरी प्रार्थना है कि समय बढ़ा दिया जाय ।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया, मान्यवर, यह साम्प्रदायिक वैमनस्य का सवाल प्रदेश का नहीं, किसी राजनीतिक दल का नहीं, सम्पूर्ण राज्य का नहीं, लेकिन सारी दुनिया की इंसानियत का सवाल है । हमें आज आजादी के तीस वर्ष बाद भी इस सदन से अन्दर स देश को पारलियामेंट से अन्दर साम्प्रदायिक दंगों पर बहस करनी पड़ती है, यहां पर विचार करना पड़ता है । इससे मैं यह महसूस करता हूं कि देश के हर नागरिक का सर झुकता है । मान्यवर, इस देश की आजादी के लिए रानी झांसी, नवाब बांदा, रजिया बेगम, शाह बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल इत्यादि ने, तमाम लोगो ने इस देश की आजादी हासिल करने के लिए अपना खून बहाया । हिन्दू मुसलमानों ने मिलकर इस देश की आजादी हासिल की थी । मान्यवर, आज इस प्रदेश की १३ करोड़ जनता सारे देश की जनता ने देखा कि हिन्दू मुसलमानों का खून इस देश की आजादी के लिए साथ-साथ बहा और आज जब आजादी मिली है तो एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं ।

मान्यवर, मैं इस राष्ट्रीय कार्य को किसी पार्टी के सन्दर्भ में नहीं बल्कि सारे राज्य के सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की १३ करोड़ जनता की प्रतिनिधि यह विधान सभा है । इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि देश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया ।

[श्री देव कुमार---]

और प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक दंगों की मर्दुमशुमारी कब तक करते रहेंगे। महात्मा गांधी की अमर शहादत के बाद इस देश के अन्दर साम्प्रदायिकता को दफना देना चाहिए था लेकिन यह दुर्भाग्य है कि उनके निर्वाण के बाद, उनके महा बलिदान के बाद, इस देश में लगभग तीन हजार साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और आज यह हिंसा अब तक चलती रही चाहे अलीगढ़ हो या मुरादाबाद हो। वह बात सारे देश के सामने है। मान्यवर, एक निवेदन इस सदन के सामने करना चाहता हूं कि आज हमारे तमाम माननीय विधायकों ने इस सदन में तमाम चीजें कहीं। लेकिन केवल इस पक्ष पर आरोप करने या उस पक्ष पर आरोप करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस बात को तसलीम करना पड़ेगा कि हमारे देश में ऐसे मानसिक प्रवृति के लोग हैं जो साम्प्रदायिक जहर से प्रभावित है। मैं जनता पार्टी के सदस्य और सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी वृद्धि लगातार हो रही है और कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ जिम्मेदार लोग यह कहने की जुर्रत करते हैं कि जब तक इस देश में हिन्दू कमजोर रहेगा इस देश में साम्प्रदायिक दंगे होते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह हिन्दुओं को किसके लिए मजबूत करने की आवश्यकता है, किसके लिए उनको संगठित करने की आवश्यकता है।

आपातकालीन स्थिति में तमाम चीजें गलत हुईं लेकिन कुछ चीजें सही भी हुईं। साम्प्रदायिक ताकतों पर, साम्प्रदायिक संगठनों पर चाहे हिन्दू या मुसलमान फिरकापरस्त हों उन पर रोक लगी। लेकिन आज इसकी कोई रोक नहीं है।

मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि अगर तहेदिल से गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करना चाहते हैं, इस साम्प्रदायिकता को रोकना चाहते हैं तो अल्पसंख्यक कमीशन न बैठाकर इसके लिए कोई ऐसा कमीशन बैठाना पड़ेगा जो इस बात की निष्पक्ष जांच करे कि साम्प्रदायिकता का जहर हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। मान्यवर, चाकू चलने से पहले, छुरा चलने से पहले, गोली चलने के पहले साम्प्रदायिकता का जहर इंसान के मन में पैदा होता है। आज भी अलीगढ़ की सड़कें पूछ रही हैं, हमारी मासूम बहनें और माताएं जिनकी गोद खाली हो गयी, पूछ रही हैं कि कितने अलीगढ़, कितने मुरादाबाद और दोहरायेंगे। हिन्दुस्तान में सबसे अहम प्रदेश हमारा है जहां १३ करोड़ की आबादी है और यह प्रदेश सारे देश को दिशा देता है उस प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक जहर बढ़ता जा रहा है और अगर हम शुतुरमुर्ग की तरह देखते रहे तो यह और बढ़ता जायगा।

बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो प्राइमरी तक थे। आज उनका दर्जा ऊंचा किया जा रहा है और साम्प्रदायिकता का जहर और मजबूती से फैलाया जा रहा है। अगर तहेदिल से इसको रोकना चाहते हैं तो चाहे किसी को बात कड़वी लगे और चाहे सत्ता से हटना पड़े, आपको कड़ाई से कुछ कदम उठाने होंगे। हमारे माननीय सदस्य दीप नारायण जी ने कहा और ठीक कहा, इतिहास को ठीक से पढ़ाना होगा। विश्वनाथ का मन्दिर क्यों तोड़ा गया, उसकी सही तस्वीर न बतलाकर साम्प्रदायिकता का जहर फैलाया जाता है। जब तक सही इतिहास का ज्ञान बच्चों को नहीं कराया जायगा तब तक बच्चों के दिमाग में साम्प्रदायिकता का जहर भरा जाता रहेगा और आप उसको रोक नहीं सकेंगे।

मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है कि आपने तमाम स्थायी समितियां बना रखी है तो साम्प्रदायिक सौमनष्य स्थापित रखने के लिए कोई समिति सदन को बनानी चाहिए । इस देश के अन्दर राष्ट्रीय और प्रदेशीय स्तर पर राष्ट्रीय एकीकरण समितियां बनी हैं लेकिन इन समितियों का जो काम है वह इतना नगण्य है कि वह इन तमाम तूफानों को रोकने में सम्भव नहीं है । राष्ट्रीय एकीकरण समिति के जरिये कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखें कि जिनसे इंसान इंसान के बीच की खाई समाप्त हो सके । मैं एक जानकारी आपके माध्यम से इस सदन में देना चाहता हूं । १८५७ के शहीद नवाब बांदा की यादगार में हर राष्ट्रीय एकता सप्ताहोह का आयोजन कर रहे हैं जिसमें अखिल भारतीय मुशायरे का भी आयोजन किया है । हम माननीय सदस्यों को उसमें आने की दावत देते हैं । मान्यवर, बंगाल और केरल की बात आयी । यह जाहिर करता हूं कि साम्प्रदायिक दंगे उत्तर भारत में, जहां प्रगतिशील ताकतें कमजोर हैं, वहां ज्यादा हुए हैं । जब तक यह एक नहीं होती बोसवीं पूर्वार्द्ध में कहते हैं कि जब हिन्दू कमजोर रहेगा तब तक साम्प्रदायिक दंगे होते रहेंगे । यह बहुत बड़ा आघात है । अगर ऐसी प्रवृत्ति चलती रहेगी तो साम्प्रदायिक दंगे समाप्त नहीं होंगे । मान्यवर, मैं दो सुझाव देना चाहता हूं । जहां पर साम्प्रदायिक दंगे होते हैं वहां पर जिलाधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए । जो भी साम्प्रदायिक संगठन हैं चाहे वह हिन्दुओं के हों या मुसलमानों के हों । इन साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए इस काम के लिए एक समिति बनायी जानी चाहिए । नवाब बांदा, झांसी की रानी और अबीर खुसरो के बारे में तकरीरें चली थी । नवाब बांदा और अब्दुल हमीद ने अपनी देश भक्ति को साबित कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिए ।

डाक्टर मोअज्जिज अली बेग (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि····

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है । यह नियम है कि जब तक काम पूरा न हो चाहे रात के १२ बजे, सदन चलता रहेगा ।

एक सदस्य—

चाहे सुबह हो जाये ?

श्री अध्यक्ष—

सदन चल सकता है ।

*डाक्टर मोअज्जिज अली बेग—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अलीगढ़ के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया । अलीगढ़ का विधायक होने के नाते आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर मोअज्जिज अली बेग--]

की होली को मैंने अपनी आंखों से देखा है । उसको देखकर दुख महसूस किया हैं । जो अलीगढ़ की रोगी जनता और अलीगढ़ के रोगी नगर को हो रहा है। इस विषय में अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें राजनीति की भी बात आयी है । अभी इस बात की कोशिश की गई है कि एक राजनीतिक दल ने दूसरे दल पर आरोप लगाने की कोशिश की है और कहा है कि बलवा होने की जिम्मेदारी उनकी है । इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । सारे अखबारात को उठाकर एनालाइज्ड किया जाये तो यह मालूम होगा कि कोशिश इस बात की हो रही है कि हम दूसरे को दोषी करार दें और दूसरा यह कोशिश कर रहा है कि अपनी सफाई पेश करें वास्तविकता यह है कि जिस समय ५ तारीख को बलवा हुआ तो मेरी डिवीजनल कमिश्नर से बातचीत हुई । तो मैंने कहा कि यह जरूर है कि इसमें अल्प संख्यक विक्टिम हैं । उनके मकानात जले हैं लेकिन अभी तक साम्प्रदायिक बलवे का रूप धारण नहीं किया है लेकिन इस बात की संभावना है कि यह साम्प्रदायिक बलवे का रूप धारण कर ले क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और वह आने वाले हैं आप होशियार हो जाइये । होते-होते यह दिन आया कि यह बलवा नवम्बर में जब यह घटना हुई, तो वह साम्प्रदायिक ढंग अख्तियार कर गया । अफसोस इस बात का रहा कि इसके अन्दर कोई पाजिटिव ऐटीट्यूड मुझे नजर नहीं आया । कहीं पर भी इस बात की नजर नहीं आती कि फलां नहीं है या फलां कल्प्रिट है, जब मैंने देखा कि गिरफ्तारियां नहीं की जा रही और सजा नहीं दी जा रही है, तब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया ।

दूसरी दृष्टि ऐडमिनिस्ट्रेटिव है । प्रशासन की वास्तविकता जहां तक मेरी समझ में आया है, वह यह है कि राजनैतिक स्तर पर कन्फ्यूजन था । ऐडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो गया था । नतीजा यह हुआ, यह नहीं सही मानों में आया कि जिसके आधार पर वाकई कोई अफेक्टिव कदम ऐडमिनिस्ट्रेशन उठा सकता, समझ में नहीं आता कि आखिर यह तमाशा क्या था, जिस वक्त उस मोहल्ले में ऐटम फट रहा था, मैं कोतवाली में गया, कमिश्नर साहब मुझसे कह रहे थे कि आपने तकलीफ क्यों की, यह तो पटाके चल रहे थे, आप जाकर आराम कीजिए । इसके अलावा अगर कोई दृष्टि अब बचती है, तो वह सामाजिक है । अब अगर मुमकिन है तो सिर्फ इसी एप्रोच से मुमकिन है । मेरी जानकारी में ऐडमिनिस्ट्रेशन ने वह सारे तरीके अख्तियार कर लिये जो बलवे में अख्तियार किये जाते हैं । जो अलीगढ़ नगर में घटना हो सकती थी, वह हो गयी । सामाजिक जहां तक दृष्टि का सवाल है मेरा सुझाव यह है कि चूंकि अब हिन्दू और मुसलमान का सवाल उठा और कम्युनल रंग इसने धारण कर लिया, शासन अपना ध्यान दे कि जो शख्स इस दंगे को भड़कायेगा, उसको बख्सा नहीं जायगा ।

पी० ए० सी० की तरफ से शिकायतें मिली हैं, गलत तरीके से डंडे मारने की । मेरा निवेदन है कि ऐसे सिपाहियों को तुरन्त दंडित किया जाय । मुझे वहां पर मोहल्ले के लोगों ने बताया कि अगर ये लोग न होते जिन्होंने बचाया, श्री ओ० पी० शर्मा, एस० आई०, श्री कृष्ण यादव, सी० पी० नं० ५६, लाले सिंह आदि यही लोग थे, जिन्होंने बिलकुल इम्पार्शल तरीके से लोगों को बचाया । मुझसे लोगों ने इनकी तारीफ की और कहा कि आपकी जिम्मेदारी यह है, आपका फर्ज है कि शासन तक ऐसी बात पहुंचा दें कि ऐसे ईमानदार लोग भी हैं । लेकिन जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने लोगों का खून बहाया है तो उन्होंने लोगों का ही खून नहीं बहाया डिसिप्लिन का खून बहाया है । उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया । आप इसकी जांच कीजिये और ऐसे लोगों को दंडित कीजिये ।

इस तरह लोगों की भावनायें ठंडी पड़ेगी । मुझे आशा है कि जो सुझाव मैंने दिया है, सदन गौर करेगा और माननीय सदस्य ध्यान देंगे जिससे जो अलीगढ़ में आग बढ़ती जा रही है उसका समाधान सामाजिक तरीके से और सोसल तरीके से हो सके ।

एक सदस्य—

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ खास खास लोगों को ही बुलाया जायगा । कोई लिस्ट बना ली गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

आप देखें, लिस्ट भी है जो आपके ह्विप की तरफ से दी गयी है । और लोगों ने भी दी है । इसमें सब सदस्य बराबर हैं जिनको मैं आवश्यक समझता हूं, समय दे रहा हूं ।

*श्री राजनाथ सिंह—

मान्यवर, अलीगढ़ में आज से कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार की घटनायें घटित हुयी हैं इसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है । इस चर्चा में जितने भी सदन के सदस्यों ने हिस्सा लिया है, सभी सदस्यों ने जोरदार शब्दों में वहां की घटना की भर्त्सना की है । मान्यवर, केवल अलीगढ़ से ही नहीं बल्कि इस प्रदेश के अन्य स्थानों में दंगे हुये हैं जो निन्दनीय रहे हैं और इस सदन में उनकी भर्त्सना की गयी है । मान्यवर, उन कारणों को ढूंढ निकालें जिनके कारण इस प्रकार के दंगे प्रायः हुआ करते हैं । मान्यवर, जिस समय हमारे हिन्दुस्तान को आजादी मिली थी और आजादी की लड़ाई जिस समय हम लोग लड़ रहे थे उस समय चाहे इस मुल्क का हिन्दू रहा हो या मुसलमान रहा हो सबने ब्रिटिश हुकूमत से छुटकारे के लिये खून बहाया था । १५ अगस्त, १९४७ को जब आजादी मिली उस समय हिन्दुस्तान के सभी नागरिक सोच रहे थे कि इस धरती पर हिन्दू तथा मुसलमानों ने जो खून बहाया है वह अब नहीं बहेगा । लेकिन जिस प्रकार के स्वप्नों को संजोकर और जनतांत्रिक पद्धति से हम आगे बढ़े थे वास्तव में वह स्वप्न साकार नहीं हो सका । सन् १९४७ के बाद ३० वर्षों में एक हुकूमत रही । यह संभव है कि जो भी हुकूमत होती है उससे नागरिकों की ओर से यह अपेक्षा की जाती है कि सब में सद्भाव रहे । लेकिन विगत वर्षों का इतिहास उठाकर हम देखें सन् १९५२ में उस समय जनसंघ जो जनता पार्टी का एक घटक है । उस समय जब इसकी स्थापना हुयी थी, मान्यवर, आप भी पुराने राजनीतिक रहे हैं, अनुभवी हैं जानते होंगे कि उस समय एक विशेष राजनीतिक दल के लोगों ने बराबर इस दल को साम्प्रदायिक कहकर पुकारा और आम नागरिकों के बीच में एक भय बनाने का प्रयास किया कि यह दल साम्प्रदायिकता के आधार पर बनाया गया है जो मुसलमानों का विरोधी है ।

कभी कभी आर० एस० एस० की बात कही जाती है इसके लिए मैं केवल अपने विरोधी पक्ष की कुर्सी पर बैठे हुये लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा बल्कि जनता पार्टी के बहुत सारे मेम्बर रहे हैं जिनको चाहिये था कि अलीगढ़ में पहुंच कर सद्भाव बनाने का प्रयास करें । लेकिन उन्होंने इस तरह की गलतबयानी किया है, उसकी जितनी निन्दा की जाय वह थोड़ी है । इतना ही नहीं विपक्ष के सदस्यों ने सरकार की विफलताओं का जिक्र किया है और बताया है कि दंगों को रोकने के लिए सरकार विफल रही है । तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्रि परिषद्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनाथ सिंह--]

और मंत्रि परिषद के एक मंत्री अलीगढ़ गये, वहां उन्होंने दंगे को और भड़काने में प्रोत्साहन दिया । इसलिये अलीगढ़ में दंगे को बढ़ावा देने में जो सहयोग देते हैं उनको मुख्य मन्त्री जी को मंत्रि परिषद से निकाल देना चाहिये । मैं मुख्य मंत्री से अपेक्षा करता हूं कि सदन के नेता होने के नाते उनका उत्तरदायित्व हो जाता था कि यदि अपनी पार्टी का कोई व्यक्ति या मंत्री बिना जांच के यदि कोई आरोप लगाता है तो उसका खंडन किया जाय लेकिन मुख्य मंत्री जी ने उसका सार्वजनिक रूप से कोई खंडन नहीं किया है । यदि किया होता तो निश्चित रूप से वह ताकतें पनप नहीं सकती थीं ।

मान्यवर, दूसरी बात विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने कहा, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, कि इसके पहले आर० एस० एस० जब कभी दंगों में भाग लेता था तो दंगे तीन दिन में साफ हो जाते थे । लेकिन इसके पीछे सरकार लगी है इसलिये वहां सम्प्रदायिक ताकतें पनप रही हैं । आर० एस० एस० पर जो बराबर आरोप लगाये जाते हैं कि वह दंगे भड़काने का काम कर रहा है । तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी आर० एस० एस० का एक सदस्य हूं इसलिए मैं गर्व से और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आर० एस० एस० हमेशा साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाने का प्रयास करती है । यदि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों जहां इनकी पार्टी की सरकार हैं, वहां क्यों इस प्रकार के दंगे नहीं हो रहे हैं, इसकी भी खोज करना चाहिये । लेकिन मैं समझता हूं कि वह माननीय सदस्य इस गहराई में नहीं जाना चाहते हैं ।

तीसरी बात मान्यवर, अलीगढ़ का जो दंगा रहा वह निश्चित रूप से शीघ्र ही समाप्त हो जाता और एक साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा हो जाता लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ लोगों ने सोचा कि इसके माध्यम से समस्तीपुर फतेहपुर और चिकमंगलूर में चुनाव में सफलता प्राप्त कर लें और मुसलमानों के वोट अपने कब्जे में करने का उन्होंने प्रयास किया और गलतबयानी किया । इसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं । इसके साथ ही मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अलीगढ़ में जो पी० ए० सी० के नवजवानों ने अत्याचार किये हैं, जो महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर जब वह दूध, औषधि और खाद्य पदार्थ लेने निकलते थे, निर्ममता पूर्वक लाठी बरसायी, उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करायी जाय और जो अधिकारी दोषी पाये जायं उनको दंडित किया जाय । यही नहीं जो साम्प्रदायिक दंगे में भाग लेते हैं और उनको जेल में ठूंस दिया जाता है उसी प्रकार जो अधिकारी और पी० ए० सी० के जवान दोषी पाये जायं उनको भी जेल भेजना चाहिये । इसके साथ ही अलीगढ़ दंगे की मैं भर्त्सना करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री बाबू बदरे--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, माननीय सदस्यों के विचार सुने लेकिन साम्प्रदायिकता न बढ़े इस पर कम विचार सुनने को मिले । ज्यादातर एक दूसरे पर आक्षेप करने वाले सुनने में आये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक अलीगढ़ का सवाल है, जब लाश को बिना पोस्ट मार्टम के पुलिस ने बलवाइयों को दे दिया तभी बलवा शुरू हो गया। बलवाइयों को रोका नहीं गया। ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर फोर्स कम थी तो ज्यादा फोर्स नहीं लगायी गयी। नतीजा यह हुआ ....

श्री अध्यक्ष--

बाबू बदरे जो जो बात कही जा चुकी उसे न दोहरायें और यह घटना तो कई बफे दोहराई गयी है।

श्री बाबू बदरे--

मेरे लिए है या सबके लिए है। अगर मेरे लिए ही है तो मैं आपकी बात मानता हूं। जहां तक साम्प्रदायिकता की बात है, दंगे की बात है, पिछली सरकार में इतने दंगे हुये इस सरकार में कम दंगे हुये लेकिन यह दंगा जो अलीगढ़ का है यह एक ऐसा दंगा है जो मेरे समझ में नहीं आता। क्या इन्तजाम वहां पर था, कौन सी एथारिटी वहां पर बैठी है, वे कौन से लोग हैं जो इन्तजाम नहीं कर सके, उन्हें अब तक हटा दिया जाना चाहिये था। सरकार में जो बैठे हैं यदि वे कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो उन्हें सरकार से स्वयं हट जाना चाहिये कि अफसर हमारा कहना नहीं मानते। एक मिसाल देना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे टोक कर जो पूरी बात मुझे कहनी थी उससे अलग कर दिया। कानपुर नगर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। कानपुर नगर में बाबू पहलवान का कत्ल हो गया। यह खबर तमाम अखबारों में छपी। परिवार के लोग बगैर पोस्ट मार्टम के लाश को लेने कोतवाली मजमा ले कर पहुंचे कि हम लश ले जायेंगे। पुलिस अधिकारी ने पहले ही फोर्स को ज्यादा इकठ्ठा कर लिया और कह दिया कि लाश को बगैर पोस्ट मार्टम के नहीं ले जाने देंगे और उनको लाश नहीं मिली। दंगा नहीं हुआ। उन को लाश मिल जाती तो वे भी उस परिवार का लाश कर देते जिस परिवार के लोगों ने बाबू पहलवान का कत्ल किया था।

इस समय जरूरत इस बात की है कि दूसरों पर आक्षेप करना बंद कर दें। गुण्डों से झगड़ा होता है। सरकार को अपनी मशीनरी मजबूत करनी चाहिये। हिन्दू मुसलमान के नाम को लेकर अफवाह फैलाने वालों को सी० आई० डी० को पकड़ना चाहिये। राजनीतिक कामों में सी० आई० डी० बड़ी सजग रहती है लेकिन ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ती।

यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, पिछले राज्य का दुर्भाग्य है, इस राज्य का दुर्भाग्य है, यदि ठोस कदम नहीं उठाये गये तो हिन्दू मुसलमान दंगे होते रहेंगे चाहे कोई भी राज्य रहे। जहां तक हिन्दू और मुसलमानों का सवाल है अलीगढ़ में ही हिन्दुओं ने महफूज तरीके से मुसलमान लोगों को अपने घर में रखा और पुलिस के जरिये उनको निकाला। मुसलमानों ने भी हिन्दूओं को इसी तरह महफूज रखा। आज तक किसी हिन्दू द्वारा मस्जिद तोड़ने और मुसलमान द्वारा मंदिर तोड़ने को ले कर कोई दंगा नहीं हुआ। इस तरह का दंगा ही हिन्दू मुस्लिम कहा जा सकता है। यह दंगा गुण्डों, लफंगों और पुलिस पी० ए० सी० वालों का दंगा है। वहां जितने भी कांड घट रहे हैं, इस प्रदेश में राहजनी, कत्ल और जो हत्यायें होती हैं, उनको साम्प्रदायिकता का रूप देकर दंगे का रूप दे देते हैं। लेकिन गुन्डों का सर कुचलने का एक हल हो सकता है कि पुलिस झूठे मुकदमें दायर करना कम कर दे। आज हम देखते हैं कि पुलिस बहुत बड़ी तादाद में झूठे मुकदमें दायर कर रही है। उसमें क्या होता है ? निर्दोष आदमी तो फंस जाता जाता है और जो दोषी होता है, वह छूट जाता है। १० प्रतिशत ऐसे लोग होंगे

[श्री बाबू बदेर---]

जो दोषी होंगे और पकड़े गये होंगे बाकी बेगुनाह लोग ही पकड़े जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जब तक इस तरह से वोट लेने वाली बात रहेगी, उस वक्त तक हम साम्प्रदायिकता को ठीक नहीं कर सकते हैं। वोट लेने की लालच से सारी बातें की जाती हैं। मैंने कई लोगों का भाषण सुना। कह दिया जाता है कि हम गद्दार हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान कौम कभी भी गद्दार नहीं हो सकती है। हमारी बैकग्राउन्ड कहती है कि हम जिस मुल्क में रहेंगे, उस मुल्क के वफादार होकर रहेंगे लेकिन किसी सरकार की वफादारी का ठेका मुसलमानों ने नहीं लिया। तो इस तरह की चाहे जितनी बातें करें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक पुलिस का तरीका शासन को कड़ाई से नहीं बदलेगा, सुधार नहीं हो सकता है। अगर कभी कल्लू और रहीम का झगड़ा हो जाय, तो उसको सीधे तरीके से हल करें। इस तरह से करेंगे तो कभी कोई भेदभाव की बात नहीं होगी जब उधर देखा अयाम की तरफ, अपने ही दोस्त से मुलाकात हो गयी।

*श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मैं तो चार घंटे से सुनता-सुनता थक गया। सबसे पहले नेता सदन को सुनें। उन्होंने ढाई महीने तक कुछ नहीं किया और न यह बताया कि झगड़ा होने का कारण क्या था और वह कैसे बंद होगा। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता कि चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों, आखिर इस तरह की घटनायें क्यों होती हैं। मैं ३० वर्षों से इन घटनाओं को देख रहा हूं, इन वारदातों को देख रहा हूं। मैं बड़े साफ लब्जों में कहना चाहता हूं कि इस देश में, महात्मा गांधी के देश में, महात्मा गांधी को मानने वाले जब इस तरह के हो जावेंगे तो जमहूरियत का क्या होगा, माइनरटी का क्या होगा? मुझे बड़ा अफसोस है कि वे लोग जो अपने को डाक्टर लोहिया का शिष्य मानते थे, जिन्होंने डाक्टर लोहिया के चरणों में शिक्षा पाई हो, जो महात्मा गांधी के साथ रह चुके हों और उनसे शिक्षा पाई हो, वे आज कुर्सी के कारण, इस तरह से चुप हो जायेंगे। हमारे वे साथी, जिन्होंने पंडित जवाहर लाल और मौलाना आजाद के साथ रहकर उनसे शिक्षा पाई हो, आज वे उनके गीत गा रहे हैं जिन्होंने जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब अंग्रेजों की मदद किया था। अफसोस है कि आज सारी ताकत उस तबके के हाथ में है और इनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी अगर थोड़ा सा भी जनतंत्र में यकीन रखें तो एक घंटा भी उन्हें इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार है? जिस रोज से वे कुर्सी पर आये हैं, हरिजन, ईसाई, मुसलमान सभी माइनारिटी के लोगों के साथ दंगे फसाद हो रहे हैं। तमाम बनारस, कानपुर और आपके अलीगढ़, लखनऊ, फिरोजाबाद वगैरह-वगैरह सभी जगह में उन्होंने, सम्भल में दंगा कराया गया और यह इनके हाथ की बात नहीं है। अलीगढ़ में लोग बलवा करते रहे, यह तो सोचें। इस सारे देश के नेताओं ने, जनता पार्टी के नेताओं ने मान्यवर, सीधा इल्जाम लगाया है कि अगर मुख्य मंत्री जी जनता पार्टी के अध्यक्ष को न छुटवाते, अगर मुख्य मंत्री जी वहां जाकर कल्याण सिंह के दबाव में न आते, अगर मुख्य मंत्री जी जनसंघ और आर० एस० एस० के दबाव में काम न करते तो यह दो महीने क्या, एक दिन भी दंगा नहीं चल सकता था। मान्यवर, अभी अभी अलीगढ़ के माननीय सदस्य जो अलीगढ़ से ही जनसंघ के टिकट पर ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

जनसंघ नहीं जनता पार्टी ।

श्री मन्जूर अहमद--

जनता पार्टी हो कह लें, सभी हैं उसी घटक के । यह पूरा एक गिरोह है । मैं कहना चाहता हूं कि 'अभी क्या है, कल एक-एक बूंद को तरसेगा मयखाना, जो एहले जर्फ के हाथों में पैमाने नहीं आते ।' मान्यवर, इन शहीदों का खून, हमारा दावा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को अदा करना पड़ेगा, इनको जायजा देना पड़ेगा । मुसलमानों को आर० एस० एस० वालों ने जलाया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि पी० ए० सी० इनकी मदद कर रही थी । जिनको जलाया है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं :--नन्हें लाल, कमरुद्दीन, अब्दुल वहीद उर्फ अच्छे मियां । इनको मानक चौक में जलाया गया । अध्यक्ष, जनता पार्टी और उनके लड़के की मौजूदगी में जलाया गया । यह २० साल का लड़का जाबेद अख्तर जो उसी मोहल्ले में रहता था, बाकायदा जनता पार्टी के लोगों और पी० ए० सी० की मौजूदगी में जलाया गया । इसका खन माननीय मुख्य मंत्री जी को अदा करना पड़ेगा । इनको आज नहीं, कल नहीं परसों इसको करना ही होगा इन बातों से काम नहीं चलत । माननीय, अजीमल वल्द असद अली, यह सब २०-२२ साल के लड़के हैं, जिनको जिन्दा जलाया गया । मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर पी० ए० सी० गोली चला रही है तो किसी एक तबके के लोगों पर ही क्यों गोली लग रही है ? माइनारिटी कम्युनिटी के लोगों को ही क्यों गोली लग रही है ? किसी और आदमी को भी तो लग सकती है ? जितनी पी० ए० सी० की गोली से हत्यायें हुयीं, माइनारिटी कम्युनिटी के लोगों की हुई ।

पी० ए० सी० की गोली माइनारिटी कम्युनिटी के लोगों के अलावा किसी और को नहीं लगी इसका कारण खोजना चाहिए और इसकी बुनियादों में जाना चाहिए । क्या वजह है कि पहले पी० ए० सी० लूटा करती थी कांग्रेस के जमाने में, जब से जनता पार्टी की सरकार आई और लाल सिंह वर्मा, आई० जी० बने तब से बनारस में, लखनऊ में, कानपुर में पी० ए० सी० ने हर जगह गोलियां चलायीं । हर जगह पी० ए० सी० और आर० एस० एस० वाले मिलकर माइनारिटी कम्युनिटी के लोगों को लूटते हैं । शर्म की बात है कि कोतवाली के बराबर में १० दूकानें फूंक दी गयीं और पुलिस वाले देखते रहे और फलों की और दूसरी दूकानें लूटी गयीं और सबसे बड़े दुख तथा अहमियत की बात यह है कि माननीय राधे श्याम जो सोशलिस्ट हैं और सेकुलर भी हैं आज वह भी वही भाषा बोल रहे हैं जो आज से पहले बोला करते थे । डाक्टर लोहिया का उदहारण दे दिया लेकिन किसी की जान बचाने के लिये कोई एक माई का लाल निकला होता जो अपनी जान भी दे दे । किसी ने नहीं दी । इतना गंभीर वातावरण है । यह आर० एस० एस० की सरकार है जो ३० साल की बात किया करती है । ३० साल की बात कह कर सी० बी० गुप्ता, प्रधान मंत्री, बहुगुणा जी तथा जगजीवन राम सभी पर ये हमला कर रहे थे और आज जो यह सरकार बैठी है उसमें वह लोग नहीं हैं जिन्होंने अपने खून से आजादी को सींचा, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी । उस समय ये देश की मदद न करके अंग्रेजों की मदद कर रहे थे । आजादी में हिस्सा लेने वाले उधर बहुत कम लोग बैठे हैं । जो ३६ लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति मैं अकीदत पेश करता हूं और मुख्य मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस प्रदेश में आर० एस० एस० पर

[श्री मन्जूर अहमद---]

पाबन्दी लगायें और जो मंत्री वहां झगड़े में बैठे थे उन पर १०२ का मुकदमा कायम किया जाय और उनको जेल भेजा जाय तभी इस मुल्क में फसादात खत्म होंगे और तभी इस मुल्क में जनतंत्र जीतेगा और सेकुलरिज्म पनप सकेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, काफी देर से बड़ी गंभीरता से इस विषय पर चर्चा हो रही है । अलीगढ़ में जो हुआ वह हम सबके लिये वास्तव में बड़ी शर्म की बात है । उसकी जितनी निन्दा की जाय कम है । लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण तथा निन्दनीय बात यह है जो अपने निहित स्वार्थों के लिये, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनर्गल अफवाह फैलाने का प्रयत्न करते हैं । मैं अलीगढ़ की घटनाओं का जिक्र करके आदरणीय सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा । लेकिन क्या गंभीरता से हमने इस बात पर विचार किया कि जिस समय हिन्दू-मुसलमान एक होकर देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ रहे थे सावरकर जी की ओर हमारा ध्यान जाता है । उनकी बाबत कोई कुछ भी कहे लेकिन हिन्दू-मुसलमानों की एकता का उन दिनों ज्वलंत उदाहरण हमको मिलता है । १८५७ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । हिन्दू-मुसलमान कन्धे से कन्धा भिड़ा कर आजादी की लड़ाई के लिये लड़े । उसके बाद अंग्रेजों ने उस एकता को खत्म करने के लिये हिन्दू-मुसलमानों को बराबर लड़ाने की चेष्टा की । उसके बाद कांग्रेस शासन आया और वह भी वही काम करता रहा । क्या कभी हमने इस बात पर विचार किया कि हिन्दू-ईसाई, हिन्दू-पारसी तथा अन्य जातियों में झगड़ा नहीं होता ? यह कौन सी बात है जिससे कभी-कभी हिन्दू और मुसलमानों के बीच झगड़ा हो जाता है इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

अब मैं अलीगढ़ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । अलीगढ़ में आज यह बात नहीं होती । १९७१ से पहले भी दंगे हुए थे उसकी जांच के लिए एक माथुर कमीशन बैठाया गया था अगर उस कमीशन की रिपोर्ट पर अमल किया गया होता, कमीशन ने जो सिफारिश दी हैं उनको लागू किया गया होता, उसकी जो फाईंडिंग हैं उनको देखा गया होता तो आज यह दुर्दिन न आया होता । हमें केवल अपनी राजनीति को सामने रखकर वोट लेने के लिए बात नहीं करनी चाहिये । हमें सोचना चाहिये कि हम एक माता के पुत्र की तरह रह सकें । आज यहां पर अनेकों बातें कही गईं । आरिफ साहब ने भी भाषण दिया मैं उसे सुन रहा था मैं उनको बहुत नजदीक से जानता हूं उन्होंने सर्वधर्म सम-भाव की बात कही, हिन्दू माईथैलोजी को समझने की बात है । जब वह सर्वधर्म सम-भाव की बात करते हैं तो जब राम सिंह जी राष्ट्रीय सरसंघ चालक का भाषण सुनने चले गये तो क्यों बुरा लग गया । श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने भी राष्ट्रीय स्वयं संघ की रैली की अध्यक्षता की है लेकिन उनकी बात को बुरा नहीं समझा और राम सिंह जी की बात का उन्हें बुरा लग गया । इस बात को माथुर कमीशन ने भी कहा है कि हमारे भाषों में उदारता आनी चाहिये और दूसरे जब सर्वधर्म सम-भाव की बात करते हैं तो फिर बुरा लगने की बात नहीं होनी चाहिये । सर्वधर्म सम-भाव की बात हमारे वर्क साहब ने भी की उन्होंने भी कहा है कि दोनों धर्मों के बीच किसी प्रकार के संघर्ष की आवश्यकता नहीं है । इस पर हमें विचार करना होगा । यदि हम केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए वोट लेने के विचार को छोड़ दें तो यह बात आ जायेगी ।

मैं माथुर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें कहा गया है कि दंगे अफवाहों से फलाये जाते हैं। तो क्या यह सही नहीं है हम अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें, देश की एकता की बात सोचें, उसमें जनता पार्टी के लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्या उधर के लोगों ने मिलकर अफवाहें फैलाने की चेष्टा नहीं की, क्या यह हकीकत नहीं है कि एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी ने जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्र शेखर को नहीं कहा या बात नहीं की कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय संघ के हाथों से घिरा हुआ है और वहां लाशें पड़ी हुई हैं। यह संयोग की बात थी कि उसी वक्त अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का टेलीफून पहुंच गया और बात साफ हो गई। हम सब लोग पाप करते हैं, जो लोग इन घटनाओं से अपनी रोटी सेंकने की चेष्टा करते हैं। इसका निदान करने की आवश्यकता है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जिस समय भूरा पहलवान की लाश निकली उस वक्त वह तमाम लोग गिरफ्तार हुए ? मैं आरोप की बात नहीं करता लेकिन मैं अगर यह बात कहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है जब इंदिरा गांधी वहां गईं यानी १२ सितम्बर को पहली घटना हुई और इसके बाद दूसरी घटना हुई उसके बीच में २६ तारीख को वह वहां पहुंचीं तो जिलाधिकारी उनसे मिलने के लिए आते हैं। क्या यह सही नहीं है कि उसमें मंत्रणा होती है। क्या यह सही नहीं है कि चुनाव के टाइम में साम्प्रदायिक दंगे कराने का प्रयत्न नहीं किया गया ?

मान्यवर, मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता क्योंकि जांच आयोग के लिए यह विषय है। जांच आयोग बैठ चुका है सारी बातें हमारे सामने आयेंगी। माननीय मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा कि जांच आयोग की कार्यवाही जल्दी शुरू हो। मैं यह भी कहूंगा कि माथुर आयोग की रिपोर्ट पर सख्ती से अमल कर दिया होता तो आज यह बात नहीं होती अभी भी अमल कर दिया जाय। माथुर आयोग ने कहा है कि अलीगढ़ के घरों की तलाशी लेनी चाहिये। अगर तलाशी ली गई होती तो सारी बातें सामने आतीं। (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्पष्टीकरण का भी है। माननीय सदस्य ने कहा कि इंदिरा गांधी वहां गईं और उन्होंने कोई मंत्रणा की। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं क्या उस समय आप वहां पर उपस्थित थे ? मैं तो वहां पर था और मुझे मालूम है कि वह वहां एक शादी में गईं थीं। वहां वर्कर्स की मीटिंग हुई और उसके बाद वह चली गईं। वह जो कहते हैं, क्या मंत्रणा में वह भी शामिल थे ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो कुछ मैंने कहा है, वह केवल संकेत है। जांच कमीशन से सब सफाई हो जाएगी। तो मैं कह रहा था सराय काबा में १२० लोगों की तलाशी में कुछ नहीं निकला, परन्तु अमरकोट में तलाशी में दो अवैध कट्टे और ७ कारतूस बरामद हुए और पुलिस ने ४ व्यक्तियों को पकड़ा। इतना ही नहीं वहां आर्डिनेन्स फैक्ट्री के बने हुए हैन्ड-ग्रेनेड्स मिले हैं। वह कहां से आए, किसके घर में

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

मिले ? इन बातों को देखने की आवश्यकता है और कार्यवाही करने की भी आवश्यकता है । फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि माथुर कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए । उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में अनेक सुझाव दिए हैं, उन्होंने पी० ए० सी० और सिविल पुलिस के बीच होने वाले टकराव को सुधारने के लिए सुझाव दिए हैं । हम लोग ईमानदारी के साथ वोट की राजनीति छोड़कर वास्तविकता पर विचार करें तो इस देश का भला होगा वरना इस देश को शासन और पुलिस बचाने में सफल नहीं होगी । मैं इस साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बनाने के सम्बन्ध में एक बात और बहुत साफ रूप से कह देना चाहता हूं कि हमारे बहुत से आस्था के स्थान हैं, श्रद्धा के केन्द्र-बिन्दु हैं, वे दूसरों के, वह किसी न किसी के कब्जे में हैं वह ईमानदारी के साथ जिनके हैं उनको वापस कर दिए जाएं तो अच्छा है और तभी इस समस्या का हल होगा । हम लोग केवल वोट के लिए अफवाहें फैलाते रहें, एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहें और जब तब संघ का नाम लेते रहे, उसको उसमें घसीटते रहें तो इससे काम चलने वाला नहीं है ।

आज तक जितने दंगे हुए, भले ही आप राष्ट्रीय स्वयं संघ का नाम ले लें, उनके लिए जितने भी कमीशन बैठाए गए, जितनी भी जांच बैठी, सबने उसको निर्दोष करार दिया, किसी ने किसी दंगे में उसका हाथ नहीं पाया । इस अलीगढ़ दंगे के सम्बन्ध में भी जो माइनारिटी कमीशन वहां गया था, उसने साफ कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का उसमें कोई हाथ नहीं है । व्यक्ति कोई खराब भले हो सकते हैं । हमारे यहां भी हो सकते हैं और जिस किसी भी व्यक्ति ने गलत काम किया है, उसको दंडित करना चाहिए । देश के अंदर हिन्दू-मुसलमान दोनों साम्प्रदायों ने इमरजेंसी के दिनों में और उसके बाद, वर्षों बाद जो अभूतपूर्व एकता पैदा हुई है, उसको तोड़ने के लिए, देश के बंटवारे के लिए जो लोग जघन्य साजिश कर रहे हैं, उनकी किसी साजिश का हम लोगों को शिकार नहीं होना चाहिए, उसका हम सबको मिलकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी, यह बहस कब तक चलेगी, क्योंकि पौने पांच घंटे बहस चल चुकी है । (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

श्रीमन्, जब आपने वायदा कर दिया कि सदस्य जब तक चाहेंगे, सदन चलेगा, तो अब इसको (पूछने की) क्या जरूरत है ?

श्री राम नरेश यादव--

सदन के सदस्यों की जो भावना दिखाई दे रही है, इसलिए आधे घंटे तक और सुन लिया जाए ।

(श्री फजलुलहारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जिसको बोलना चाहिए उसको आप बिठाल देते हैं ..... (व्यवधान)

एक सदस्य—

केवल सफाई हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

अलीगढ़ में हुये साम्प्रदायिक दंगे पर चर्चा को कल भी जारी रखने का प्रस्ताव

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय, इस बात पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा । मुझे खेद है कि अब एक नियम बन गया है कि जब तक सदन की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी, सदन चलता रहेगा, समय बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है । आप बैठेंगे, उसका निर्णय करने का पूरा अधिकार आपको है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा, इसलिए कि जो आपने मुख्य मंत्री से परामर्श पूछा । उनको चाहिए था कि वह कहते कि जब तक आप उचित समझें, चलावें, किन्तु उन्होंने (मुख्य मंत्री) उसके विपरीत यह कहा कि आधा घंटा और, तो इसका मतलब यह है कि समय निश्चित करना मुख्य मंत्री के ऊपर है ?

श्रीमन्, मैं यह चाहूंगा कि आध घंटे वाली बात निकाल कर, कितनी देर तक चले, वह अधिकार आपका है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका उत्तर मुझे देने दीजिये । नियमावली में यह है कि जब तक दिन का कार्य पूरा न हो तब तक सदन चल सकता है । तो जो मैंने कहा, सदन का कार्य जब तक सदन चाहेगा, उस वक्त तक चलेगा । माननीय नेता सदन से केवल इस पर परामर्श किया क्योंकि कोई क्लोजर मूव कर सकते हैं । तो मैंने पूछा क्योंकि इसमें नियम ५१ की भी सूचनाएं हैं, आधे घंटे का नियम ४९ के अन्दर भी विवाद होगा । इसलिए मैंने पूछा । उसके बाद नेता विरोधी दल से भी बात करते क्योंकि बहस कितनी चले, उसका निश्चय करना होगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, विवाद में यह अवश्य है कि कई हमने घात प्रतिघात किये हैं, कितने प्रकार के सुझाव आ रहे हैं, उन पर सरकार को विचार करना चाहिए । लगभग १५ सदस्य हैं जो संक्षेप में विचार करना चाहते हैं । इस पर क्लोजर इसलिए नहीं हो सकता कि बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने यह निश्चय कर दिया कि जब तक समाप्त न हो तब तक चलता रहे ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं है । नियमावली में ऐसा है कि....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं बात पूरी कर लूं, तब आसानी होगी । आसानी यह होगी कि बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी बनी ही क्लोजर के लिए है । पहले नहीं होती थी । यह इसलिए बनायी गयी कि समय का निर्बंध हो जाय नहीं तो विषेयकों पर कई दिन चर्चा चला करती थी । क्लोजर के लिए ही यह ऐडवाइजरी कमेटी

[श्री नारायन दत्त तिवारी---]

बनी है । चूंकि आज तमाम सदस्य बोलना चाहते हैं, अजेंडे में दो सूचनाएं और हैं, एक हत्या के बारे में और एक नक्सलवादी बंदियों के बारे में । यह भी न हो कि दस बजे तक चलता रहे । कल दो बजे तक या जब तक यह १५ मेम्बर बोल न लें, सबके नाम लिख लें, कल सब बोल लें । तब माननीय मुख्य मंत्री जवाब दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

हम लोग जबान को मानते हैं । जब डाक्टर चतुर्वेदी ने पूछा कि यह कब तक चलेगी तो आपने कहा कि जब तक चाहेंगे तब तक चलेगी । यह हुआ कि रात के बारह बजे तक चले, तो आपने कहा कि जब तक चाहेंगे, चलेगी । हमको नयी बातें कहनी हैं । सब को बोलने दीजिये । अहम सवाल है ।

श्री अध्यक्ष---

जो मैंने यह कहा जब तक आप कहेंगे तब तक सदन चलेगा, वह ठीक है नियम में । लेजिस्लेटिव बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया कि इस पर बहस एक दिन चलेगी । एक दिन का मतलब क्या है ? फिर नेता सदन का मतलब होता है कि सदन की तरफ से सुझाव आये, तब तक चलेगा । मैं यह समझता हूं कि जो माननीय नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया है उसको मान लेना चाहिए । कल इस पर फिर बहस चलेगी । अब इस पर वाद-विवाद नहीं होगा । अब आप बैठिए ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, हम लोग बहुत देर से खड़े हो रहे हैं ।

(शोर)

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

मैं अपनी राय दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

क्या व्यवस्था दी सुन नहीं पाये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह --

अगर व्यवस्था नहीं दी है तो उससे पहले मुझे सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछने के बाद आपने माननीय नेता विरोधी दल से पूछा । उन्होंने आपको सुझाव दिया, जिस पर आपने अपनी व्यवस्था दे दी कि यह बहस कल चलेगी और जितने माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, वह कल बोलेंगे । अब न्याय मन्त्री जी खड़े हो रहे हैं । अब आपकी व्यवस्था हो गई तो वह क्या कह रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

अगर श्रीमन्, आपने व्यवस्था दे दी तो मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं समझता था आपने व्यवस्था नहीं दी है ?

श्री ऊदल--

आपने व्यवस्था दी या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप नहीं चाहते कि बहस चले । मैं यह कह रहा हूं कि कल का गैर सरकारी दिन है । माननीय नेता विरोधी दल ने एक सुझाव रखा । मैंने यह कहा कि मेरी राय में माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है, उसको मान लेना चाहिए। चूंकि इस पर प्रस्ताव लाना होगा कि कल गैर सरकारी दिवस न होकर यह बहस चले तो इस पर व्यवस्था नहीं हो सकती ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माननीय न्याय मन्त्री भी शायद यही प्रस्ताव लाने वाले थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय सदस्यों के ऊपर किसी की राय नहीं हो सकती और उस पर तो आप ही व्यवस्था देंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि एक विषय शुरू हुआ है । दस-पन्द्रह लोग और बोलने वाले हैं तो आज ही समाप्त कर लें बाकी एजेन्डा कल ले लें ।

श्री ऊदल--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह जो अलीगढ़ पर बहस चल रही है, इसको आज बन्द करके कल भी इस पर ३ घंटे बहस करायी जाय ।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

मंसा तिवारी जी कह रहे थे और सदस्यों ने भी कहा और लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए ही ऊदल जी ने भी अपने विचार रखे । सचमुच जब सदस्यों को बोलने का मौका मिल रहा है और कुछ सदस्य अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाये । वैसे तो आज ही के लिए यह चर्चा का विषय रखा गया था और कल दूसरे कार्यक्रम हैं, लेकिन फिर भी सदस्यों की भावना को देखते हुए कल के लिए रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

(मुख्य मन्त्री से) आप क्या माननीय ऊदल के प्रस्ताव से सहमत हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । मैं यही कह रहा था ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कल गैर सरकारी दिवस न होकर अलीगढ़ और साम्प्रदायिक एकता पर तीन घंटे की चर्चा और हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

आज जो लोग खड़े हुए हैं, उनके नाम नोट कर लें और सब उनको ही मौका मिलना चाहिए ।

एक सदस्य—

आज नाम नोट कर लीजिए ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत श्री अजीत सिंह सेठी की एक सूचना मोदीनगर में दिनांक १२ दिसम्बर को हुए उपद्रव में बस कन्डक्टर द्वारा छात्र को हिरासत में लिए जाने से छात्रों में रोष के कारण पथराव तथा रोडवेज बसों के जलाये जाने के सम्बन्ध में स्वीकार किया है ।

माननीय गृह मन्त्री जी आप इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

२६ को दे दूंगा ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, २७ को दे दें । मैं २६ को रहूंगा नहीं ।

श्री राम सिंह—

मेरा निवेदन है कि २६ को हमारा क्षेत्रवन डे है और २७ को कान्फ्रेंस में है ।

श्री अध्यक्ष—

सायं ५ बजे दे दीजिए ।

श्री राम सिंह—

ठीक है ।

शुक्लागंज जिला उन्नाव के निवासी श्री प्रकाश त्रिपाठी उर्फ मुन्ना तिवारी
की कथित पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१
के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २८-९-७८ को शुक्लागंज (उन्नाव) निवासी डाक्टर सोम नाथ टंडन की हत्या के सम्बन्ध में धारा ३०२ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत थाना गंगाघाट पर दर्ज अपराध संख्या ३६६ में अन्य के साथ श्री प्रकाश उर्फ मुन्ना तिवारी का हाथ होना पाया गया। विवेचना अधिकारी इस अभियुक्त तथा इसके साथी अभियुक्त श्री राजेश त्रिपाठी की तलाश में थी कि दिनांक १०-१०-७८ लगभग साढ़े पांच बजे सायं को उन्हें एक व्यक्ति ने सूचना दी कि राकेश व मुन्ना तिवारी अपने साथियों के साथ धोबी घाट के निकट बनी एक कोठरी में मौजूद हैं और उन्होंने देवी बख्श सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस कर्मचारियों व जनता के अन्य आदमियों सहित धोबी घाट की तरफ गए तथा उस स्थान को घेरा। कुछ आदमियों की मौजूदगी का इस स्थान पर आभास होने पर थानाध्यक्ष ने आत्मसमर्पण करने को कहा। इसके प्रत्युत्तर में पुलिस दल पर गोलियां चलाई गई। पुलिस द्वारा उन्हें आत्मसमर्पण करने को पुनः कहा गया, परन्तु वह लोग नहीं माने और फायर करते रहे, उनकी गिरफ्तारी एवं आत्मरक्षा हेतु पुलिस तथा गवाहों ने फायर किया, जिसमें श्री प्रकाश तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी तथा राजेश त्रिपाठी नामक दो व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गए और दो आदमी भागने में सफल हो गए। उक्त दोनों मृतकों के पास हथगोला, रिवाल्वर, जिंदा कारतूस आदि बरामद हुए। इस पर थाना गंगाघाट पर दिनांक १०-१०-७८ को अभियोग संख्या ३८० के अन्तर्गत धारा ३०७ भा० दं० वि० व २५/२७ आर्म्स ऐक्ट तथा ५ एक्सप्लोसिव्स ऐक्ट पंजीकृत हुआ। मृतकों का पंचनामा मैजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किया गया तथा उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर "यह झूठ है" कहने पर।)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। पहले वक्तव्य पूरा होने दीजिए। आपको स्पष्टीकरण करने का मौका मिलेगा और अगर आप नहीं चाहते हैं कि गृह मन्त्री जी का वक्तव्य हो, तो मैं इसको खत्म कर दूंगा।

श्री राम सिंह--

२--उक्त पुलिस मुठभेड़ में दो व्यक्तियों की मृत्यु की मैजिस्टीरियल जांच हो रही है। जांच मैजिस्ट्रेट ने इस सम्बन्ध में एक स्थानीय तथा कानपुर के समाचार-पत्रों में विज्ञाप्ति जारी की है कि जो व्यक्ति इस घटना के बारे में जानकारी रखता हो, वह अपनी साक्ष्य जांच में दें। कुछ साक्षियों के बयान अंकित किए जा चुके हैं, जिनमें बस ड्राइवर श्री राम सुन्दर पान्डे भी हैं। जांच प्रचलित है।

३--उपलब्ध सूचना के अनुसार मृतक श्री प्रकाश तिवारी का पूर्व आपराधिक इतिहास था, वह बदमाशों के एक गैंग का सरगना था तथा कानपुर के नागरिक उनकी गतिविधियों से आतंकित थे। श्री प्रकाश तिवारी के गैंग के लोग अभी सक्रिय हैं। उन अपराधियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं ....।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह एक बड़ी गम्भीर घटना है। इसमें जो तथ्य लिखकर सूचना दी गई थी, उसके अनुसार उत्तर आना चाहिए। जो जिस अभिप्राय से यह सूचना दी गई है, वह कभी भी पूरा नहीं हो पायेगी। इसमें मुद्दे की बात यह है कि यह कहा जाता है कि साढ़े ७ बजे कम्युनिकेशन हुआ कि प्रकाश तिवारी उर्फ मुन्ना को मार डाला गया। माननीय विधायकों ने अपनी जानकारी दी है और हलफनामें भी दाखिल किए हैं, जब जुडिशियल इन्क्वायरी हुई थी, जिन्होंने पहले बयान दिया था, उनको अपहरण कर ले जाया गया। जो हमारे यहां का लोहार है, उसने बयान दिया है कि उसे जबर्दस्ती ले जाया गया है। किस हद तक तथ्य को छिपाया जा सकता है? इससे तो मान्यवर, इस सदन को कुछ नहीं मालूम हो सकता है। आपने बयान दिया है कि तारीख १० को इनकाउन्टर हुआ। श्रीमन् यह नहीं लिखा है कि कै बजे इनकाउन्टर हुआ? आपने यह माना है कि कंट्राडिक्टरी बयान दिया है, जो जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जा रही है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, वह बयान दूसरा है।

ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें भी चाहिए था कि तथ्यों को न छिपाते। एस० पी० इसमें इन्वाल्व हैं। तो ऐसी सूरत में क्या मुनासिब है कि सदन के सामने ऐसी बात रखी जाय? इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यदि आप कहें तो मैं आपके चेम्बर में आकर आपको लिखकर दूं और इस पर पूरा वक्तव्य आए और इस पर ढ़ाई घंटे की चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उदित नारायण शर्मा जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो व्यवस्था का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि जो रिपोर्ट माननीय गृह मन्त्री ने दी है, वह सत्य नहीं लगती है। गृह मन्त्री की जो सूचना मिली है, उस पर तो आप यह कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट पर हमें यकीन नहीं है, यह हमको सत्य नहीं मालूम पड़ती तो सुझाव यह दे सकते हैं कि इसकी जांच मुख्य मन्त्री जी. . .।

एक सदस्य--

सी० बी० आई० से करायें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच किसी ऐसी एजेन्सी से करायें जो विश्वसनीय हो।

एक सदस्य--

सी० आई० डी० से करायें।

श्री सदासुख प्रकाश (जिला वाराणसी)--

सी० बी० आई० से करा दें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया एक साथ न खड़े हों ।

(शोर)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, क्या गृह मन्त्री जी को यह भी जानकारी है, यह जो कहा जा रहा है कि पुलिस ने कोठरी घेर लिया, एक व्यक्ति की सूचना पर इतना बड़ा कांड हो गया, क्या यह सही है कि मुन्ना तिवारी जिनके बारे में कहा गया है, वह उस दिन साढ़े ८ बजे तक यहां एक सम्मानित विधायक के कमरे में दारुलशफा में थे । फिर माननीय बोरा के साथ एक केन्द्रीय मन्त्री के स्वागत में स्टेशन तक गए और बस में बैठे थे । पुलिस ने उनको बस से उतार कर इनकांउन्टर दिखाकर मारा, क्या यह सूचना उनको मिली है ?

श्री राम सिंह—

यह सूचना मेरे पास नहीं है । जो एक सूचना मेरे पास है और जो माननीय विधायकों ने दी थी, टेलीफोन टेप करने की पुलिस ने व्यवस्था की थी, यह शिकायत आई है । इसकी मैंने जांच करवायी और दो पत्र इस सम्बन्ध में मेरे पास हैं । पुलिस इंसपेक्टर, दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव ने कानपुर के जो डिवीजनल इंजीनियर टेलीफोन्स हैं, उनसे प्रार्थना की थी कि जो ३ टेलीफोन हैं, उनको टेप करने की आज्ञा दें । यह प्रार्थना-पत्र उनके पास था । उसके पश्चात् डिवीजनल इंजीनियर ने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और ७ तारीख को कह दिया कि चूंकि डी० एम० से परमीशन लेकर कागज नहीं दिया, इसलिए टेप करने की परमीशन नहीं दी जा सकती । १० तारीख को मुन्ना तिवारी लखनऊ से चलने वाला है, पुलिस ने उतारा और मार दिया गया, तो वह सूचना तो सही नहीं पायी गयी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो मैंने कहा, उसका जवाब नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि क्या मुन्ना तिवारी को बस से उतार कर मारा गया और इनकाउन्टर दिखाया गया, क्या इस प्रकार की उनको सूचना मिली है ?

श्री राम सिंह—

अभिलेखों के आधार पर यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, क्या मुख्य मन्त्री को एक शिकायत गयी है, जिसमें २ निर्दोष लोगों की हत्या का आरोप वहां के पुलिस अधीक्षक पर लगाया गया है । साथ ही साथ गृह मन्त्री ने मैजिस्टीरियल जांच की बात की है । तो मैजिस्टीरियल जांच कोई चीज नहीं है । मान्यवर, क्या ११० विधायकों ने कोई शिकायत गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री को भेजी है, इसमें इस बात का आरोप लगाया गया है कि उन्नाव के पुलिस अधीक्षक ने इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों की हत्या किया है । यदि शिकायती-पत्र प्राप्त हुई है तो उस पर क्या कार्यवाही किया है ?

श्री अध्यक्ष--

इस संदर्भ में माननीय सदस्यों को शक है कि पुलिस ने सत्य पर पर्दा डाला है । उनका आरोप यह भी है कि पुलिस ने ही हत्या की है । यदि यह बात सत्य है तो इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जो शिकायत किया है, माननीय सदस्य मालवीय जी ने जिसका जिक्र किया है कि पुलिस अभीक्षक के ऊपर इल्जाम है कि उसने दो व्यक्तियों का नाजायज तरीके से मरडर करवा दिया है । तो जो मेरे पास सूचना है, उससे बात सही साबित नहीं होती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें । इस तरह से सदन नहीं चलेगा । एक साथ मत बोलें । आप सब लोग बठ जायं ।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री जो आप अपने सदस्यों को नियन्त्रण में रखें । आप लोग बैठें । इस तरह से कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है । एक तरफ ५ सदस्य खड़े हों और दूसरा तरफ भी कई सदस्य खड़े हों, तो इस प्रकार कोई चर्चा नहीं हो सकती है । यदि आप लोग मेरी व्यवस्था मानना चाहते हैं तो जिसको मैं कहूं, वह बोले । यदि एक साथ ४-५ आदमी बोलेंगे तो सदन नहीं चलेगा । वैसे भी सवा छः बज चुके हैं और मैं इसको फिर मुल्तवी कर दूंगा ।

(सभी सदस्यों के बैठ जाने पर)

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि एक गुन्डे को कत्ल की बात नही है । बात पुलिस की बर्बरता की है पुलिस जिसे चाहे इनकाउन्टर कर सकती है ..(शोर).. मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्नाव ..(शोर)..सचिवालय में..(घोर व्यवधान)..(शोर)..।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

१४ दिसम्बर, १९७८ ।

सत्य प्रिय सिंह

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९४ पर ।)

संलग्नक

जूनियर डाक्टर्स एसोसियेशन, एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा की मांगों का विवरण

१--स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा रेजीडेंट्स आदि के पदों पर नियुक्ति में उसी कालेज से पास छात्रों को ही प्राथमिकता दी जाय तथा बाहरी छात्रों के लिए इन पदों तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान किया जाय और इससे उस कालेज के छात्रों की सीटों में कमी न होने पाये ।

२--समस्त नान रेजीडेंट स्नातकोत्तर छात्रों, जिन्हें अभी तक ४५० रु० प्रतिमास का स्टाइपेन्ड न मिल रहा हो, उन्हें यह स्टाइपेन्ड तुरन्त दिया जाय ।

३--समस्त अतिरिक्त अनौपचारिक शैय्याओं को निरस्त किया जाय और समस्त शैय्याओं की कुल संख्या को ध्यान में रखकर मेडिकल काउंसिल के नियमों के अनुसार ही जूनियर डाक्टरों के जाब आदि निर्धारित किए जायं । किसी भी मरीज को फर्श पर भरती न किया जाय ।

४--पुस्तकों का आधुनिक संस्करण तथा सभी भारतीय एवं विदेशी जर्नल्स लाइब्रेरी में उपलब्ध कराये जायं ।

५--लाइब्रेरी का समय प्रातः ९ से १२ बजे रात्रि तक कर दिया जाय ।

६--लाइब्रेरी कार्ड सभी स्नातकोत्तर छात्रों को बिना कौशामनी जमा कराये दिया जाय ।

७--वर्तमान कैन्टीन की दशा ठीक नहीं है और उसके स्थान पर एक अच्छी कैन्टीन जूनियर डाक्टरों के लिए खोली जाय ।

८--पब्लिक काल आफिस पोस्ट ग्रेजुएट छात्रावास के छात्रों के उपयोग के लिए खोला जाय ।

९--सभी स्नातकोत्तर छात्रों को थीसिस कार्य हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक उपकरण तथा सामग्री की व्यवस्था की जाय ।

१०--मरीजों से मिलने के लिए समय निर्धारित किया जाय और उसका कड़ाई से पालन किया जाय तथा उसके बाद मरीजों से मिलने के लिए पास की व्यवस्था की जाय ।

११--आपात कालीन दवायें एवं उपकरणों की व्यवस्था सभी वार्डों में की जाय और उनकी पूर्ति नियमित ढंग से होती रहे ।

१२--किसी जूनियर डाक्टर को प्रतिदिन ८ घंटे से अधिक ड्यूटी पर न रखा जाय । सप्ताह में समस्त जूनियर डाक्टरों को एक दिन की छुट्टी दी जाय । सभी नान-रेजीडेंट स्नातकोत्तर छात्रों को रेजीडेंट स्टाफ के समान ही अवकाश की सुविधा प्रदान की जाय ।

१३—समस्त स्नातकोत्तर छात्रों को कालेज आदि में कार्य का समान अवसर दिया जाय ।

१४—जूनियर डाक्टरों के लिए ई० एच० एस० तथा ई० एच० पी० के लिए उपयुक्त ड्यूटी रूम होना चाहिए तथा पीने का पानी व ट्वायलेट आदि की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ।

१५—जूनियर डाक्टर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों को कालेज तथा अस्पताल के सभी प्रबन्ध समितियों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये ।

१७—डा० यू० सी० मिश्रा द्वारा गायनेकालोजी विभाग के गत जूनियर डाक्टर छात्राओं के साथ किए गए अनटरेजियस रिमार्क के लि[illegible] जाय ।

विधान सभा